बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

वर्ष 30 अंक 2

जनवरी-मार्च 2018

सदस्य

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

- संपादक - मंडल — 1
- संपादकीय — 2
- भाषण
  - बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझना और प्रबंध करना — विरल वी. आचार्य — 4
- लेख
  - बैंक में प्रशिक्षकों का चयन एवं उन्हें प्रशिक्षण — विजय प्रकाश श्रीवास्तव — 15
  - पीयर टू पीयर लेन्डिंग "हमें बैंकिंग चाहिए किंतु बैंक नहीं" - बिल गेट्स — उमेश कुमार — 20
  - बैंकों में वैश्विक चुनौतियाँ — मंजुला वाधवा — 25
  - जोखिम प्रबंधन / जोखिम प्रबंधन उपायों की सुदृढ़ता — श्याम कमल बाजपेयी — 30
  - सशक्त भारत तथा समृद्ध किसान हेतु समुन्नत योजना – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना — कुलदीप सिंह भाटी — 37
- रेग्युलेटर की नज़र से — ब्रिज राज — 45
- इतिहास के पन्नों से — नाबार्ड — 48
- घूमता आईना — के. सी. मालपानी — 55
- लेखकों से / पाठकों से

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा अल्को कॉर्पोरेशन, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट: https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
E-mail: rajbhashaco@rbi.org.in फोनः 022-26572801 फैक्सः 022-26572812

संपादक - मंडल

संरक्षक

श्रीमती लिलि वडेरा
मुख्य महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

प्रबंध संपादक

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा
प्रभारी उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

श्रीमती सुषमा फडणीस
उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

सुश्री सोमा दास
सहायक प्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

तकनीकी सहयोगी

श्री सुबोध महरोत्रा
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051

सदस्य

श्री ब्रिज राज
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
पटना कार्यालय

श्री चरणजीत सिंह
महाप्रबंधक
ओरियन्टल बैंक आफ
कॉमर्स, गुड़गांव

श्री राकेश चन्द्र नारायण
महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
कोलकाता

श्री के.पी. तिवारी
उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, मुंबई

श्री एल. एन. उपाध्याय
उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं
उप महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

श्री जनमेजय पटनायक
उप महाप्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
सीबीओटीसी, भोपाल

डॉ. जवाहर कर्णावट
उप महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

कला सहयोगी

श्री अभय मोहिते
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

....संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

चिंतन

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन:।
चत्वारितस्यवर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्।।

बहुधा उद्धृत किए जाने वाले उपर्युक्त श्लोक में कहा गया है - अभिवादनशीलता अर्थात् विनम्रता व्यक्ति को अपने गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाती है और इससे उसकी आयु, विद्या, यश और बल – इन चारों में श्रीवृद्धि होती है। यदि ये चारों चीजें मिल जाएं तो संसार में कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता। विनयशीलता सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। विद्यार्जन का चरम उद्देश्य ही विनम्रता का गुण विकसित करना होता है। एक बार यदि विनयशीलता आ गयी तो हमारे भीतर सभी पुरुषार्थों को साधने की पात्रता आ जाती है - *"विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति, धनात् धर्मम् तत: सुखं।।"* विनम्रता अपने साथ-साथ सहिष्णुता और सहअस्तित्व की भावना भी लाती है जिससे व्यक्ति समाज की एक मजबूत इकाई बनता है तथा व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है।

अनुचिंतन

पिछले दिनों एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सिलसिले में बैंक के गुरुकुल यानी प्रशिक्षण केंद्र जाने का अवसर मिला। वहाँ पहुंचते ही एक सुखद आश्चर्य हुआ। प्रशिक्षण केंद्र के गार्ड ने गेट पर हमारा स्वागत दोनों हाथ जोड़कर चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ नमस्ते करते हुए बिलकुल परंपरागत भारतीय अंदाज़ में किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई हमारी ही प्रतीक्षा कर रहा हो और अब हमें अपने द्वार पर पाकर प्रसन्न हो उठा हो ! मन अपनापे से भर गया। एक सकरात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। फिर तो स्वागत कक्ष से लेकर हॉस्टल में आबंटित कमरे तक पहुंचते-पहुंचते हमारा आश्चर्य द्विगुणित होता गया। प्रशिक्षण केंद्र परिसर का जो भी स्टाफ हमें मिला, उसने उसी आत्मीयता और आदर के साथ हमारा अभिवादन किया। हम स्वयं की निगाह में पहले से अधिक सम्मानित अनुभव करने लगे। साथ ही, कहीं न कहीं हमारे दिलो-दिमाग में यह बात भी घर करने लगी कि प्रशिक्षण केंद्र के लोग अपने कार्य के प्रति कितने समर्पित हैं, अत: हमें भी उसी गंभीरता, विनयशीलता के साथ अपने-अपने परिसर में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

किसी भी संस्था में यह कहना एक आम बात है कि हम सब एक परिवार की भांति हैं, हमारे लक्ष्य एक हैं, जिन्हें हमें सामूहिक प्रयास से प्राप्त करना है। परंतु इस पारिवारिकता की भावना का विकास कर पाना आज टेढ़ी खीर बनी हुई है। अत्यंत महत्वाकांक्षी एचआर पॉलिसीज़ अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही हैं। मेंटर-मेंटी संकल्पना लायी गयी है परंतु सीखने-

सिखाने की प्रक्रिया में समर्पण और विश्वास का होना अनिवार्य शर्त है जिसका आज के कारोबारी जीवन में अभाव दिखता है। आज की पीढ़ी में शायद ही कोई कार्मिक ऐसा मिलेगा जो गर्व से यह कहते हुए सुना जाए कि मैं अमुक का शागिर्द हूं। इस स्थिति का सबसे बुरा असर कारोबारी नैतिकता पर पड़ा है। आज गलाकाट प्रतिस्पर्धा का दौर है। दूसरे बैंकों/संस्थानों की बात तो दूर हम अपने ही सहकर्मियों से अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों/परेशानियों का जिक्र करने से परहेज करते हैं। हमें भय है कि कहीं वह हमारी स्थिति का लाभ उठाकर हमसे आगे न निकल जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह संवादहीनता एवं परस्पर अविश्वास की स्थिति सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस स्थिति में हमारी अधोगति तय है। आज सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित तमाम सुरक्षात्मक उपायों के मौजूद होते हुए भी ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिनसे पूरे बैंकिंग जगत की छवि को गंभीर धक्का लगा है। जब हम इस स्थिति पर आत्ममंथन करते हैं तो हमें यह बात समझ में आ जाती है कि हमें अपने जीवन मूल्यों से जुड़े रहना होगा, मूल्यविहीनता की स्थिति आत्मघाती होती है।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन, बैंकिंग जगत की हलचलों पर बारीकी से नज़र रखते हुए इस क्षेत्र के स्पंदनों को पकड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। वर्तमान अंक में भी हमने ऐसे आलेखों को स्थान दिया है जो बैंकिंग जगत के विविध पहलुओं को समग्रता में अभिव्यक्त करते हैं, यथा- 'डिजिटल युग में बैंकिंग जगत की चुनौतियां एवं संभावनाएं', 'बैंकिंग में वैश्विक चुनौतियां'। 'जोखिम प्रबंधन/जोखिम प्रबंधन उपायों की सुदृढ़ता' शीर्षक लेख भी शामिल किया गया है जिसमें बीते दिनों इस क्षेत्र में घटित अप्रिय घटनाओं से सबक लेते हुए बैंकों द्वारा इस दिशा में की गयी तैयारी और भावी कार्ययोजना पर मंथन किया गया है। बैंकिंग संकल्पना में अत्यंत तेजी से हो रहे बदलावों के मद्देनज़र स्टाफ के प्रशिक्षण की आवश्यकता और इस क्षेत्र की चुनौतियों का आकलन करते हुए लेखों को इस अंक में स्थान दिया गया है।

हमारा प्रयास रहा है कि पाठकों के लिए उपयोगी, सामयिक और तथ्यपरक सामग्री प्रस्तुत की जाए। गत अंक के बारे में हमें सुधी पाठकों से उपयोगी एवं प्रेरणादायक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमें अपने प्रयास में कितनी सफलता मिली है, इसका आकलन आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हो सकेगा। आशा है, यह अंक आपको पसंद आएगा।

शुभकामनाओं सहित,

(काज़ी मु. ईसा)
प्रभारी उप महाप्रबंधक
एवं
प्रबंध संपादक

बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझना और प्रबंध करना *

विरल वी. आचार्य, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

मैं सर्वप्रथम आप सबको नव वर्ष में खुशहाली और समृद्धि की शुभकामनाएं देता हूं।

मुझे अपने वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं फिम्डा और उनकी आयोजन समिति का शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं भारतीय बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझने और उसके बेहतर प्रबंधन के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं अन्यत्र और विगत का उल्लेख करूंगा, जो बात शुरू करने के लिए काफी ठीक भी रहता है।

विकसित देशों सहित अनेक अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में सरकारी ऋणों के प्रति बैंक एक्सपोजर काफी बढ़ा है, जिससे बैंकों के तुलनपत्रों का सरकारी ऋणों की संबद्धता गहरायी है। माना जाता है कि इस स्थिति के पीछे अनेक महत्वपूर्ण चालक काम कर रहे हैं:

क. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक समायोजनकारी मौद्रिक नीतिओं के साथ संकट पश्चात वैश्विक निवेशकों के जोखिम झेलने में आई गिरावट ने एक ऐसी सहज मांग पैदा कर दी कि अति-सुरक्षित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी ऋणों में निवेश बढ़ा।

ख. बैंकों के लिए बॉसेल पूंजी विनियमावली के अधीन होम कंट्रीज तथा कुछ करेंसी यूनियनों में सरकारी बॉन्ड एक्सपोजरों पर कोई संकेंद्रण सीमाएं न लगाने के अलावा, शून्य प्रतिशत जोखिम भार जारी है। इससे सरकारी बॉन्ड समान जोखिम वाली अन्य आस्तियों की तुलना में अधिक आकर्षक बन जाते हैं। सरकारी बॉन्डों की नकदी-शीलता तथा उनका केंद्रीय बैंकों द्वारा पुनर्वित्त के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र होना उनकी इस आकर्षकता में वृद्धि ही करता है।

ग. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) विनियमावली (बॉसेल III के अंतर्गत) में भी बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) रखें। यद्यपि अन्य प्रतिभूतियां एचक्यूएलए के रूप में पात्र हैं, किंतु सरकारी बॉन्डों की धारिता लागत और सहजता के कारण वे सर्वाधिक आकर्षक हैं।

हालांकि सरकारी बॉन्ड किसी भी समय अन्य लिखतों से अधिक सुरक्षित और तरल हैं, किंतु वे वैसे ही बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकारी ऋणों पर ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम दोनों ही गतिशील प्रकृति के हैं, और वास्तव में ये जोखिम आरंभिक चरणों में शांत दिखते है लेकिन भ्रामक रूप से बदल सकते हैं।

* यह व्याख्यान 15 जनवरी 2018 को फिम्डा द्वारा होटल ताजमहल पैलेस, मुंबई में आयोजित फिम्डा वार्षिक भोज 2018 के अवसर पर दिया गया।

सरकारी ऋण और बैंकों के बीच मिली भगत और यूरोज़ोन में सरकारी ऋण संकट

सरकारी ऋण और बैंकों के बीच मिलीभगत के संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषत: यूरोप का ध्यान आकर्षित किया है। ऋण – संकट का सामना करने वाले देशों (ग्रीस, इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन, या जीआईआईपीएस) में निवासी बैंकों का घरेलू सरकारी ऋणों के प्रति एक्सपोजर संकट के दौरान और बाद में काफी बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, बैंकों के सरकारी ऋणों में बढ़े हुए एक्सपोजर में अधिक जोखिमपूर्ण सरकारों, अर्थात् जीआईआईपीएस के प्रति पक्षपात दिखाई देता है। इसमें निवासी बैंकों का हिस्सा बढ़ रहा है, जबकि अनिवासी बैंकों का कम हो रहा है; निवासी बैंकों की धारिता उच्च स्तर पर बनी हुई है।

बैंकों द्वारा घरेलू सरकारी ऋण की वृहत् धारिता ने उस दायरे के यूरोपियन देशों में सरकारी ऋण संकट को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। जनवरी 2007 से लेकर सितम्बर 2008 के अंत में बैंकों के प्रथम बेल-आउट की घोषणा होने तक बैक-क्रेडिट उपार्जनों के बढ़ोतरी हुई जबकि सरकारी-क्रेडिट उपार्जन निचले स्तरों पर रहे। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों का बेल-आउट सितंबर-अक्तूबर 2008 के दौरान एक व्यापक लक्षण बन गया और बैंक-क्रेडिट के उपार्जनों में काफी गिरावट हुई जबकि इसकी तुलना में सरकारी-क्रेडिट व उपार्जनों में बढ़ोतरी हुई। वास्तव में, बैंक के बेल-आउट ने ऋण जोखिम को वित्तीय क्षेत्र से अंतरित कर सरकारों को दे दिया (आचार्य, ड्रेशलर और शनबल, 2012; 2015)। फिर भी, और विशेषत: 2010 में ग्रीक चूक के बाद यूरोपियन परिधि में समष्टि आर्थिक चिंताओं के कारण सरकारी-उपार्जनों का असर जर्मन बंड्स पर भी हुआ, जिससे बैंकों को काफी मूल्यांकन हानि हुई, और उनकी ऋण शोधन क्षमता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

इसके साथ ही, सरकारी बॉन्डों पर बढ़ते हुए अर्जन ने बैंकों को अपने घरेलू सरकारी एक्सपोजरों का संचय करने को ललचाया। अल्पकालिक निधियों, विशेषत: जमाराशि और मुद्रा बाजारों में लगातार पहुंच के साथ ही जीआईआईपीएस तथा कुछ जीआईआईपीएस से इतर देशों में भी बैंकों ने जीआईआईपीएस सरकारी बॉन्डों में निवेश बढ़ाया ताकि जर्मन बॉन्ड्स की खरीद करके 'लाभानुकूलन' किया जा सके, आशा यही थी कि भविष्य में प्रतिफल बढ़ जाएगा (आचार्य और स्टेफन, 2015)। यह 'लाभानुकूलन व्यापार' कम-पूँजी वाले बैंको के लिए खासतौर पर आकर्षक था, क्योंकि बिना किसी अतिरिक्त पूँजी-अपेक्षा के वे त्वरित-ट्रेजरी लाभों के लिए प्रभावी रूप से अनुसरण करते हुए पुनरुस्थान का दांव खेल सकते थे, लेकिन यदि लाभानुकूलन और आगे के लिए टल गया तो आर्थिक जोखिम दुगुना हो जाना था, और यही हुआ। ग्रीक चूक और जीआईआईपीएस देशों में परिणामी सरकारी ऋण संकट ने यह दिखा दिया कि सरकारी ऋण में अत्यधिक एक्सपोजर वाले बैंक सरकारी ऋण लागत में उतार-चढ़ाव से सर्वाधिक प्रभावित हुए और उन्हें संबंधित बाजार के बढ़े हुए वित्तपोषण परिणामों का सामना करना पड़ा।

ऐसे सरकारी ऋण और बैंकों के बीच मिलीभगत से एक दोतरफा फीडबैक समस्या उत्पन्न होती है। चूंकि घरेलू सरकारी बॉन्डों के प्रति बैंकों का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, सरकारी बॉन्ड प्रतिलाभ में किसी प्रतिकूल गतिविधि या राजकीय घटना घटित होने से बैंकों के अपर्याप्त पूंजीकरण और बेल-आउट की शुरुआत हो सकती है, जिसमें और अधिक सरकारी उधार लेना और सरकारी ऋण प्रतिलाभ बढ़ना निहित है, और इससे बैंक की पूंजी का और अधिक ह्रास और आगे और बेल-आउट

करना आवश्यक होगा, और यह चलता रहेगा (आचार्य, ड्रेशलर और शनबल, 2012; 2015)।

इस प्रकार, घरेलू सरकारी ऋणों में निहित जोखिमों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर को समझना और उसका उचित प्रबंध करना केवल बैंकिंग क्षेत्र के लाभों और पूंजी का मामला नहीं है, बल्कि वास्तव में यह समग्र समष्टि आर्थिक स्थायित्व से संबंधित है।

भारतीय संदर्भ

भारत में बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के निर्धारण और लोक ऋण के समर्थन में बैंकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के चलते सरकारी ऋणों और बैंकों के तुलनपत्रों का संबंध सुदृढ़ रहा है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी मांग और मियादी देयताओं (डीटीएल) के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम चलनिधि आस्तियां (मूलत: सरकारी प्रतिभूतियां या सरकारी प्रतिभूति तथा राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहलाने वाली उप- सरकारी प्रतिभूतियों, दोनों में बनाए रखें। यह अनुपात ऐतिहासिक रूप से 38.5 प्रतिशत तक ऊंचा रहा है, किंतु अब क्रमिक रूप से घटकर 19.5 प्रतिशत रह गया है। इसे बॉसेल III के अंतर्गत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुसार बनाने के लिए लगातार घटाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप बैंक उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल की बड़ी संख्या के कारण सरकार की उधार लेने की लागत, जो मुद्रास्फीति, राजकोषीय या अन्य घरेलू अथवा वैश्विक समष्टि आर्थिक गतिविधियों के कारण बढ़ सकती है, के पुनर्मूल्यन के प्रति एक्सपोज होते हैं। मैं (i) भारतीय बैंकों के इस ब्याज दर जोखिम के प्रति एक्सपोजर के महत्व; (ii) बैंकों द्वारा अपने कोष परिचालनों की और अधिक ध्यान और संसाधन लगाने पर बल देने; तथा (iii) बैंकों द्वारा अपने जोखिम का प्रबंध करने हेतु उपलब्ध विकल्पों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

बैंकों में ब्याज दर जोखिम को समझना

आइए, पहले सिद्धांतों से शुरुआत करते हैं। जब अंतर्निहित ब्याज दरों में कोई (मामूली) बदलाव आता है, जैसे सरकार की उधार लेने की लागत में, तब किसी बॉन्ड पोर्टफोलियो के लिए (अनुमानित) कीमत समीकरण को देखने से ब्याज दर जोखिम बड़ी आसानी से समझ में आता है:

$$\Delta P = P \times D \times \Delta Y$$

जहां Δ परिवर्तन का द्योतक है; P पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य है; D "अवधि"का द्योतक है, जो कि पोर्टफोलियो की ब्याज दर संवेदनशीलता का माप है; तथा Y अंतर्निहित ब्याज दर (या पोर्टफोलियो प्रतिफल) का द्योतक है।

दूसरे शब्दों में, निवेश पोर्टफोलियो का मूल्य तीन कारकों का कार्य है:

क. P द्वारा निर्दिष्ट पोर्टफोलियो का आकार

ख. D द्वारा निर्दिष्ट अवधि, जो पोर्टफोलियो के अंतर्गत बॉन्डों के नकद प्रवाहों की भारित औसत परिपक्वता दर्शाती है।

ग. Δ Y द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल में वृद्धि।

उदाहरण के लिए 10-वर्षीय जी-सेक बेन्चमार्क प्रतिलाभ में 0.1% अथावा 10 आधार अंक की बढ़ोतरी होने पर 10 वर्ष की अवधि वाले एक ट्रिलियन साइज वाले पोर्टफोलियो के मूल्य में 10 बिलियन की गिरावट होगी।

आइए, हम वर्तमान और ऐतिहासिक भारतीय संदर्भ में इनमें से प्रत्येक कारक पर विचार करते हैं।

पोर्टफोलियो का आकार[1]

बकाया सरकारी प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत (जून 2017) है। वित्त वर्ष 2016-17 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के कुल निवेश का लगभग 82 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूति में था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए तदनुरूप आंकड़ा इससे कुछ अधिक, यानी 84 प्रतिशत है। 2014 से यह एक्सपोजर काफी बढ़ गया है।

सरकार के समेकित ऋण/ जीडीपी अनुपात में अपेक्षाकृत स्थिरता के बावजूद सरकारी प्रतिभूति का निवेशक आधार मुख्यत: घरेलू संस्थाओं तक ही सीमित है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी बॉन्डों की मांग की तुलना में अक्सर अतिरिक्त पूर्ति की स्थितियां होती हैं, विशेषत: भारतीय बैंकों द्वारा धारित अतिरिक्त एसएलआर के उच्च स्तर को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है। भारतीय बैंकों के सरकारी ऋण धारिता के उच्च स्तर का एक कारण यह है कि भारतीय परिवेश में अपेक्षाकृत अति-पूर्ति के मामले में वे ही अवशिष्ट धारक होते हैं, क्योंकि उनके निवेश अधिदेशों के कारण अन्य प्रमुख संस्थागत निवेशक श्रेणियों, यथा बीमा और पेंशन निधियों की क्षमता सीमित होती है। आजकल दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि रिज़र्व बैंक के चलनिधि निपटान परिचालनों में बैंकिंग प्रणाली की अतिरिक्त चलनिधि पूर्णत: जमा नहीं की जाती, जिससे अवधि जोखिम न्यूनतम हो जाता है। बल्कि अतिरिक्त चलनिधि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है क्योंकि अल्पकालिक लाभ चाहने वाले पूंजी-क्षुधित बैंकों के लिए घरेलू सरकारी ऋण सर्वाधिक आकर्षक निवेश हैं, चाहे वह दीर्घावधि लाभों की कीमत पर ही क्यों न हों (यही स्थिति यूरोपियन संदर्भ में भी है, जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं)।

इसके परिणामस्वरूप, बैंकिंग क्षेत्र के तुलनपत्र में सरकारी प्रतिभूति एक्सपोजर का आकार, और इसीलिए, उसका ब्याज दर जोखिम पूर्णार्थ में अधिक है, और जब इसे कुल आस्तियों के अनुपात में गिना जाता है तब निजी बैंक की तुलना में सरकारी बैंकों में यह अपेक्षाकृत अधिक है।

निवेश बही की अवधि और सरकारी प्रतिभूति की परिपक्वता संरचना

बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियो में अत्यधिक ब्याज दर एक्सपोजर का कारण केवल उनकी धारिता का आकार नहीं है, बल्कि प्राथमिक निर्गम की परिपक्वता अवधि में वृद्धि भी है। सरकारी प्रतिभूतियों के स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता वर्ष 2012-13 के 9.66 वर्ष की तुलना में लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2017-18 में 10.67 वर्ष हो गई है (चार्ट 4)। पिछले पाँच वर्ष के दौरान वार्षिक निर्गम की औसत प्रवृत्ति उच्च, अर्थात् लगभग 15 वर्ष रही है।

चार्ट 4: भारित औसत परिपक्वता/सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल

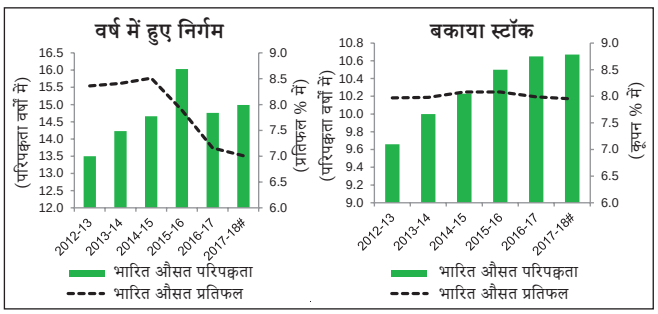

स्रोत: भारिबैं वार्षिक रिपोर्ट।

1 कानूनन सरकारी प्रतिभूतियों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां (सरकारी प्रतिभूति) तथा राज्य विकास ऋणों (एसडीएफ), दोनों रूपों में परिभाषित किया गया है। निवेश बही में ब्याज दर जोखिम के प्रबंध के अनुसार दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। तथापि, सरलता के लिए इस व्याख्यान में दिए गए आंकड़े केवल सरकारी प्रतिभूति से संबंधित हैं। एसडीएल को शामिल करने से सामान्य निष्कर्ष बदलेंगे नहीं, और चूंकि ये ब्याज दर जोखिम में योगदान देते हैं, उन्हें मजबूती ही प्रदान करेंगे।

सरकारी प्रतिभूति की इस बदलती हुई परिपक्वता संरचना का बैंकों के निवेश पोर्टफोलियों की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)। बैंक सामान्यत: उनके द्वारा अधिग्रहित प्रतिभूतियों को परिपक्वता अवधि तक धारण करने के इरादे से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अनुषंगियों में धारित इक्विटी जैसे कुछ अपवादों को छोड़ कर एचटीएम के अंतर्गत केवल ऋण प्रतिभूतियां धारण करने की अनुमति है। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियां धारण करने से बैंकों को मूल्यन में परिवर्तन से बचाव उपलब्ध होता है। तथापि, एचटीएम बही में धारिता अधिकतम सीमा के अधीन है।

एएफएस और एचएफटी श्रेणियां मिल कर बैंक की ट्रेडिंग बही बनाती है। बैंकों को अपनी ट्रेडिंग रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता, पूंजी की स्थिति आदि के आधार पर एएफएस और एचएफटी के अंतर्गत धारिता की सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। इन दोनों बहियों में धारित प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य पर दर्शाया जाना अपेक्षित है। एचएफटी बही को एएफएस से अधिक नियमित रूप से मार्क टू मार्केट किया जाना अपेक्षित है। निवेश के मूल्यन की बारंबारता विशिष्ट रूप से बैंकों की निवेश बही की संरचना की निर्धारक है। इसके परिणामस्वरूप, सितंबर 2017 (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई, दिसंबर 2017) को एचटीएम, एएफएस तथा एचएफटी का हिस्सा क्रमश: 55.4%, 42.5% और 21.1% रहा। वर्तमान में बैंकों की एएफएस बही की औसत संशोधित अवधि लगभग 2.9 वर्ष है। निजी क्षेत्र के बैंकों के 2.0 वर्ष की तुलना में पीएसबी के लिए यह 3.5 वर्ष के उच्च स्तर पर है। निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों की अपेक्षाकृत लंबी अवधि और संकेंद्रण के साथ ही बैंकों की आय और पूंजी प्रतिकूल प्रतिलाभ गतिविधियों के प्रति एक्सपोज होते हैं, विशेषत: जब पिछले पांच वर्षों से निवेश आय का हिस्सा बढ़ रहा है। चार्ट 5 में इस तथ्य को सारगर्भित रूप से दर्शाया गया है कि बैंकों की निवेश आय सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है – हाल के वर्षों में सामान्यत: प्रतिलाभ कम हुए हैं, और परिणामत: निवेश आय बढ़ी है। बदले में, और इस अवधि के दौरान, विशेषत: पीएसबी में धीमी क्रेडिट संवृद्धि को देखते हुए निवेश आय ने बैंक के अर्जनों का निर्धारण करने में पुन: महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरु किया है।

चार्ट 5: सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल आय के प्रतिशत के रुप में निवेश से होने वाली आय की तुलना में जेनरिक प्रतिफल की दिशा

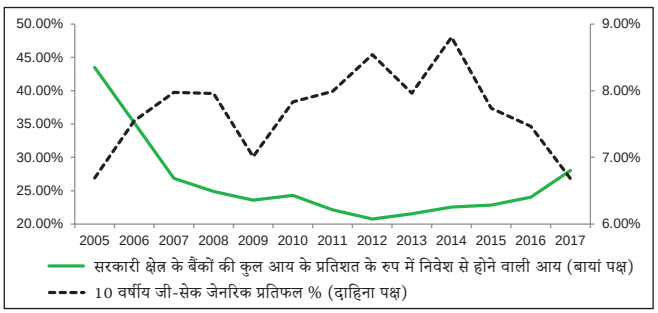

प्रतिलाभों की गतिविधियां – निरंतर प्रतिलाभ वृद्धि के चरण

भारत में सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों ने नियमित अंतरालों पर लगभाग 200 बीपीएस की अनवरत वृद्धि के सांयोगिक चरण देखे हैं। पिछले 15 वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिलाभ के तीन प्रमुख चरण चार्ट 6 में दर्शाए गए हैं:

क) चरण I - जब एक लंबी उछाल के बाद 2004 की दूसरी छमाही में ब्याज दर चक्र 5.00 प्रतिशत से बढ़कर 7.00 प्रतिशत हुआ;

ख) चरण II - वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, जब प्रतिलाभ दिसंबर 2005 में 5.25 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2011 तक लगभग 8.80 प्रतिशत हुआ; तथा

ग) चरण III टेपर टैन्ट्रम प्रकरण के दौरान, जब मई 2013 के अंत में प्रतिलाभ लगभग 7.25% से दिसंबर 2013 मे अंत में 9 प्रतिशत से कुछ कम तक बढ़ा।

यह समय क्रम और सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभ गतिविधियों के ये प्रासंगिक चरण दर्शाने के पीछे मेरा मुद्दा यह है कि जब सरकारी बॉन्ड प्रतिलाभ तेजी से बढते हैं, और बैंकों के निवेश लाभ कम होते हैं, तब बैंकों को बार-बार आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

चार्ट 6: 10 वर्षीय जेनरिक जी-सेक प्रतिफल तथा प्रतिफल में दैनिक परिवर्तन

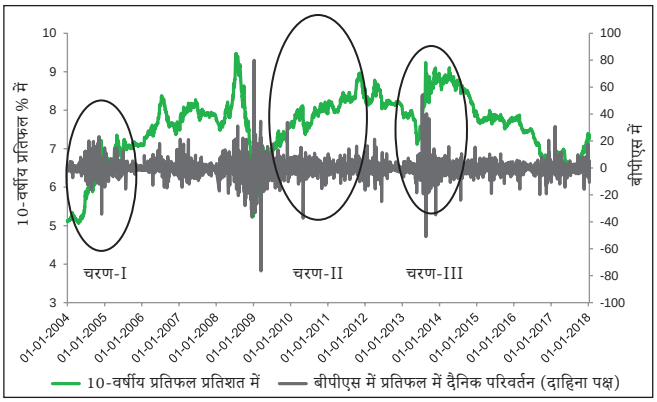

रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में बैंकों की पूंजी और लाभप्रदता पर ऐसी बड़ी ब्याज दर गतिविधियों के प्रभाव को नियमित रूप से दर्शाया गया है। बैंकों को इस जोखिम को भलीभांति जान और समझ लेना चाहिए। शायद वे जानते हैं, और मुद्दा वास्तव में उन प्रलोभनों का है, जिसके कारण वे इस जोखिम की उपेक्षा करते हैं। अब मैं इस पर आता हूँ।

चित आया, तो मैं जीता, पट आया तो विनियामक भुगतेगा

सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों में निरंतर वृद्धि के ये प्रासंगिक चरण किस प्रकार खेले गए ?

चरण 1 के दौरान विनियामक धैर्य की जोरदार गुहार के जवाब में बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) लेखांकन श्रेणी के अंतर्गत अधिदेशित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) के 25% तक सरकारी प्रतिभूति धारण करने की अनुमति दी गई थी। विनियम ने बैंकों को एकबारगी उपाय के रूप में अन्य लेखांकन श्रेणियों में से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियां परिवर्तित करने में भी सक्षम किया। ये ऐसी विशेषता है, जो अब वार्षिक पैमाना बन गया है।

सितंबर 2013 से मार्च 2014 तक छ: माह के लिए मूल्यांकन हानियों की मान्यता के आस्थगन के अतिरिक्त तृतीय चरण में भी इसी प्रकार का एकबारगी अंतरण दिया गया।

द्वितीय चरण में आरबीआई द्वारा खुले बाजार में नियमित रूप से खरीद के द्वारा प्रतिलाभों में तीव्र वृद्धि के प्रभाव को काफी हद तक कम किया गया, जिसका नियोजन दीर्घ-कालिक सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों के लिए करने के बजाए विशिष्ट रूप से टिकाऊ चलनिधि प्रबंध करने और मुद्रा बाजार दरों को एक दिवसीय नीतिगत दरों के समीप लाना सुनिश्चित करने के लिए किया गया। ये उस तरह के उपाय भी हैं, जिन्हें बढ़ते हुए प्रतिलाभों के वर्तमान चरण में अपनाने के लिए कुछ बैंकों ने रिज़र्व बैंक से पुन: अनुरोध किया है, जहाँ अगस्त 2017 के अंत में लगभग 6.50 प्रतिशत बढ़कर अब प्रतिलाभ लगभग 7.45 प्रतिशत हो गए हैं।

बैंकों के ब्याज दर जोखिम का प्रबंध हर बार और बार-बार उनका विनियामक नहीं कर सकता है। विनियामक वित्तीय स्थिरता के हित में ऐसी कठोर और मुश्किल स्थिति के बीच फंस जाता है और अक्सर सहायता करता है। तथापि, बैंकों के ब्याज दर जोखिम को कम करने हेतु तथ्यों पर आधारित विनियामक छूट का नियमित प्रयोग सरकारी प्रतिभूति बाजार में कुशल कीमत खोज तथा सरकारी प्रतिभूति निर्गमकर्ता के लिए प्रभावी बाजार अनुशासन की दृष्टि से वांछित नहीं हैं।

न ही यह बैंकों में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन संस्कृति का विकास करने से सुसंगत है। चित मैं जीता, पट विनियामक भुगतेगा जैसे विषम विकल्पों का सहारा लेना स्टेरॉइड्स का सहारा लेने जैसा है। ये लत लगाने जैसा है, जिसके दीर्घकालिक प्रतिकूल परिणाम पुन: पूर्व दशा में आने के रूप में सामने आते हैं। यद्यपि आकस्मिक गहन समस्या से उबरने के लिए उनका प्रयोग न्यायोचित है। इसलिए, बैंकिंग प्रणाली के लिए बेहतर होगा कि अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूती का निर्माण करे, अर्थात् आंतरिक रूप से बल दें और ब्याज दर जोखिम[2] के प्रबंधन के लिए कुशल प्रक्रियाएं बनाए।

अब मैं इस पर विचार करूँगा कि इसे हासिल करने के लिए बैंकों द्वारा क्या किया जा सकता है।

बैंकों के ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन

बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते हुए ब्याज दर एक्सपोजर के प्रबंध के लिए सरकारी बैंक संबंध पर दोनों तरफ से ध्यान देना आवश्यक है। जहां सरकारी बॉन्ड बाजार में दीर्घकालिक निवेशक सहभागिता, देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों को गहन करना और सरकारी ऋण संरचना का बैंक के तुलनपत्रों की विविक्षा के प्रति संवेदनशील बने रहना आवश्यक है, वहीं बैंकों को भी तुलनपत्र पर ब्याज दर जोखिम का प्रबंध करने के लिए उसके आकार और अवधि का जोशीले ढंग से प्रबंध करना होगा तथा जोखिम अंतरण के लिए बाजारों तक पहुँच बनाना आवश्यक होगा।

वांछित विकल्प उस बॉन्ड कीमत समीकरण से मिलेगा, जिसे मैंने पहले ही बताया है :

$$\Delta P = - P \times D \times \Delta Y,$$

इस प्रकार, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन विकल्पों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

क. P को संबोधित करनेवाले उपाय, यथा बैंकों के सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियों का आकार

ख. D को संबोधित करनेवाले उपाय, यथा अवधि जोखिम तथा

ग. प्रतिफल में संभाव्य बड़े परिवर्तनों वाले परिदृश्यों में मूल्यांकन प्रभाव को संबोधित करने वाले उपाय।

बैंकों में सरकारी प्रतिभूतियों के आकार को संबोधित करने वाले उपाय

बैंकों में सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियो का आकार मुख्यत: बैंकों द्वारा प्रतिस्पर्धी आस्तियों के बीच चुने गए तुलनपत्र विकल्पों का कार्य है। यह मानते हुए कि सरकारी प्रतिभूति पोर्टफोलियो ब्याज दर जोखिम के अधीन है, शुरुआत में ही

2 बैंकों के लिए ब्याज दर जोखिम पर और अधिक फोकस करने के अन्य कारण भी हैं, जिन्हें मैंने सरलता और संक्षिप्तता के कारण छुआ ही नहीं है। उदाहरणार्थ, बैंक न केवल निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम का सामना करते हैं, बल्कि बैंकिंग बही में भी जोखिम होती है। मौजूदा दिशानिर्देशो के अनुसार भारत में बैंकों से अपेक्षित है कि वे संपूर्ण तुलनपत्र के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन (ΔEVE) तथा निवल ब्याज आय (ΔNTI) की गणना करें, न कि केवल बैंकिंग बही के लिए। तथापि बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) में वैश्विक बैंकों के बीच वैश्विक सामंजस्य, पारदर्शिता तथा तुलनीयता बढ़ाने की दृष्टि से बैंकों से अपेक्षित होगा कि आगे चलते हुए आईआरआरबीबी की गणना अलग से करें तथा संशोधित बीसीबीएस मानकों के आधार पर इसका प्रकटीकरण करें। इसी प्रकार, निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक अध्ययन दल की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि अस्थिर दर वाले ऋणों को किसी बाह्य बेंचमार्क से संबद्ध किया जाए। इसकी शुरुआत होने पर बैंक उच्चतर बाजार जोखिम के प्रति एक्सपोज होंगे, जिसके कारण ब्याज दर जोखिमों का अधिक सक्रिय प्रबंधन आवश्यक हो जाएगा।

निम्नलिखित रूपरेखा के अनुसार एक जोखिम प्रबंधन रणनीति बनाई जा सकती है :

1. बैंक का बोर्ड कोष प्रमुख तथा मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के साथ विचार-विमर्श करके पोर्टफोलियो के लिए जोखिम सीमाओं का अनुमोदन उस पूंजी के अनुसार कर सकते हैं, जिस पर जोखिम लिया जा सकता है। इस निर्दिष्ट जोखिम पूंजी का रूपांतरण, किसी कॉर्पोरेट बजट की ही तरह एक जोखिम रणनीति में होना चाहिए और उसे इस तरह संरक्षित किया जाना चाहिए कि वह केवल आसानी से लाभ उठाने लायक अनुपालन सीमा के बजाए बदलते हुए जोखिमों के प्रति समायोजित हो जाए।

2. यह निर्दिष्ट जोखिम पूंजी, जिसे जोखिम पर मूल्य अथवा प्रत्यशित हानि विधि के अंतर्गत बॉन्ड प्रतिलाभों के लिए उच्च आत्मविश्वास स्तर की अनुगामी घटनाओं के रूप में मॉडल बनाया जा सकता है, किसी उचित दबाव परिदृश्य के अंतर्गत नष्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अत्यंत कम संभावना की स्थिति को छोड़ कर, बैंक को ट्रेजरी कार्यों के लिए आवंटित पूंजी को खोना नहीं चाहिए।

3. जैसा कि मैंने प्रासंगिक उतार-चढाव के चरण दर्शाते हुए स्पष्ट किया है, प्रतिलाभ गतिविधियों की अ-रैखिकता को देखते हुए (यह जोखिम, कि जोखिम में परिवर्तन होगा, या दूसरे शब्दों में, प्रतिलाभ उतार-चढाव अनेक संभावनाओं में से चुना गया हो), बैंकों को ऐतिहासिक दबाव परिदृश्य को भी शामिल करना चाहिए। इन ऐतिहासिक दबाव परीक्षणों में भी ट्रेजरी कार्यों के लिए आवंटित पूंजी नष्ट नहीं होनी चाहिए।

4. इसके अतिरिक्त, बैंकों को विपरीत दबाव परीक्षण भी करने चाहिए, अर्थात् सवाल पूछें, जैसे किस प्रकार की सरकारी-प्रतिभूतियां प्रतिलाभ गतिविधियां, क्या प्रतिलाभ लोच ढलान पर न्यूनतम, किंतु आदर्श समांतर उपाय आवंटित पूंजी को नष्टकर देंगे? जी हाँ, आरबीआई द्वारा ऐसे उल्टे दबाव परीक्षणों की सिफारिश की गई है, और इन्हें बोर्ड-स्तरीय जोखिम चर्चाओं का हिस्सा बनाया जा सकता है।

5. तथापि, कोई भी दबाव परिपूर्ण नहीं है; और न ही कोई जोखिम उपाय, जैसे कि जोखिम पर मूल्य या प्रत्याशित हानियां, जो ऐतिहासिक वितरण का प्रयोग करते हैं, भावी प्रतिफल गतिविधियों के स्वरूप का पूरी तरह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बैंकों को लचीलेपन के लिए भी सुदृढ जोखिम नियंत्रण प्रणालियां अपनाना आवश्यक हैं। इसमें संकेंद्रण सीमाएं शामिल हो सकती हैं, अतएव बैंक या तो सरकारी प्रतिभूतियों में आस्तियों के आंतरिक रूप से सहमत कुल अनुपात से ज्यादा एक्सपोजर नहीं करते हैं, या फिर यह अतिरिक्त एसएलआर बैंक द्वारा निवेश के लिए पूंजी आवंटन में जोखिम की शर्तों के अनुसार होना चाहिए।

6. ट्रेजरी स्तरीय प्रोत्साहन संबंधी मुद्दों को आगे संबोधित करने की दृष्टि से बैंक गत्यात्मक हानि-रोधक सीमाएं लगाने पर विचार कर सकते हैं। आगामी की हानियों से बचने के लिए एक बार निर्दिष्ट जोखिम पूंजी के एक विशिष्ट प्रतिशत को पार करने के बाद किसी जोखिम में वृद्धि को धीमा किया जाना चाहिए, या संभव हो, तो रोक ही देना चाहिए (यह प्राप्त पूंजी हानि की सीमा पर निर्भर करेगा), न कि प्रतिभूतियों के रोटेशन के द्वारा या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनदेखा करके अनुचित लाभ उठाना चाहिए। इसके बजाए, मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के द्वारा प्राप्त हानियों और अवशिष्ट जोखिम के बारे में बोर्ड को

सूचित करना चाहिए तथा निवेश पोर्टफोलियो के आकार पर निर्भर करते हुए, उसमें निहित जोखिम को एक समयबद्ध और क्रमिक रुप में कम किया जाए।

7. इसके अतिरिक्त, कोष-प्रधान तथा सभी महत्वपूर्ण जोखिम-लेनेवालों के लिए कैरियर प्रोत्साहन के रूप में यथार्थ परिणामों के अनुसार नकद भुगतान किया जाना चाहिए; और जो बैंक पूंजी को अनुमोदित स्तरों की तुलना में अत्याधिक सीमाओं तक रखते हैं और बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को अस्थिरता के कगार तक ले जाते हैं, और जब खराब या शून्य जोखिम प्रबंधन के कारण उनके दाँव गलत हो जाते हैं, तब उन्हें जवाबदेह माना जाना चाहिए। सभी उतार-चढ़ाव "श्यामवर्णी हंस" अर्थात् अनपेक्षित रूप से घटित होनेवाली प्रभावकारी घटनाओं के कारण नहीं होती, जिनमें जोखिम उठाने वाले समर्थन पाने के योग्य माने जाएं।

8. अंत में, हर बार जब सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभ में लगातार वृद्धि दिखाई देती है, तब सामान्यत: ऐसी निराशाजनक बकवास सुनाई देती है कि बाजार की गतिविधियां तर्कहीन हैं। बाजार की तार्किक या तर्कहीन गतिविधियों को अत्यधिक आवृत्ति के कारण पृथक कर पाना केवल कठिन ही नहीं है, बल्कि ऐसे ऐलान इस बात का संकेत भी हैं कि ऐसी बकवास करते हुए सरकारी बाँडों में दांव लगाने वाले लोगों को बाजार गतिविधियों के चालकों के बारे में कुछ भी अंदाज नहीं है। क्या ऐसा समय बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो जोखिमों की लगाम खींचने की सही समय नहीं है?

ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किंतु ब्याज दर जोखिम का निर्धारण, उसके प्रबंध के लिए प्रोत्साहन तथा उसके कार्यान्वयन के लिए ऊपर से नीचे तक संगठनात्मक कार्यनीति बनाने के लिए बैंक अभिशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।

बैंकों में अवधि जोखिम को संबोधित करनेवाले उपाय

कितने बैंक अपनी अवधि जोखिम का बेहतर प्रबंध करते हैं ?

फिलहाल इस जोखिम का प्रबंध जितनी कुशलता से किया जा रहा है, उसमें अभी बहुत कुछ वांछनीय है। हालांकि सरकारी प्रतिभूति जारीकर्ता द्वारा परिपक्वता संरचना के चयन तथा द्वितीयक बॉन्ड बाजार में तरलता के कारण अवधि जोखिम प्रबंधन बाधित होता है, किंतु बचाव (हेजिंग) बाजारों की भी सुविधा लेने से इस जोखिम का प्रबंध अधिक फुर्ती से किया जा सकता है। पीएसबी में बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों का लगभग 70.6% हिस्सा है। तथापि हेजिंग बाजारों में उनकी सहभागिता सीमित अथवा नगण्य है। द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग में उनका हिस्सा 33 प्रतिशत है, जबकि ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) और ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) खण्डों के हेजिंग क्रियाकलापों में उनका हिस्सा क्रमश: 4.61% & 13.40% है।

आइए, मैं विस्तार से बताता हूँ। आरबीआई ने 1999 में ओटीसी बाज़ार में रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी की शुरुआत की, यथा ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) तथा वायदा दर करार (एफआरए)। भारतीय बाजारों में वायदा दर करार (आईआरएफ) सबसे पहले 2003 में शुरु किए गए, किंतु 2014 में शुरु किए गए मौजूदा बॉन्ड वायदा बाजारों में ही वाजिब कार्यकलाप देखे गए। ब्याज दर उत्पादों में तरलता सामान्यत: कम ही रही है। ब्याज दर वायदा बाजार में खुला ब्याज और दैनिक परिमाण सामान्यत: 20 - 30 बिलियन रुपये के बीच होता है, जबकि ओवरनाइट इन्डेक्स स्वैप (ओआईएस) ब्याज दर

स्वैप बाजार में यह परिमाण लगभग 150 बिलियन रुपये है। इसके अलावा, बैंकों का केवल कुछ भाग ही ओटीसी बाजार में सक्रिय है। इस प्रकार दैनिक बॉन्ड बाजार के 400-500 बिलियन रुपये के औसत परिमाण की तुलना में ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजार काफी क्षीण हैं। इन बाजारों में चलनिधि को बढ़ाने हेतु इन बैंकों द्वारा ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजारों वायदा और स्वैप, दोनों में बेहतर सहभागिता आवश्यक है, जो कि बैंकों द्वारा अपने अत्यधिक अवधि जोखिम को कम करके भार दूसरों पर डालने के लिए आवश्यक है। जैसै-जैसे अधिक बचाववकर्ता (हेजर्स) इन बाजारों में पहुँचेंगे, बाजार निर्माताओं के लिए इन कार्यकलापों के लिए अधिक पूंजी आरक्षित करने को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे ब्याज दर जोखिम साझा करने का एक सुचक्र शुरू होगा, जो समयानुसार और अधिक जोशीले व्युत्पन्नी बाज़ार निर्माण करेगा।

दूसरे शब्दों में, बैंकों में कोष संबंधी कार्यो का तत्परता से आधुनिकीकरण करना, बोर्ड द्वारा सावधानी से संवीक्षा किया जाना, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंध व प्रथाओं से युक्त होना तथा विनिर्दिष्ट रूप से ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य वाले हेजिंग लिखतों के प्रयोग में प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

अब मैं इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि बैंकों को प्रतिफल में बड़े परिवर्तनों का प्रबंध किस प्रकार करना चाहिए।

प्रतिफल में संभाव्य बड़े परिवर्तनों का प्रबंध करने के उपाय

हमारे ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजारों के शुरुआती चरण को देखते हुए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि लिखतों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बाहुल्य के साथ प्रतिफल में बड़े परिवर्तन के प्रति एक्सपोजरों का प्रबंध करें। सभी विकल्प सामने रखे जाने चाहिए। बँकों में एसे विस्तृत जोखिम प्रबंधन में कमी का एक अक्सर उद्धृत कारण यह है कि प्रतिफल में बड़े परिवर्तनों को निष्प्रभावी कर सकने वाले हेजिंग बाजारों में उस आकार या गहनता या तरलता का अभाव है, जो बड़े बैंकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। यह तर्क कुछ हद तक ठीक है, परंतु बड़े बैंकों द्वारा सहभागिता का अभाव ही इन बाजारों को अतरल और छोटा बनाता है।

आरबीआई बाज़ारों के विकास - ट्रेडिंग, निपटान और रिपोर्टिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, उत्पादों की शुरुआत; मुक्ति (ईजिंग) प्रणालियां आदि के लिए उचित वातावरण निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु बाज़ार के साथ व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है।

भारत का सरकारी प्रतिभूति बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। हमने सरकारी प्रतिभूतियों, फोरेक्स तथा व्यापार स्वैप में प्रत्याभूत निपटान उपलब्ध कराया है। अधिविक्रय की सुविधा और वायदा और स्वैप बाज़ारों की उपलब्धता के बावजूद ऐसा लगता है कि अधिकतर बैंकों के निवेश कार्यकलापों में मुख्यत: दो चरण निहित हैं - खरीदना और अच्छी आशा रखना। किंतु आशा करना कोष-डेस्क की प्रमुख ट्रेडिंग रणनीति नहीं होनी चाहिए।

आरबीआई ने लगभग एक वर्ष पहले मुद्रा बाज़ार फ्यूचर्स के लिए भी अनुमति दे दी है। पहले की निर्धारत विधि से ये निर्देश काफी अलग हैं। विनिमयालयों को उत्पादों को बनाने और शुरू करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। हमें अभी तक अनुमोदनार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

इसी प्रकार, कुछ समय पहले ब्याज दर ऑप्शनों को भी अनुमति दी गई है, पर बाज़ार में अभी तक शुरुआत नहीं हुई। वर्षों पहले आरबीआई ने 'कब निर्गमीत' बाज़ार और पंजीकृत ब्याज और प्रधान प्रतिभूतियों की अलग ट्रेडिंग (स्ट्राइप्स) शुरू किया था, किंतु इनमें से कोई भी आकर्षक नहीं बना।

क्या इससे ये समझा जाए कि ब्याज दर उत्पाद किसी भी सहभागी के काम के नहीं हैं? या यह कि बैंकों के वर्चस्व वाले बाज़ार जोखिम प्रबंध विकल्पों का प्रयोग करने के अभ्यस्त नहीं हैं; बल्कि जब प्रासंगिक प्रतिलाभ अपना कुरूप सिर उठाने लगते हैं, तब वे विनियामक धैर्य की आशा रखते हैं।

उपसंहार

सारांश में, बाज़ार की स्वतंत्रता का मतलब केवल विनियामक द्वारा व्यवसाय प्रणालियों को मुक्त करना, नए उत्पादों की शुरुआत करना और नये बाज़ार निर्मित करना नहीं है। इसके लिए सहभागियों द्वारा लगातार विकासशील बाज़ार स्थितियों और उत्पादों के अनुसार स्वयं को पुन: कुशल करने हेतु पहल करना भी आवश्यक है। बाजार का विकास बाजार सहभागियों और विनियामकों के बीच एक दुतरफा परस्पर सक्रिय प्रक्रिया है। हम आशा करते हैं कि फिम्डा आगे चल कर बैंकों को संभाल कर अपनी भूमिका निभा सकता है।

अंत में, यह आशादायी है कि फिम्डा ब्याज दर बाज़ारों में अपने सदस्यों के कार्यकलापों के लिए आचार संहिता बना रहा है। भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा हाल ही में वैश्विक विदेशी मुद्रा संहिता को अपनाने के साथ ही जब फिम्डा ये संहिता अपना लेगा, तब बॉन्ड, मुद्रा और संबंधित व्युत्पन्नी बाज़ार सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अधीन होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रक्रिया तेज़ी से की जाएगी और फिम्डा सदस्य चालू तिमाही के अंत तक एक सार्वजनिक वेबसाइट पर हस्ताक्षर के द्वारा इस संहिता को अपना लेंगे।

संदर्भ

1. Viral V. Acharaya, Itamar Drechsler, and Philipp Schnabl (2012), "A tale of two overhangs: the nexus of financial sector and sovereign credit risks," Financial Stability Review, Banque de France, April 2012.
2. Viral V. Acharaya, Itamar Drechsler, and Philipp Schnabl (2015), "A Pyrrhic Victory? Bank bailouts and sovereign credit risk," Journal of Finance, 69(6), 2689-2739.
3. Viral V. Acharaya and Sascha Steffen (2015), "The "greatest" carry trade ever? Understanding Eurozone bank risks," Journal of Financial Economics, 115, 215-236.
4. Bruegel database of sovereign bond holdings developed in Merler and Pisani-Ferry (2012) (updated as of March 2017)- Silvia Merler and Jean Pisani-Ferry, "Who's afraid of sovereign bonds", Bruegel Policy Contribution 2012, February 2012 http://bruegel.org/publications/datasets/sovereign-bond-holdings/.

बैंक में प्रशिक्षकों का चयन एवं उन्हें प्रशिक्षण

संगठन की प्रकृति जैसी भी हो, इसकी सफलता अथवा असफलता के लिए कुछ कारण निश्चित रूप से उत्तरदायी होते हैं। इन कारणों में संगठन में कार्यरत मानव संसाधन की गुणवत्ता एवं संसाधनों के उपयोग का तरीका शामिल है। मानव संसाधन की गुणवत्ता इसके ज्ञान, कौशल एवं रुझान से निर्धारित होती है। साधन के रूप में बैंकों जैसे सेवा संगठनों के पास पूँजी, प्रौद्योगिकी, जनशक्ति आदि हुआ करती है। इनमें जनशक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सच तो यह है कि पूँजी तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग भी जनशक्ति से ही निर्धारित होता है। यदि संगठन के कर्मी पूँजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रभावी ढंग से करते हैं तो संगठन को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कुल मिला कर बात मानव संसाधन पर ही आ कर टिक जाती है। संगठन की कामयाबी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इसके कर्मी अपनी भूमिका को समझते हों तथा इस भूमिका को सही प्रकार से निभाने हेतु वे वांछित ज्ञान, कुशलताएँ एवं दृष्टिकोण रखते हों। इस हेतु संगठनो को अपनी जनशक्ति में निवेश करना होता है। यह निवेश विभिन्न रूपों में हो सकता है।

विजय प्रकाश श्रीवास्तव
संकाय सदस्य (सेवानिवृत्त)
बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

संगठन में पहले से कार्यरत लोग नए कर्मियों को सिखाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं तथा उनका मार्गदर्शन करते हैं। इन कार्यों जिन्हें कोचिंग एवं मेंटरिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, का कुछ हिस्सा औपचारिक एवं कुछ हिस्सा अनौपचारिक हो सकता है। कुछ संगठनों में कोचिंग एवं मेंटरिंग हेतु बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली प्रचलन में है।

निवेश का एक और रूप प्रशिक्षण का है जो व्यापक रूप से प्रयोग में है। अधिकांश बड़े व मझोले संगठनों ने अपने यहाँ इस हेतु तंत्र स्थापित कर रखे हैं। यह तंत्र प्रायः संगठन के मानव संसाधन अथवा प्रतिभा प्रबंधन विभाग के अधीन कार्य करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रशिक्षण को पहले से ही काफी महत्व दिया जाता रहा है। नए भर्ती स्टाफ सदस्यों के करियर की शुरुआत अक्सर इन्डक्शन पाठ्यक्रम से होती है। लिपिक एवं अधिकारी वर्ग हेतु आयोजित किए जाने वाले इस पाठ्यक्रम में प्रतिभागियों को संगठन के कार्यों, कार्यकलापों, संस्कृति, नियमों आदि की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा कार्मिकों को समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है। ये कार्यक्रम अलग –अलग विषयों को लेकर हो सकते हैं जैसे

1. कार्यमूलक (फंक्शनल) ज्ञान (अग्रिम, विदेशी मुद्रा विनिमय, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन आदि)

2. पदोन्नति उपरांत प्रशिक्षण- अधिकांश बैंक अपने यहाँ (अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग, लिपिक से अधिकारी संवर्ग तथा ऊपर के वेतनमानों में) नए पदोन्नत कार्मिकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें उन्हें उच्चतर दायित्वों हेतु तैयार करने की कोशिश होती है।

3. नवीन शाखा प्रबंधकों हेतु : पहली बार शाखा प्रबंधक बने अधिकारियों को शाखा परिचालनों के विभिन्न पक्षों से अवगत कराना

4. विशेषज्ञ अधिकारियों हेतु : विपणन, राजभाषा, सुरक्षा आदि क्षेत्रों के विशेषीकृत प्रशिक्षण

5. व्यक्तित्व विकास/ सॉफ्ट स्किल्स विषयक कार्यक्रम, कार्यशालाएँ आदि

प्रशिक्षकों के चयन की प्रक्रिया – कुछ विचार

प्रशिक्षण हेतु आवश्यक साधनों में स्थान, उपकरणों एवं प्रशिक्षकों को शामिल किया जाता है। क्लासरूम प्रशिक्षण हेतु ज़्यादातर बैंकों ने भौतिक सुविधाओं से लैस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रखे हैं। विगत करीब एक दशक में बड़ी संख्या में नवीन भर्तियों के कारण बैंकों ने प्रशिक्षण क्षमताओं के विस्तार की आवश्यकता महसूस की है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु कहीं नया ढाँचा जोड़ा गया है तो कहीं पहले से मौजूद संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की गई है। जिस प्रकार से बैंकिंग में बदलाव आ रहे हैं तथा इसमें नयी चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, उनसे भी प्रशिक्षण आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं। प्रशिक्षण की सफलता में भौतिक सुविधाएं निःसन्देह महत्वपूर्ण हैं पर इन सबसे अधिक महत्व प्रशिक्षक का है।

ज़्यादातर बैंक इन-हाउस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की अलग अर्थात बाहर से भर्ती नहीं करते। प्रशिक्षकों का चयन उनकी मौजूदा जनशक्ति से ही किया जाता है। इस चयन हेतु कई मानक निर्धारित किए गए होते हैं जो अक्सर अनुभव, शैक्षणिक एवं पेशेवर योग्यताओं, आयु आदि को लेकर होते हैं। विभिन्न बैंकों में इस हेतु अपनायी जाने वाली पद्धतियों के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं -

- चयन में ज्यादा उम्र के तथा लंबा अनुभव रखने वालों को वरीयता मिलती है।
- भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आई आई बी एफ) की जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण होना एक वांछनीय योग्यता है। अन्य बातें समान रहने पर एमबीए उपाधि धारकों को ज्यादा महत्व मिलता है।
- ऋण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के जानकारों की अधिक मांग है।
- कुछ बैंक प्रशिक्षकों के लिए शाखा प्रबंधक का अनुभव होना अनिवार्य मानते हैं।
- अधिकांश बैंक आवेदकों की पिछले वर्षों की निष्पादन रेटिंग को भी आधार बनाते हैं।
- शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में साक्षात्कार एवं इसके साथ समूह चर्चा के लिए बुलाया जाता है। कुछ बैंक उम्मीदवारों को प्रदर्शनात्मक व्याख्यान (डिमांस्ट्रेशन लेक्चर) देने के लिए भी कहते हैं।

इस प्रकार रिक्तियों की संख्या के अनुसार चुने गए उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें संबंधित बैंक के प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थ किया जाता है। चयनित प्रशिक्षकों का कार्यकाल बैंक विशेष की नीतियों पर निर्भर करता है। इस कार्यकाल की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष है। कुछ बैंकों ने अधिकतम कार्यकाल की कोई सीमा नहीं रखी है बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो। शेष बैंकों में यह सीमा 5 से 6 वर्षों तक है।

गिने चुने बैंकों में प्रशिक्षकों की भर्ती बाहर से कर उन्हें स्थायी/ नियमित (परमानेंट) संकाय का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके साथ बैंक से लिए गए कुछ प्रशिक्षक भी होते हैं।

सरकारी बैंकों में से अधिकांश काफी पुराने हैं। कुछ तो अपनी स्थापना के 100 वर्षों से भी अधिक पूरे कर चुके हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि उनके द्वारा कार्मिकों, जिनमें प्रशिक्षक भी शामिल हैं, के चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जाँची – परखी होगी तथा वे इससे संतुष्ट होंगे। संगठनों में एक बार स्थापित परंपरा को बदल पाना मुश्किल होता है। प्रशिक्षकों के चयन हेतु निर्धारित मानदंड तथा प्रक्रिया आदि की समीक्षा करने की आवश्यकता भी कम ही महसूस की गई है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बैंक प्रशिक्षकों की भूमिका निभाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने में समर्थ रहे हैं और क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि बैंकों को बेहतर गुणवत्ता वाले प्रशिक्षक मिलें।

एक अच्छा बैंकर अच्छा प्रशिक्षक भी साबित हो यह जरूरी नहीं। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है पर हम में से कई लोगों ने इस सच्चाई को महसूस किया होगा। कुशल बैंकरों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रशिक्षक नहीं बनना चाहते। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं जैसे संबंधित व्यक्ति का बैंकिंग परिचालन के प्रति अधिक रुझान होना या प्रशिक्षक बन कर सत्र लेने हेतु आवश्यक आत्म विश्वास का न होना। पब्लिक स्पीकिंग को सबसे मुश्किल कार्यों में से एक माना जाता है। ज़्यादातर लोग एक दो लोगों के साथ या छोटे मोटे समूहों के समक्ष अपनी बात तो रख पाते हैं पर भरी कक्षा में या सभागार में बड़े समूह के सामने खुद को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। किसी चीज को खुद समझने तथा दूसरों को समझा पाने में फर्क होता है। एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो मुखर तो हैं पर जिनका ज्ञान विशद नहीं है अथवा सतही है। इन दोनों वर्गों को प्रशिक्षक की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

प्रशिक्षक के रूप में बैंकों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बैंकिंग व इससे जुड़े पक्षों को भली-भांति समझते हों और जिनका पठन-पाठन के प्रति रुझान हो। इस रुझान को अकादमिक ओरियंटेशन का नाम दिया गया है। साथ में संप्रेषण कुशलता एक आवश्यक अपेक्षा है। बैंकों के पास इन सभी योग्यताओं अथवा खूबियों से युक्त लोग मौजूद हैं। चुनौती इन लोगों को ढूँढ निकालने की है। संगठनों में मानव संसाधन विभाग के पास बहुतेरे दायित्व होते हैं। इन्हीं में से एक है विभिन्न भूमिकाओं हेतु प्रतिभाओं की पहचान करना। कम्पेटेंसी मैपिंग एवं अन्य तरीकों से बैंक ऐसे लोगों की पहचान कर सकते हैं जो प्रशिक्षक का दायित्व संभालने के योग्य समझे गए हों। लेकिन केवल इस पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा।

बेहतर चयन के लिए चयन के आधार को व्यापक बनाने की जरूरत होगी। चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मानदंड स्पष्ट एवं परिभाषित होने के साथ प्रशिक्षक के पद हेतु विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता –

- संगठन में साफ सुथरा कार्य निष्पादन रिकार्ड
- स्नातक जैसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से ऊपर की योग्यता जिसमें प्रोफेशनल योग्यताएं शामिल हैं।
- कम से कम 5 वर्षों का कार्य अनुभव, जिसमें बैंकिंग की समझ हासिल की गई हो।

साथ ही आवेदकों से एक स्टेटमेंट ऑफ परपज लेना, जिसमें यह बताया गया हो कि वे प्रशिक्षक की भूमिका के लिए स्वयं को किस प्रकार से उपयुक्त समझते हैं, प्रशिक्षक क्यों बनना चाहते हैं तथा इस क्षेत्र में किस प्रकार से नया योगदान करेंगे। चयन प्रक्रिया के दौरान आवेदक के साथ इस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए।

शार्टलिस्टिंग के पश्चात चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए –

व्यक्तिगत साक्षात्कार : इस साक्षात्कार में पूरी कोशिश प्रशिक्षक बनने हेतु उम्मीदवार की उपयुक्तता समझने पर होनी चाहिए। सवाल इसी उपयुक्तता को जाँचने परखने से जुड़े होने चाहिए। इस साक्षात्कार को अभिरुचि परीक्षण (एप्टीट्यूड टेस्ट) का रूप दिया जाना बेहतर होगा।

साक्षात्कारकर्ताओं के चयन में भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। साक्षात्कार मण्डल में बहुमत ऐसे सदस्यों का होना चाहिए जिन्हें प्रशिक्षण के क्षेत्र का ज्ञान हो तथा जिन्हें अच्छी तरह से पता हो कि उन्हें किन खूबियों वाले उम्मीदवारों का चयन करना है। साक्षात्कारकर्ताओं के प्रश्न केंद्रित होने चाहिए तथा उद्देश्य ऐसे लोगों को पहचानने का होना चाहिए जो प्रशिक्षक की भूमिका के सबसे अधिक उपयुक्त हों।

समूह चर्चा : समूह चर्चा में उम्मीदवारों का प्रदर्शन एक सीमा तक उनके संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास एवं टीम भावना को दर्शाता है। ये सभी गुण अच्छा प्रशिक्षक बनने के लिए आवश्यक हैं।

इन दोनों चरणों के साथ प्रदर्शनात्मक व्याख्यान को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अनुभव यह बताता है कि कई बार ऐसे सत्र में उम्मीदवार योग्य होते हुए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। जिन लोगों को समूह के समक्ष बोलने का पूर्व अनुभव नहीं है वे विषय की समझ और / या तैयारी के बावजूद घबराए दिखते हैं, न ही उनका आत्मविश्वास उभर कर सामने आ पाता है। यहाँ प्रदर्शन का आकलन अथवा मूल्यांकन करते समय इन पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। स्वाभाविक आत्मविश्वास एवं ओढ़े हुए आत्मविश्वास में फर्क करना जरूरी है। बैंक में प्रशिक्षक के रूप में चुने गए लोगों के काफी मामलों में पाया गया कि शुरू में भले ही उनका निष्पादन औसत रहा हो, अभ्यास एवं अनुभव के साथ यह बेहतर होता गया है। यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि प्रशिक्षक का दायित्व संभालने के समय से ही उम्मीदवार उत्कृष्ट निष्पादन करेंगे। उन्हें इस हेतु थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए।

प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (ट्रेन द ट्रेनर) कार्यक्रम : नव चयनित प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की परंपरा अब प्रायः सभी बैंकों में है लेकिन इसका स्वरूप अलग-अलग हो सकता है। सभी तरीके अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु पूरी तरह तैयार करने हेतु विभिन्न आयामों वाला एक मॉडल नीचे सुझाया गया है जिसमें शामिल हैं –

अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन : बैंक के संस्थानों में पहले से कार्यरत अनुभवी प्रशिक्षक नव नियुक्त प्रशिक्षकों के लिए मेन्टर का कार्य कर सकते हैं। यह मेंटरिंग प्रत्येक नए प्रशिक्षक को एक पुराने प्रशिक्षक के साथ सम्बद्ध करके की जा सकती है। यह भी हो सकता है कि नए व पुराने प्रशिक्षक आवधिक रूप से साथ बैठें, उनके बीच विचारों का आदान- प्रदान हो, नए लोगों को वाजिब सलाह दी जाए तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया जाए। यह भी आवश्यक है कि नए संकाय सदस्य प्रशिक्षण केंद्र पर संचालित कक्षाओं में बैठें और जो भी नए या पुराने संकाय सदस्य सत्र ले रहे हों, उनके द्वारा अपनाई जा रही शैली एवं पद्धत्तियों से उपयोगी बाते ग्रहण करें। पुराने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तकनीकों के बारे में व्याख्यात्मक सत्र भी ले सकते हैं।

उपर्युक्त के साथ यह भी जरूरी है कि नए प्रशिक्षकों को किसी पेशेवर संस्थान में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए। लखनऊ स्थित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, पुणे के राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थानों आदि में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। यदि प्रशिक्षणार्थियों की संख्या ज्यादा हो तो तो ये संस्थान संगठन विशेष के बैच हेतु कस्टमाइज्ड कार्यक्रम भी करने को तैयार रहते हैं। इस कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम एक सप्ताह (5-6 दिवस) की रखी जाए तो बेहतर रहेगा। 3 या कम दिनों के कार्यक्रम छोटे पड़ते हैं। इस लेख को तैयार करते समय ऐसे कई कार्यक्रमों की विषय सूची पर नज़र डाली गई। जो महत्वपूर्ण बातें सामने आईं वे इस प्रकार हैं-

- ज़्यादातर सत्र प्रशिक्षण पद्धत्तियों को लेकर होते हैं। इनमें व्याख्यान, रोल प्ले, इन बास्केट एक्सरसाइज़, केस स्टडी, समूह चर्चा जैसी पद्धतियां शामिल हैं। प्रशिक्षण प्रभावशीलता के मूल्यांकन पर भी चर्चा होती है।
- सम्प्रेषण कौशल पर दो या अधिक सत्र रखे जाते हैं।
- वर्तमान समय में बैंकों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, इस पर चर्चा की जाती है। कई बार इस सत्र को लेने हेतु वरिष्ठ बैंकर आमंत्रित किए जाते हैं।
- कुछ मामलों में वित्तीय समावेशन, लघु एवं मध्यम उद्योग, अपने ग्राहक को जानें आदि विषयों को भी शामिल किया गया है।
- प्रशिक्षणार्थियों को प्रदर्शनात्मक सत्र लेने को कहा जाता है। प्रशिक्षकगण इसका बारीकी से मूल्यांकन कर अपनी टिप्पणी एवं सुझाव देते हैं। अक्सर इन सत्रों की वीडियो रिकार्डिंग कर इन्हें री प्ले किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रतिभागी खुद को देख सकते हैं तथा सुधार की जरूरतों को समझ सकते हैं।

बैंक के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रमों की ऊपर वर्णित रूप रेखा से असहमत होने का कोई प्रश्न नहीं है तथापि इन कार्यक्रमों को सामरिक, सामयिक, उपयोगी एवं कारगर बनाने हेतु निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का सुझाव है –

प्रशिक्षण की नवीन तकनीकें : आज अनेक प्रगतिशील संगठन प्रशिक्षण के नए तरीकों जैसे गेमिफिकेशन, अनुभवात्मक सीख (एक्सपिरीयंशियल लर्निंग) को अपनाने पर ज़ोर दे रहे हैं। बैंकिंग प्रशिक्षण में भी इन्हें यथास्थान उपयोग करने की जरूरत है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रमों में इन तकनीकों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

क्षमता निर्माण एवं विकास का महत्व एवं इसमें प्रशिक्षकों की भूमिका : बैंक में क्षमता निर्माण एवं विकास क्यों जरूरी है इस पर उदाहरणों के साथ विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मानव संसाधन से जुड़ा यह मुद्दा बैंक परिचालनों को प्रभावित करता है। बैंकिंग में कई समस्याएँ क्षमता विकास की उपेक्षा से उत्पन्न हुई हैं। प्रशिक्षकों के मन में यह बात बैठाई जानी चाहिए कि अपनी भूमिका का सही प्रकार से निर्वाह कर वे मानव संसाधन की गुणवत्ता एवं संगठन के निष्पादन में व्यापक सुधार कर सकते हैं।

पेशे के प्रति गौरव : कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक यह भी होना चाहिए कि प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में बैंकिंग के उनके पेशे के प्रति गौरव पैदा करें। प्रशिक्षकों को भी एहसास कराया जाना चाहिए कि बैंक ने उन्हें गौरवशाली भूमिका निभाने के लिए चुना है।

प्रशिक्षकों को उनके व्यापक दायित्वों से परिचित कराना: किसी भी भूमिका में निहित संभावनाओं का पूरा लाभ लेने हेतु आवश्यक है कि भूमिका को सीमाओं में न बांध कर व्यापकता में देखा जाए। काफी मामलों में धारणा यह है कि प्रशिक्षकों का कार्य केवल सत्र लेना है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षकों को संदेश जाना चाहिए कि ऊपर वर्णित दायित्वों के साथ उन्हें और दायित्व भी निभाने हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल है – 'क्यों' अर्थात प्रश्न पूछने की संस्कृति विकसित करना, अनुपालन जो बैंक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण अंग है, के लिए लोगों में प्रतिबद्धता जागृत करना तथा नवीन ज्ञान का सृजन करना।

ऊपर जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम की चर्चा की गई है वह सभी नए प्रशिक्षकों के लिए है। प्रशिक्षकों को विशेषज्ञता का क्षेत्र आबंटित करने हेतु उन्हें विषय (डोमेन) केंद्रित प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जा सकता है। ऐसे कुछ विषय जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी परिचालन, साइबर सुरक्षा, कारपोरेट ऋण, विपणन वगैरह हो सकते हैं।

पीयर टू पीयर लेन्डिंग
"हमें बैंकिंग चाहिए किंतु बैंक नहीं" - बिल गेट्स

आज के इस तकनीकी युग में हमारा जीवन पल पल बदल रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में नित नए परिवर्तन आ रहे हैं। इस परिवर्तन के प्रभाव में कारोबार भी आ गया है जो हर रोज एक नवीन रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो रहा है। पड़ोस के किराने की दुकान की जगह ई-कॉमर्स ने ले ली है, लोकल टैक्सी और रिक्शा के बदले ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता आ गए हैं और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव आए हैं। इन बदलावों के कारण ग्राहकों के व्यवहार में भी परिवर्तन आया है और वे अधिक से अधिक सेवाओं का लाभ अपनी सुविधानुसार घर बैठे अथवा कार्यालय में रहते हुए पाना चाहते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन में सहजता को सबसे अधिक प्राथमिक बना दिया है। हम अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन चाहते हैं। बैंकिंग सेवाओं के मामले में भी देखा गया है कि अब अधिकतर ग्राहक पारंपरिक वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक नहीं जाते हैं, अपितु वे इनके लिए इंटरनेट की मदद से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार का एक और उदाहरण है क्राउडफंडिंग जिसमें इंटरनेट आधारित नये मॉडल और नवीन अवसर ने पारंपरिक व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न की है।

उमेश कुमार
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

* इस लेख को तैयार करने में श्री अनुज शर्मा, प्रबंधक को सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद। श्री सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक, डीएनबीआर को इस लेख को लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए आभार।

अवधारणा

पीयर टू पीयर लेन्डिंग क्राउड फंडिंग का एक मॉडल है जिसमें ऋणदाता और उधारकर्ता एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिलते हैं। इनमें पीयर टू पीयर लेन्डिंग के कुछ प्लेटफार्म विभिन्न व्यक्तियों के मध्य ऋण उपलब्ध कराते हैं; जबकि कुछ दूसरे प्लेटफार्म निधि एकत्र करके व्यक्तियों और छोटे तथा मँझोले आकार के कारोबारियों को ऋण देते हैं। इस प्लेटफार्म के माध्यम से ऋणदाता अपनी जोखिम धारिता के आधार पर उधारकर्ताओं को ऋण देकर ब्याज अर्जित कर सकता है। दूसरी ओर, जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है, वे बैंक की तुलना में कम लागत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह तब अधिक उपयोगी सिद्ध होता है जब कोई उधारकर्ता बैंक के समक्ष अपनी साख सिद्ध नहीं कर पाता। कई बार ऋण की राशि इतनी कम होती है जो कि किसी बैंक के लिए मुनाफे का सौदा न हो। पीयर टू पीयर लेन्डिंग में ऋणदाता और उधारकर्ता आपसी सहमति से ब्याज दर तथा अवधि निर्धारित करते हैं और ऋण के लिए शर्तें भी तय करते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए शादी के लिए बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफार्म से इसकी तुलना की जा सकती है। इसमें कोई भी व्यक्ति प्लेटफार्म पर ऋणदाता अथवा उधारकर्ता के रूप में अपना खाता बना सकता है। इसके पश्चात आवश्यकतानुसार ऋण ले अथवा दे सकता है। इन स्थितियों में पीयर टू पीयर लेन्डिंग ऋण प्राप्त करने का सरल और सस्ता माध्यम साबित होता है।

ऋण उपलब्ध कराने के पारंपरिक तरीके बनाम पीयर टू पीयर लेन्डिंग

पारंपरिक ऋणदाताओं में बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं जो व्यक्ति तथा संस्था द्वारा किये गए जमाराशि में से उधारकर्ताओं को उनकी साख का मूल्यांकन करके ऋण प्रदान करते हैं। ऐसे ऋणदाता मूल जोखिम का अनुमान लगाते हैं अर्थात उधारकर्ताओं द्वारा ऋण राशि की चुकौती न किये जाने की स्थिति में उनके जमाकर्ताओं/निवेशकों अथवा ऋणदाताओं को सीधे तौर पर कोई हानि नहीं होगी। इन संस्थाओं के लिए विनियामक पूँजी संबंधी अपेक्षाएं हैं और इसके साथ ही विभिन्न मध्यस्थक सेवाओं (Intermediation services) द्वारा गत वर्षों में अर्जित लाभ का एक हिस्सा उधारकर्ताओं द्वारा ऋण वापस नहीं कर पाने की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए अलग से रखी जाती है। ऋण देने से पूर्व ये उधारकर्ताओं में दायित्वों को निभाने की क्षमता और उनकी नीयत का मूल्यांकन करते हैं। किसी कारणवश आस्तियों के एनपीए में परिणत होने की स्थिति में भी वे अपने हित के लिए उधारकर्ताओं से ऋण की उगाही करते रहते हैं। ऋण देने वाली पारंपरिक संस्थाओं की ये विशेषताएं पीयर टू पीयर लेन्डिंग प्लेटफार्म में नहीं होती हैं। ये केवल एक एजेंट की तरह कार्य करते हैं जो एक सेवा शुल्क के बदले ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को एक साथ लाने का काम करते हैं। ये उधारकर्ताओं द्वारा ऋण वापस नहीं किये जाने या उनकी क्षमता में नहीं होने की स्थिति में होने वाले नुकसान का मूल्यांकन नहीं करते। इसके साथ ही वे इन हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करते हैं क्योंकि इसमें उनका पैसा नहीं लगा होता। इसके साथ ही इस कारोबार (पीटूपी लेन्डिंग) को शुरू करने और संचालित करने के अतिरिक्त कोई अन्य पूँजी की आवश्यकता भी नहीं है। ये उन उधारकर्ताओं के साथ उगाही के लिए प्रयत्न करते हैं किंतु यह उनके अन्य सेवाओं में शामिल है जिसके लिए वे ऋणदाताओं से शुल्क लेते हैं और इसमें इस प्लेटफार्म की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। वास्तव में ये कंपनियाँ कोई वित्तीय कंपनी नहीं हैं। ये प्लेटफार्म तकनीकी कंपनियों की तरह कार्य करते हैं, जो एक प्रकार से ऋण के लिए ऑनलाइन बाजार का निर्माण करते हैं। अब यह पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर है कि वे इसे अपने कारोबार का माध्यम बनाएं अथवा इनके साथ कारोबारी प्रतिस्पर्धा करें।

पीयर टू पीयर लेन्डिंग का महत्व

पीयर टू पीयर लेन्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता वित्तीय मध्यस्थता की लागत को कम करना है। इन प्लेटफार्मों को न तो जमाकर्ताओं और निवेशकों को लाने तथा उनसे संबंधित सेवाओं के लिए मानवश्रम की आवश्यकता होती है और न ही ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की। साथ ही इन्हें किसी बड़े भवन अथवा अन्य मूलभूत संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती और न ही किसी विधिक विशेषज्ञ की। सेवाओं को निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म की तरह इन्हें भंडारण सुविधाओं और अन्य लॉजिस्टिक्स में किसी तरह की बड़े निवेश की आवश्यकता भी नहीं होती है। इन्हें किसी भौतिक सामग्री को किसी उपभोक्ता अथवा ग्राहक तक पहुंचाने की जरूरत नहीं होती है। इनका कार्य पैसे को अंतरित करने का होता है जिसके लिए किसी बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। इस व्यवस्था में बहुत कम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन विशेषताओं के कारण यह बहुत ही कम लागत पर ऋण सेवाओं को संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है। इनकी सेवाएं पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बहुत आगे है। इनका मुख्य लक्ष्य ऐसे उधारकर्ता हैं जिन्हें वैयक्तिक ऋण की आवश्यकता हो। इनमें विशेष रूप से छोटे कारोबारी और वेतनभोगी उधारकर्ता शामिल हैं। इनके लिए यह इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं की तुलना में सस्ता होता है और इसमें दस्तावेजी झंझट भी कम है। इसमें ऋणदाता सामान्यतया उच्च आय वाले वेतनभोगी होते हैं जो बेहतर मुनाफे के लिए थोड़ा अधिक जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं। कई मामले में तो इन प्लेटफार्मों का बैंक और एनबीएफसी

सहित पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौता होता है जिसमें वे उधारकर्ताओं को ऋण मुहैया कराते हैं।

पीयर-टू-पीयर लेन्डिंग प्लेटफॉर्म हेतु पात्रता

पीयर-टू-पीयर लेन्डिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना केवल कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत कम्पनी द्वारा की जा सकती हैं और इसके लिए उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग विनियमन विभाग से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी निवल स्वाधिकृत निधि दो करोड़ रुपए अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी किसी राशि से अधिक हो। इसके अतिरिक्त पंजीकरण की प्रक्रिया में यह भी देखा जाता है कि कंपनी के पास आवश्यक तकनीकी, कारोबारी साहस और प्रबंधकीय कार्मिक सुविधा उपलब्ध है तथा कंपनी के प्रोमोटर तथा निदेशक फिट एंड प्रोपर हों। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित फार्मेट में आवेदन प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

कार्यप्रणाली

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -पीयर टू पीयर द्वारा अपने बोर्ड से अनुमोदित कार्यनीति का अनुपालन किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर वे ही लोग जुड़ते हैं जिन्हें या तो ऋण देना हो अथवा ऋण प्राप्त करना हो। अतः इस प्लेटफॉर्म से ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को जुड़ने हेतु पात्रता निर्धारित की जाती है। इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सेवा शुल्क निर्धारित किया जाता है। ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को मिलाने के लिए एक समान और पक्षपातरहित तरीके से नियम निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही इससे जुड़े ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं की सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है और यदि कभी कंपनी द्वारा सेवाओं को आउटसोर्स किया जाता है तो भी यह कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि गोपनीयता की इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। ऋण जारी करने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने हेतु एक न्यास द्वारा संचालित एस्क्रो खाते को माध्यम बनाया जाता है। इसमें कम से कम दो एस्क्रो खातों का उपयोग किया जाता है- एक ऋणदाता से प्राप्त निधि को जारी किये जाने हेतु लंबित रखने के लिए और दूसरा उधारकर्ता से प्राप्त निधि को संगृहीत करने के लिए। इस लेन-देन में निधि अंतरण केवल बैंक खातों के माध्यम से ही होगा, न कि नकद रूप में। ऋणों को तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जबतक कि ऋणदाता/ऋणदाताओं द्वारा संबंधित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को अनुमोदित न कर दिया गया हो और सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा इससे जुड़े करार पर हस्ताक्षर न कर दिया गया हो।

विवेकपूर्ण मानदंड

1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर के रूप में पंजीकृत कंपनियां 2 से अधिक लीवरेज अनुपात नहीं रख सकती हैं।

2) इसके माध्यम से कोई भी ऋणदाता किसी भी समय सभी पीयर टू पीयर कंपनियों के प्लेटफार्म पर सभी उधारकर्ताओं को अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ही ऋण दे सकता है।

3) इसके माध्यम से कोई भी उधारकर्ता किसी भी समय सभी पीयर टू पीयर कंपनियों के प्लेटफार्म पर सभी ऋणदाताओं से अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ही ऋण प्राप्त कर सकता है।

4) कोई भी ऋणदाता किसी भी समय सभी पीयर टू पीयर कंपनियों के प्लेटफार्म पर एक ही उधारकर्ता को अधिक से अधिक 50 हजार ही ऋण प्रदान कर सकता है।

5) दिये गए ऋण की परिपक्वता अवधि अधिक से अधिक तीन वर्ष की होगी।

6) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर का यह दायित्व होगा कि वह उधारकर्ता अथवा ऋणदाता से आवश्यकतानुसार इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

कार्यक्षेत्र का दायरा

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर के रूप में पंजीकृत कंपनियां मात्र पीयर टू पीयर लेन्डिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने संबंधी मध्यस्थता का कारोबार कर सकती है। ये न तो स्वयं किसी प्रकार की जमाराशि स्वीकार कर सकती हैं और न ही किसी को स्वयं उधार दे सकती हैं। इसके साथ ही यह किसी को क्रेडिट गारंटी भी नहीं दे सकती है। यह उधारदाताओं द्वारा देय ऋण और ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त राशि को अपने तुलन पत्र में शामिल नहीं कर सकती है। ऋण संबंधी बीमा उत्पाद के अतिरिक्त किसी अन्य उत्पाद का प्रति विक्रय नहीं कर सकती है। भारत के बाहर से किसी भी प्रकार के निधि अंतरण को अनुमति नहीं दे सकती है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े पक्षकारों को सभी संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करवाएगी। प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदत्त सेवाओं और पक्षकारों से संबंधित सभी आंकड़े भारत में ही हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखेगी।

पारदर्शिता और प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर ऋणदाताओं के समक्ष उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से संबंधी जानकारी यथा- व्यक्तिगत पहचान, अपेक्षित ऋण, अपेक्षित ब्याज दर तथा कंपनी द्वारा निर्धारित क्रेडिट स्कोर देने होंगे। इसके अतिरिक्त अनुमानित आय, शुल्क तथा करों सहित ऋण की नियम व शर्तों का विवरण भी देना होगा। यह कंपनी उधारकर्ता को ऋणदाताओं द्वारा प्रस्तावित राशि, उस पर लागू ब्याज दर की जानकारी तो दे सकती है किंतु ऋणदाताओं की वैयक्तिक पहचान और संपर्क विवरण नहीं दे सकती है। इसके अतिरिक्त उक्त श्रेणी की कंपनी अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित विज्ञापन देगी-

1) साख मूल्यांकन/स्कोर की विधि और इससे संबंधित पहलुओं की जानकारी
2) आंकड़ों का प्रयोग/की सुरक्षा
3) शिकायत निवारण प्रक्रिया
4) मासिक आधार पर गैर निष्पादित आस्तियों की हिस्सेदारी सहित पोर्टफोलियो निष्पादन और उसका अवधिवार वर्गीकरण।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर यह सुनिश्चित करेगी कि किसी उधारकर्ता द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु ली जाने वाली सेवा के लिए सभी पक्षकारों और उक्त श्रेणी की कंपनी के बीच करार हो चुके हैं। इस करार में विभिन्न पक्षकारों यथा उधारकर्ता, ऋणदाता और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर के बीच श्रेणीवार सभी नियम व शर्तों का उल्लेख किया गया हो। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाने वाला ब्याज दर वार्षिक ब्याज दर वार्षिक प्रतिशत दर प्रारूप में होगा।

उचित व्यवहार संहिता

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर अपने बोर्ड से अनुमोदित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश पर आधारित उचित व्यवहार संहिता लागू करेगी। इसे अपने वेबसाइट पर विभिन्न पक्षकारों की जानकारी के लिए प्रदर्शित करेगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर का यह दायित्व होगा कि वह ऋणदाता से इस आशय की स्पष्ट घोषणा ले कि उसे इसकी समझ है कि प्रस्तावित ऋण में जोखिम है और कर्ज चुकौती की कोई गारंटी नहीं है; इस बात की भी संभावना है कि उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में संपूर्ण मूल राशि भी डूब जाए। यह प्लेटफॉर्म ऋण की वसूली संबंधी कोई आश्वासन नहीं देता है। इसके अतिरिक्त यह प्लेटफॉर्म यह चेतावनी प्रदर्शित करेगा कि "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर के किसी वक्तव्य अथवा प्रस्तुति अथवा राय की यथार्थता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की कोई जिम्मेदारी

नहीं है, और इसके द्वारा दिये गए ऋण की चुकौती का कोई आश्वासन नहीं देता है।" ऋण की वसूली के लिए उक्त श्रेणी की कंपनी किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं करेगी।

चुनौतियां

इस क्षेत्र की अनेक चुनौतियां और चिंताएं हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इन्हें निम्नलिखित रूप से सूचीबद्ध कर सकते हैं-

(1) इस प्रणाली में स्वाभाविक रूप से जोखिम विद्यमान है जिसमें अनभिज्ञ ऋणदाता बेईमान उधारकर्ताओं द्वारा ठगा जा सकता है। इंटरनेट पर आधारित होने के कारण इस प्लेटफार्म पर उधारकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया किसी भी स्थिति में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसकी वजह से खुदरा ऋणदाता, जिसके पास व्यावसायिक ऋणदाता की तरह ज्ञान अथवा उतार-चढ़ाव को सहने की क्षमता नहीं है, उसे अपेक्षाकृत अधिक नुकसान सहना पड़ सकता है।

(2) इस प्लेटफार्म पर केवल अनुकूल परिस्थितियों में होने वाले लाभ को प्रस्तुत कर इसे मुनाफा कमाने का बहुत अच्छे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि विपरीत परिस्थितियों में होने वाले जोखिम को छिपाकर ऋणदाताओं को गुमराह करने की पूरी संभावना है।

(3) इस प्लेटफार्म में उधारकर्ताओं को संभावित ऋणदाताओं के साथ अपने पारिवारिक और वित्तीय स्थिति सहित अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा करनी होती है। इन सूचनाओं को साझा करने के पश्चात उधारकर्ताओं की पहचान उजागर होने अथवा उनकी सूचनाओं का गलत उपयोग किये जाने का खतरा रहता है।

(4) इसमें उधारकर्ताओं की साख को ऋण के लिए आवेदन प्राप्त होने के समय के लिए ही देखा जाता है और उसे समय-समय पर अथवा आवधिक रूप से नहीं देखा जाता है। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता की साख में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर ऋणदाता को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है।

(5) यदि किसी कारण से प्लेटफार्म अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से अपना कारोबार बंद करता है तो ऐसी स्थिति में भी ऋणदाताओं के पोर्टफोलियो पर जोखिम उत्पन्न हो सकता है अथवा ऋण की वापसी नहीं हो सकती है। प्लेटफार्म बंद होने की स्थिति में भी इस बात की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रचालन जारी रहे ताकि ऋणदाताओं को पैसा वापस मिल सके।

(6) पीयर टू पीयर लेन्डिंग मुख्यतः इंटरनेट आधारित गतिविधि है इसलिए साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिम बना रहेगा और इसे देखते हुए इस प्लेटफार्म को तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी ताकि इन जोखिमों को दूर किया जाए।

भविष्य

पीयर टू पीयर लेन्डिंग वित्त प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में उभर सकता है। कम लागत के कारण यह ऋण दरों में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कमी लाएगा। इसलिए इसके महत्व को स्वीकार करने की जरूरत है। इस प्लेटफार्म से सभी प्रतिभागियों अर्थात उधारकर्ताओं, ऋणदाताओं और एजेंसी इत्यादि को इतना अधिक लाभ है कि इसे किसी भी तरह अनदेखा नही किया जा सकता है। इस प्लेटफार्म पर अनभिज्ञ ऋणदाता पर्याप्त जांच प्रक्रिया अपनाए ही उच्च रिटर्न की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके साथ ही यह भी संभव है कि कोई धोखेबाज विभिन्न पहचान के आधार पर अनेक ऋणदाताओं से अनेक ऋण ले सकता है और धोखाधड़ी कर सकता है। इस प्रकार की गतिविधियों से हंगामा उत्पन्न हो सकता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफार्म और विनियामक की जिम्मेदारी है कि जनता को यहां निवेश करने पर होने वाली संभावित जोखिमों के बारे में प्रशिक्षण दे।

बैंकों में वैश्विक चुनौतियाँ

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है –उसका बैंकिंग तंत्र, लिहाज़ा बेहद जरूरी हो जाता है कि उसकी बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो। 2008 में अमेरिका में आई मंदी, जब फेडरल रिज़र्व को 2008 से 2012 के दौरान 465 बैंकों को बन्द करना पड़ गया, के असर से क्या वहां के बाशिंदे आज भी पूरी तरह उबर पाए हैं। भारत जैसे विकासशील देश की तो लाइफलाइन ही बैंकिंग प्रणाली है जो देश के आर्थिक विकास के शकट को गति देने के लिए 'केटेलिटिक एजेंट' की भूमिका निभाती है। शोध और आंकडों की ज़ुबानी देखें तो पता चलता है कि भारत के बैंकिंग तंत्र में विकास और विस्तार की इतनी संभावनाएं है कि सधे कदमों से मंज़िल की ओर कदम बढ़ाए जाएं तो यह 2020 के अंत तक विश्व की पांचवीं और 2025 तक विश्व की तीसरी बड़ी बैंकिंग प्रणाली बनने की क्षमता रखती है। 2007 से 2014 के बीच हमारे बैंकिंग तंत्र की कुल जमाओं और अग्रिमों में 20% की सीएजीआर दर्ज हुई, यानी शानदार प्रदर्शन और अभी भी इनमें वृद्धि की काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

मंजुला वाधवा
समप्र-नाबार्ड
हरियाणा क्षेका, चंडीगढ़

जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण मानदंडों अर्थात बॉसेल -III अपनाने की बात है, भारत के बैंक इस प्रक्रिया में हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात का गवाह है कि ज़्यादातर बैंकों ने बॉसेल- III मानदंड, जिनका अनुपालन करना 31 मार्च 2019 तक अपेक्षित है, पहले ही कर लिया है। बीमा, आस्ति-प्रबंधन, म्यूचुअल फंड, विदेशी विनिमय व्यापार, मर्चेंट बैंकिंग, परियोजना-परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करके आज भारतीय बैंकिंग जमा और ऋण की परम्परागत बैंकिंग के दायरे से बाहर निकलकर सार्वभौमिक बैंकिंग और वैश्विक बैंकिंग का रूप ले चुकी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के नित नए वातायनों से झांककर आज भारतीय बैंक दूरदराज़ में बसे जन-जन के द्वार पर जाकर उन्हें बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आज जब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व-अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रही है, तो भारत का व्यापार, सेवाएं, निर्यात और धनप्रेषण तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। इन नई आवश्यकताओं की पूर्ति का बीड़ा भारत के बैंक अपने देश और विदेशों में बाखूबी उठा रहे हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण भारतीय बैंकों के लिए चुनौती तो है पर सुनहरा अवसर भी, कि वे भारतीय बाज़ार में मज़बूती से आगे कदम बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान दर्ज करा सकें। वस्तुतः हमारे देश में वैश्वीकरण का जन्म हुआ 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ और इसे मज़बूती मिली –बैंकिंग जगत में हुए दूसरे चरण के सुधारों से। इन सुधारों के फलस्वरूप भारत का बैंकिंग जगत आगे आने वाली वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुआ है। आईसीटी की तेज़ रफ्तार ने भारत के बैंकों को वैश्विक स्वरूप देने में अपनी भूमिका निभाई है। आज वक्त की मांग है कि भारतीय

बैंक समुचित विवेकपूर्ण मानदंड, विनियमन, पर्यवेक्षण और नवीनतम तकनीकों से संबंधित मानदंडों को अपना लें ताकि न केवल विश्व के बैंकों के साथ स्पर्धा में खड़े हो सकें बल्कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पैदा हो रहे बहुविध जोखिमों का सामना करने के लिए भी स्वयं को तैयार कर सकें।

ग्रहण तो सूर्य को भी लगता है, चांद को भी, तो आज वक्त है भारत की बैंकिंग प्रणाली को ग्रहण लगने का। चिंता का विषय है कि भारतीय बैंकिंग उद्योग, जिसकी मज़बूती की मिसालें दुनिया के अनेक देश दिया करते थे, आज इस हाल में आ गया है कि इसके स्थायित्व और टिकाऊपन पर प्रश्न चिह्न लगने लगे हैं। तो आइए, पहले आंतरिक शत्रुओं को पहचान लें -सच पूछिए तो हमारे देश का केन्द्रीय बैंक आज गंभीर रूप से चिंतित है –भारत के बैंकों की दीर्घकालिकता और संधारणीयता को लेकर। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी 'फाइनान्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट' में जाहिर किया है कि भारत के बैंक इस समय गंभीर दबाव में हैं, इनके अशोध्य ऋणों की संख्या और प्रमात्रा बढ़ती जा रही है, धोखाधड़ी के मामलों के लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे विकट स्थिति क्या होगी कि अशोध्य ऋणों का आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है यानी दुनिया के 137 देशों के सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) से भी अधिक। बेशक बैंकों का बैंक अर्थात रिज़र्व बैंक निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है किंतु इन प्रयत्नों के वांछित परिणाम देखने में नहीं आ रहे। मार्च 2017 में अनर्जक आस्तियां 96 करोड़ थी जो एक ही साल अर्थात मार्च 2018 में बढ़कर 102 करोड़ होने के आसार नज़र आ रहे हैं। सर्वाधिक शोचनीय स्थिति तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आरंभ से ही अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं, की हैं। मार्च 2017 में तो इन बैंकों के अशोध्य ऋण खतरे का निशान पार करके इनकी नेटवर्थ का 75% हो गए, नतीजन, सरकारी बैंकों की लाभप्रदता का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, पूंजी डूबने लगी है। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कुल ऋणों का 37% जोखिमग्रस्त है। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के निवल लाभ में 2015-16 के दौरान 67% की कमी आ गई और अशोध्य ऋण 20600 करोड़ रुपए के हो गए। बैंकों की संख्या के हिसाब से सरकारी बैंक कुल बैंकों का 72% हैं जबकि लाभ के नज़रिए से देखें तो केवल 42%। पिछले 04 सालों के दौरान इनका आस्तियों पर प्रतिफल 1% से भी कम हो गया है।

दूसरी बड़ी चुनौती है – **साइबर अपराधों का निरंतर बढ़ना।** वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था नकदी पर टिकी रही है, 95% से अधिक लेनदेन यहां नकदी के रूप में होते थे, किंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान, जो कंप्यूटर क्रांति आई है, इंटरनेट का प्रयोग तेज़ गति से बढ़ा है, स्मार्टफोन मध्यम ही नहीं निम्न वर्ग के हाथों में भी दिखाई देने लगा है, फिर हमारी केन्द्र सरकार पिछले 03 वर्षों से डिजिटलीकरण के प्रति बेहद उत्सुक है, फलतः बेशक डिजिटल लेनदेन पिछले साल के मुकाबले 115 गुना बढ़ गए हैं किंतु साइबर सुरक्षा के प्रति मुस्तैदी में कमी न केवल हमारे बैंकों के स्तर पर है बल्कि आमजन भी इसके महत्व से अपरिचित हैं, परिणामतः उदासीन भी। लिहाज़ा फिशिंग, विशिंग, चेक क्लोनिंग, हैकिंग के हर समय मंडराते खतरे आमजन की गाढ़ी कमाई पर घात लगाए बैठे हैं। पिछले साल 32 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की धोखाधड़ी का मामला सामने आया तो हाल ही में सामने आया रेन्समवेयर अटैक जिसने भारत समेत संसार के अनेक देशों की सार्वजनिक कंपनियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

अगली चुनौती है – **पूंजी पर्याप्तता** – पूंजी पर्याप्तता अनुपात ही तो बताता है कि किसी बैंक के पास अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कितनी पूंजी है। जब विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों के लिए 'प्रावधान' करने पड़ते हैं तो बैंक उस राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं कर पाते। जब सीआरएआर गिरता है तो बैंक या तो उधार लेते हैं या फिर जमाकर्ताओं की जमाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं जो यकीनन अपनी पूंजी

के मुकाबले मंहगा और जोखिम वाला तरीका है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर लगातार गिर रहा है।चूंकि उनके अशोध्य ऋण बढ़ रहे हैं, बाहर से उधार लेने में भी उन्हें परेशानियां आने लगी हैं। ऐसी विकराल स्थिति कि वे रिज़र्व बैंक के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 'न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं' भी पूरी करने में असमर्थ हो जाएं, से बचने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने सरकारी बैंकों के पुनःपूंजीकरण का निर्णय लिया है।

एक और चुनौती है - **अपने बैंक, अपने अन्नदाता के प्रति वफादारी में कमी।** आज हर बैंक के कार्यपालक की सोच हो गई है कि अपने कार्यकाल में साफ-सुथरी बैलेंसशीट हितधारकों के सामने रखें, भविष्य के अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान करने की चिंता में कौन पड़े। गौरतलब है कि व्यक्ति बड़ा है या संस्था, कार्यपालक तो आते-जाते रहेंगे किंतु संस्था का अस्तित्व तो सुरक्षित रहना जरूरी है। सच तो यह है कि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान न बनाने की नीति के गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं जब दीर्घकाल में बैंक की आर्थिक और वित्तीय संकट झेलने की क्षमता कम हो जाती है और बैंक की अपनी ही पूंजी के क्षरण तक की नौबत आ जाती है।

एक और बड़ी चुनौती, जिसका सामना आजकल लगभग सभी सरकारी बैंक कर रहे हैं वह है – **प्रबंधन का संकट**। 2023-24 तक बैंकिंग उद्योग में बड़े पैमाने पर कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले हैं यानी अनुभवी स्टाफ का स्थान ले रहे हैं युवा और नौसिखिए स्टाफ सदस्य, नतीजन मध्यम स्तर के प्रबंधन में एक प्रकार का शून्य आने वाला है तो जाहिर है बैंकों के मुख्य नीतिगत निर्णय इससे काफी दुष्प्रभावित होंगे।

आज जब समूची दुनिया वैश्विक गाँव का रूप ले चुकी है, हमारे बैंकों को भी इस सांचे में ढलने के लिए आय-पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन के वैश्विक मानदंडों के अनुसार चलना होगा। उन्हें नियमित आधार पर अपने संगठनात्मक ढाँचे में बदलाव लाने के लिए विलयन, अधिग्रहण जैसे उपायों को अपना कर अपनी पूंजी का पुनर्गठन करना होगा। ऐसे में, एक ओर तो जनता का पैसा सुरक्षित रखने में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तो दूसरी ओर धन-प्रबंधन, एनपीए नियंत्रण, आस्ति-देयता प्रबंधन में भी उतनी ही अहम। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट (नीचे दी गई तालिका)के अनुसार, भारत के बैंक वैश्वीकरण के रास्ते पर अपने कदम बढ़ा चुके हैं :-

INDIA'S PERFORMANCE OVERVIEW

India remains the most competitive country in South Asia, appearing at No. 40 in the ranking of 137 countries by the World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2017-18 . This has been due to the country investing in infra-structure, higher education and training, backed by its state of technological readiness.

	Rank/137 (2017-18)	Score (1-7)
Global Competitive Index	**40**	**4.6**
Institutions	39	4.4
Infrastructure	66	4.2
Macroeconomic environment	80	4.5
Health and primary education	91	5.5
Higher education and training	75	4.3
Goods market efficiency	56	4.5
Labour market efficiency	75	4.1
Financial market development	42	4.4
Technological readiness	107	3.1
Market size	3	6.4
Business sophistication	39	4.5
Innovation	29	4.1

India's ranking over the years

2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
39/138	55/140	71/144	60/148	59/144

Source: The Global Competitiveness Report 2017-18, WEF

जब मुकाबला उत्तम से अत्युत्तम के लिए हो तो हमें गौर करने की जरूरत है, उन **वैश्विक चुनौतियों** पर जिनसे निपटना अभी बाकी है।

पहली चुनौती है – **बॉसेल-III का कार्यान्वयन** जिसका सामना दुनिया भर के न केवल बैंक अपितु बैंकों के बैंक यानी उनके रेगुलेटर भी कर रहे हैं। चुनौती तो है किंतु यही मानदंड बैंकों को दो नए अवसर भी दे रहे हैं – अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मज़बूत बनाने तथा पूंजी की कार्यशुलता में सुधार लाने के मौके। बॉसेल- I ने जहाँ बैंकों के सामने ऋण और बिक्री के जोखिम खड़े किए थे वहीं बॉसेल-II व III ने अनेक प्रकार के नए जोखिमों के प्रति बैंकों को सचेत बनाया है ताकि वे समय रहते, नित्य बदलते बैंकिंग परिवेश की जरूरतों के हिसाब से व्यापक और सर्व- समावेशी जोखिम प्रबंधन प्रणालियां तैयार कर सकें। पहले यह होता था कि जोखिम आया तो बैंक ने रास्ता खोजा पर आज के वैश्विक परिदृश्य में उन्हें समझ आ चुका

है कि उन्हें एक ऐसी सकारात्मक, सुव्यवस्थित और एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है जिसे पूरे संस्थान में एक साथ और एकरूप तरीके से लागू किया जा सके। इतना ही नहीं, भारतीय बैंकों को अब दुनिया के बैंकों के साथ कदमताल करते हुए जोखिम प्रबंधन के ऐसे सुरक्षित-सिद्ध तरीके अपनाने की जरूरत है जो वैश्विक स्तर पर सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

जहाँ तक **पूंजी कार्यकुशलता** का प्रश्न है, बॉसेल-II मानदंडों ने स्पष्ट कर दिया है कि आज बैंकों को केवल इतना सोचने से काम नहीं चलेगा कि व्यवसाय चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी हो, उन्हें हरदम सचेत रहने की जरूरत है कि उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पूंजी का प्रयोग सर्वाधिक कार्यकुशल तरीकों से हो रहा है या नहीं। इसी से तो तय होगा कि लगाई गई पूंजी पर उन्हें कितना प्रतिफल मिल पाता है और उनके शेयर होल्डरों को कितना फायदा मिल पाता है।

अगली चुनौती है **–कॉरपोरेट गवर्नेन्स बढ़ाना** –यदि बैंकों को अपने में जनता का विश्वास बरकरार रखना है, हर दिन सामने आ रहे जोखिमों का कुशल प्रबंधन करना है तो पहले प्रबंध तंत्र को कार्यकुशल, दूरदर्शी और अधिक प्रतिबद्ध बनाना होगा। अकसर जोखिम प्रबंधन न कर पाने के कारण देखे जाते हैं-चलताऊ नज़रिए वाला स्वार्थी प्रबंध तंत्र, उच्चाधिकारियों के हितों में आपसी टकराव, लापरवाही, प्रतिबद्धता में कमी और ढीले और गफलत से भरी आंतरिक नियंत्रण पद्धतियां। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बेहद जरूरी है कि बैंकों के कामकाज में 04 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शुरूआत से ही हर कदम पर ध्यान में रखा जाए-निदेशक मंडल और पर्यवेक्षक अधिकारियों के स्तर पर पूरी मुस्तैदी, रोज़मर्रा के बैंकिंग परिचालनों में ध्यानपूर्वक चयन करके कार्यकुशल, अनुभवी और कटिबद्ध स्टाफ को लगाना, सभी व्यावसायिक परिचालनों की नियमित और प्रत्यक्ष निगरानी, स्वतंत्र और दबावमुक्त जोखिम प्रबंधन नीतियां व उनकी अनुपालना और कारगर लेखापरीक्षा पद्धतियां अपनाना।

अगली चुनौती है- **अन्तरराष्ट्रीय मानक मानदंडों का पालन,** अकसर देखा गया है कि अपनाई गई लेखांकन प्रणालियों और विवेकपूर्ण मानदंडों के बीच तालमेल नहीं बिठाया जाता। आज जब हमारे बैंक नए-नए, आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद निकाल रहे हैं तो वर्षों से चली आ रही पुरानी, अप्रचलित हो चुकी लेखांकन पद्धतियों से काम नहीं चलने वाला। इसी जरूरत को समझते हुए, रिज़र्व बैंक भारत के बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस- 39) के सिद्धांतों को जरूरी बनाने पर विचार कर रहा है।

आज हमारे बहुत से बैंक अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को कम लागतों पर पूरा करने और बाज़ार से विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए कई सेवाएं जैसे ऋण आवेदनों का मूल्य निर्धारण, निवेश प्रबंधन, क्रेडिट कार्ड जारी करना, उत्पादों व सेवाओं के विपणन और शोध, आकड़ा-प्रसंस्करण आदि कामों के लिए **आउटसोर्सिंग** करने लगे हैं। परंतु इस बाहरी मदद से बहुत से जोखिम भी जुड़े हुए हैं जैसे प्रतिष्ठा और साख का जोखिम, परिचालनों से संबंधित जोखिम, अनुपालना जोखिम, प्रणालीगत जोखिम, यानी चुनौतियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है।

अगली गौरतलब बात है **–एडवान्सड सूचना तकनीकों का प्रयोग-** अंधाधुंध, अन्य बैंकों की देखादेखी अपनाए जा रहे आईटी के औज़ार किसी भी बैंक की स्थिति गाड़ी के पीछे घोड़ा लगाने वाली कर सकते हैं। अतः बेहद जरूरी है कि हमारे बैंक नयी प्रौद्योगिकी अपनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि लगाई जाने वाली तकनीक प्रचलन में है, उनके परिचालनों का सही समय पर समुचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे न केवल उनके व्यवसाय को बढ़ा सकें अपितु गलाकाट प्रतिस्पर्धा के इस युग में उन्हें दूसरे बैंकों से आगे निकल कर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में भी पँहुचा सकें।

अगली अहम बात, आज आलम यह है, बैंकों में भर्ती हुए होनहार युवावर्ग के बेहतर नौकरी पाते ही उस बैंक को **छोड़कर**

दूसरी जगह जाने की दर (Attrition Rate) बहुत बढ़ चुकी है, नतीजन बैंकों के रोज़मर्रा के कामकाज को झटका सा लगने लगता है लिहाज़ा, अत्यावश्यक है कि बैंक नव नियुक्तों के साथ साथ पुराने स्टाफ को भी नित-नयी तकनीकों का प्रशिक्षण दें, न केवल नवनियुक्तों को प्रेरित-प्रोत्साहित करें, उनके ज्ञान और कौशल का भरपूर उपयोग करें बल्कि पुराने अनुभवी स्टाफ को भी तकनीक संबधी नित नयी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए उनका कौशल बढ़ाने पर ध्यान दें। सबसे पहले तो बैंक सही काम के लिए सही स्टाफ की पहचान करें, फिर उन्हें किसी एक विभाग का प्रशिक्षण न देकर पूरे बैंक के कार्यकलापों का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से दें और इसके लिए यदि उन्हें बाहर किसी अन्य संस्थान से भी प्रशिक्षित करवाना पड़े, तो न हिचके। बेशक वैश्वीकरण की वर्षा की बौछारों ने हमारे देश के बैंकों को सिर से पैर तक भिगो दिया है और उन्हें वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसनी है किंतु एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया के विकसित देश आज भी एमएसएमई और कृषि ऋणों के मामले में भारत के बैंकों की विशेषज्ञता का लोहा मानते हैं।

समस्याएं हैं तो समाधान भी निकालना होगा। समय की मांग है कि हमारे बैंक कुछ अच्छी प्रथाएं शीघ्र अपना लें जैसे व्यवसाय का विविधीकरण, गैर-ब्याज आधारित आय के नए स्रोत खोजना,(सरकार द्वारा आवास सेवाओं पर बल दिए जाने के मद्देनज़र, आवास ऋण बैंकों के लिए अधिक सुरक्षापूर्ण, कम जोखिमपूर्ण और अच्छा मार्जिन देने वाले साबित हो सकते हैं), लागत प्रबंधन, डी-रेगुलेटिड माहौल में काम करने के सर्वोत्तम तरीके अपनाना, परामर्शी सेवाएं देना, कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव लाना, उत्कृष्ठ सेवाओं के नए प्रतिमान स्थापित करना और एक स्व-नियामक रूप आख्तियार करके लगातार अपनी गतिविधियों की निगरानी करना व उनमें सुधार लाना। बेशक भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, देश के सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं बैंकों ने अपनी डूबती नैया को पार लगाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जैसेः

क केन्द्र सरकार ने आगामी कुछ वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 70000/- करोड़ रूपये के पुनः-पूंजीकरण का फैसला किया है लेकिन इसके मुकाबले सरकारी बैंकों की धन की ज़रूरतें काफी अधिक है- यानी 2019-20 तक 18 लाख करोड़ रूपये।

ख अक्तूबर 2015 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संकट से उबारने के लिए 'मिशन इन्द्रधनुष' की घोषणा की जिसके अंतर्गत सरकारी बैंकों की समग्र स्थिति में सुधार लाने के लिए 07 कार्यनीतियां बनाई गई हैं।

ग 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी सरकारी बैंकों को 'आंतरिक ओम्बड्समैन' की नियुक्ति करने के निदेश दिए ताकि ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके।

घ एक और खास कदम है –दिवालियापन कानून सुधार समिति की सिफारिशों के अनुसार संसद में 'Insolvency and Bankruptcy Bill' लाना।

ड़ फरवरी 2017 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने साइबर अपराधों का विस्तृत विश्लेषण करके उन्हें रोकने के उपाय निकालने के प्रयोजन से Inter-Disciplinary Standing Committee on Cyber Security गठित की है।

च बैंकों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयोजन से 2016 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि निजी बैंकों के कार्यपालकों और वरिष्ठ अधिकारियों को 'जनता का सेवक' माना जाएगा।

अन्ततः तेज़ी से बढ़ते वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और भारत के बैंकिंग जगत में लाए गए नये आर्थिक व वित्तीय सुधारों के मद्देनज़र, एक बात साफ है -आगे स्पर्धा और गहन होगी। मैदान में वही खिलाड़ी टिक पाएंगे जो बाज़ार की पल पल की चाल समझ पाएंगे, आने वाली चुनौतियों और खतरों को पहले से ही भाँपने में समर्थ होंगे, उच्च स्तर के पेशेवराना अंदाज में अपने बैंक को चलाएंगे और बाज़ार की बदलती जरूरतों का तुरंत जायज़ा लेकर उनके अनुरूप स्वयं को ढाल पाएंगे।

जोखिम प्रबंधन / जोखिम प्रबंधन उपायों की सुदृढ़ता

जोखिम प्रबंधन का अभिप्राय- बैंकों में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन एवं प्राथमिकीकरण के साथ संसाधनों का समन्वित तथा आर्थिक प्रयोग कर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभाव्यता अथवा प्रभाव को न्यूनतम करना, परखना और नियंत्रित करना है। जोखिम, बैंकों में वित्तीय अनिश्चितता, परियोजना की असफलता, वैधानिक देयताएं, ऋण जोखिम, प्राकृतिक कारणों और आपदाओं के कारण हो सकते हैं। इसके निवारण हेतु अनेक जोखिम प्रबंधन मानक विकसित किये गए हैं जिनमें परियोजना प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तथा आईएसओ मानक शामिल हैं।

बैंकों में जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता- अर्थव्यवस्था के औचित्यपूर्ण एवं दीर्घकालिक विकास हेतु बैंकों को अस्तित्व की दृष्टि से व्यवहारिक होने के साथ जोखिम प्रबंधन वाली प्रथाओं का पालन करने तथा जोखिम की समस्याओं पर ध्यान देने की दूरगामी आवश्यकता निहितार्थ है। बैंकों के स्वस्थ परिचालन हेतु जोखिम प्रबंधन उपायों की सुदृढ़ता का योगदान महत्वपूर्ण है।

श्याम कमल बाजपेयी

सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर

जोखिम प्रबंधन की शब्दावली आईएसओ गाइड 73, में परिभाषित है। यह खंड जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों से परिचय कराता है। आईएसओ 31000 का उद्देश्य- किसी भी सार्वजनिक उद्यम के लिए लागू करने के लिए अनुकूलनीय है। आईएसओ 31000- जोखिम प्रबंधन के लिए मानकों, प्रबंधन प्रणाली के लिए संरचना और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये है। आईएसओ 31000: 2009 के लिए एक व्यापक हितधारक समूह है।

- कार्यकारी स्तर हितधारक
- मुलाकात में धारकों उद्यम जोखिम प्रबंधन समूह
- जोखिम विश्लेषक और प्रबंधन अधिकारी
- लाइन प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक
- अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षक

आईएसओ 31000 का ध्यान 'अनुकूलीकरण' कार्यक्रमों पर केंद्रित है:

- स्थानांतरित जवाबदेही अंतराल में उद्यम जोखिम प्रबंधन
- शासन के चौखटे उद्देश्यों के साथ पंक्ति में करनेवाला

- संपुटन प्रबंधन प्रणाली रिपोर्टिंग तंत्र
- जोखिम मापदंड और मूल्यांकन हेतु मेट्रिक्स बनाना

जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया आईएसओ 31000 मानक "जोखिम प्रबंधन - कार्यान्वयन के सिद्धांतों और दिशानिर्देश", के अनुसार जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं :

1. चुने हुए हित क्षेत्र में जोखिम की पहचान
2. प्रक्रिया के अवशेष भाग की योजना
3. निम्नलिखित को योजनाबद्ध करना
   - o जोखिम प्रबंधन का सामाजिक कार्य क्षेत्र
   - o हितधारकों के अस्तित्व एवं उद्देश्यों की पहचान
   - o जोखिम में मूल्यांकन के आधार, अड़चनें
4. क्रियाशीलता के लिए एक रूपरेखा और पहचान के लिए कार्यसूची परिभाषित करना
5. जोखिम के विश्लेषण का विकास करना
6. उपलब्ध तकनीकों, मानव एवं संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग कर जोखिम को कम करना

जोखिम की पहचान- जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में संभावित जोखिमों की पहचान करना है। जोखिम के खतरे उत्प्रेरित होकर समस्याएं उत्पन्न करते हैं, इसलिए जोखिम की पहचान समस्या के स्रोत से शुरू की जानी चाहिए।

- **स्रोत विश्लेषण** जोखिम स्रोत व्यवस्था के प्रति आंतरिक अथवा बाहरी हो सकते हैं, जो जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है।
- **समस्या विश्लेषण** जोखिम खतरों की ज्ञात चेतावनियों से संबंधित है। उदाहरणार्थ रुपये खोने की आशंका, गोपनीयता की सूचना के गलत उपयोग की आशंका, अथवा दुर्घटनाओं की आशंका। ये आशंकाएं अनेक प्रकार के अस्तित्वों के साथ रह सकती हैं।

जब स्रोत या समस्या ज्ञात हो, तो घटनाओं को उत्प्रेरित करने वाले स्रोत अथवा समस्याएं पैदा करने वाली घटनाओं की जांच की जाती है। जोखिम पहचान करने की चयनित पद्धति संस्कृति, उद्योग अभ्यास और अनुपालन पर निर्भर करती है। जोखिम की पहचान की आम पद्धतियां निम्नलिखित हैं:

उद्देश्यों पर आधारित जोखिम की पहचान संस्थाओं एवं परियोजना दलों के उद्देश्य हो सकते हैं। किसी भी घटना की पहचान जोखिम के रूप में की जाती है जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में खतरनाक है।

परिदृश्य पर आधारित जोखिम की पहचान में अनेक प्रकार के परिदृश्य पैदा किये जाते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति में परिदृश्य वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं अथवा शक्तियों की पारस्परिक क्रिया का विश्लेषण हो सकते हैं।

वर्गीकरण विज्ञान पर आधारित जोखिम की पहचान वर्गीकरण विज्ञान पर आधारित जोखिम की पहचान में वर्गीकरण संभावित जोखिम स्रोतों में खराबी है। वर्गीकरण और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के ज्ञान के आधार पर की जाती है।

आम जोखिम की जांच कई उद्योगों में ज्ञात जोखिमों की सूची उपलब्ध है। सूचीबद्ध हर जोखिम की जांच किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग के लिए की जाती है।

जोखिम का चार्ट बनाना यह पद्धति जोखिम में पड़े संसाधनों को सूचीबद्ध कर उपर्युक्त दृष्टिकोणों को सम्मिलित करती है। संसाधनों को संशोधित करने वाले उन कारकों के लिए खतरों

से बचने की सलाह दी जाती है जो जोखिम और परिणामों को कम या बढ़ा सकते हैं। इन शीर्षकों के अंतर्गत एक मैट्रिक्स का निर्माण करना विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को समर्थ करता है।

आदर्श जोखिम प्रबंधन में, प्राथमिकता की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके अंतर्गत सबसे बड़ी क्षति पहुंचाने वाली जोखिम की संभावना को सर्वप्रथम निपटाया जाता है और इसके पश्चात कम क्षति पहुंचाने वाले संभावित जोखिमों को अवरोही क्रम में निपटाया जाता है।

अमूर्त जोखिम प्रबंधन एक नये प्रकार की जोखिम की पहचान करता है जिसमें घटना घटित होने की शत प्रतिशत संभावना होती है, परन्तु पहचानने की अक्षमता के कारण संस्था द्वारा ऐसे जोखिम पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित तत्व हैं, जिनका निम्न क्रम में पालन किया जाता है।

1. खतरों की पहचान करना और उसका आकलन करना
2. खतरों के प्रति जोखिमग्रस्त परिसंपत्तियों की अतिसंवेदशीलता का आकलन करना
3. जोखिम का निर्धारण कर उनको कम करने के तरीकों की पहचान करना
4. जोखिम को कम करने की रणनीति पर आधारित उपायों को प्राथमिकता प्रदान करना

जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान जोखिम प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों की पहचान करते हैं-

- जोखिम प्रबंधन द्वारा मूल्य को स्थापित करना चाहिए
- इसे संगठनात्मक प्रक्रिया, निर्णय-निर्धारण करने वालों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए
- इस पर स्पष्ट रूप से अनिश्चितता की चर्चा कर अनुकूल, सुव्यवस्थित एवं संरचित होना चाहिए
- इसको सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित निरंतर प्रगति एवं संवृद्धि में सक्षम होना चाहिए
- इसको पारदर्शी, समग्र, गतिशील, पुनरावृत्तीय एवं परिवर्तन के प्रति संवेदी होना चाहिए

जोखिम का मूल्यांकन- जोखिमों की एक बार पहचान हो जाने पर क्षमता, हानि की घटित होने की संभावना के संबंध में उनका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वयन को उचित प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव शिक्षित अनुमान करना जोखिमपूर्ण है। इसके अतिरिक्त संपत्ति के मूल्यांकन पर ध्यान देना आवश्यक है। जोखिम मूल्यांकन को संस्थाओं के प्रबंधन के लिए ऐसी सूचनाओं की प्रस्तुति करनी चाहिए ताकि प्राथमिक जोखिमों को आसानी से समझा जाए और जोखिम प्रबंधन के फैसलों को प्राथमिकता प्रदान की जा सके। इस प्रकार, जोखिमों को परिमाणित करने के कई सिद्धांत और प्रयास हैं। जोखिम के परिमाण के मापांकन के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत सूत्र है:

सूत्र (फार्मूला) :- घटना की दर और घटना के प्रभाव का गुणनफल जोखिम के बराबर होता है-

परवर्ती अनुसंधान से ज्ञात होता है कि जोखिम प्रबंधन के आर्थिक लाभ प्रयुक्त फार्मूले पर कम निर्भर होते हैं किन्तु वे आवृत्ति और जोखिम मूल्यांकन के तरीकों पर निर्भर करते हैं। जोखिम मूल्यांकन के निष्कर्षों को वित्तीय शब्दों में प्रस्तुत करने में सक्षम होना आवश्यक है।

संभावित जोखिम उपचार- एक बार जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन कर लेने पर जोखिम के प्रबंध की सभी तकनीकें निम्नांकित चार वर्गों में से किसी एक अथवा एकाधिक वर्गों में आती है।

जोखिम से बचाव- इसमें जोखिम वाली गतिविधि का निष्पादन नहीं करना शामिल होता है। सभी जोखिमों का जवाब बचाव में दिखाई देता है किन्तु जोखिमों से बचाव का अर्थ है संभावित लाभ को खो देना जिसे जोखिम उठाकर पाया जा सकता था। हानि उठाने के जोखिम से बचने के लिए किसी कारोबार में प्रवेश नहीं करने से लाभ प्राप्त करने की सम्भावना को दूर करता है।

खतरे की रोकथाम- खतरे की रोकथाम का तात्पर्य आपातकाल में जोखिमों की रोकथाम करना है। खतरे की रोकथाम का सर्वप्रथम और सबसे अधिक कारगर चरण खतरों का उन्मूलन है। यदि इसमें बहुत अधिक समय लगता है और लागत बहुत अधिक होती है, या अव्यावहारिक होता है, तो दूसरा चरण इनमें कमी लाना है।

जोखिम में कमी में ऐसी पद्धतियों का समावेश होता है जो हानि के घटित होने की सम्भावना को कम करता है। आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास पद्धातियां वृद्धि के आधार पर सॉफ्टवेयर विकसित कर एवं उसे प्रदान कर जोखिम कम करती हैं। प्रारंभिक पद्धतियां इस तथ्य से प्रभावित हुई कि उन्हे विकास के मात्र अंतिम चरण में ही सॉफ्टवेयर प्रदान किये गये। पुनरावृत्ति में विकास कर, सॉफ्टवेर परियोजनाएं एकल पुनरावृत्ति में नष्ट किये गए प्रयास को सीमित कर सकती है।

जोखिम का हस्तांतरण- बीमा अनुबंध का क्रय "जोखिम का हस्तांतरण" कहलाता है। तकनीकी तौर पर, साधारणतया अनुबंध का क्रेता ही हस्तांतरित हानि के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है। इसका अर्थ है कि बीमा की सही व्याख्या घटनोत्तर क्षतिपूरक व्यवस्था के रूप में की जा सकती है। उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत आघातों के लिए बीमा पॉलिसी गाड़ी की दुर्घटना की जोखिम को बीमा कंपनी को हस्तांतरित नहीं करती है। पॉलिसी धारक के पास ही जोखिम बना रहता है अर्थात वह व्यक्ति जो दुर्घटना का शिकार होता है। बीमा पॉलिसी केवल यह प्रदान कराती है कि यदि किसी दुर्घटना में पॉलिसी धारक भी शामिल होता है तो पॉलिसी धारक को कुछ क्षतिपूर्ति देय होती है, जो कष्ट/क्षति के आनुपातिक होती है।

जोखिम प्रबंधन की योजना- जोखिम को मापने के लिए उचित नियंत्रणों का चुनाव अथवा प्रत्युपाय करना आवश्यक है। जोखिम कम करने के लिए प्रबंधन के उपयुक्त स्तर अनुमोदन आवश्यक है। संस्था की छवि से संबंधित जोखिम के पीछे उच्च स्तरीय प्रबंधन का निर्णय होता है, जबकि कंप्यूटर वाइरस जोखिम के निर्णय का अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन के पास रहता है। जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन योजना को प्रयोज्य और प्रभावकारी सुरक्षा नियंत्रणों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए।

आईएसओ के अनुसार जोखिम विश्लेषण के बाद जोखिम उपचार योजना तैयार करना शामिल है, जिसे उन फैसलों के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए कि पहचान किए गए प्रत्येक जोखिम का प्रबंधन किया जाना चाहिए। अक्सर जोखिमों में कमी से तात्पर्य सुरक्षा नियंत्रणों का चुनाव करना है जिससे व्यावहारिकता के वितरण दस्तावेजित, निर्धारित कर नियंत्रण का चुनाव के आधार पर किया गया है।

क्रियान्वयन जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी सुनियोजित पद्धतियों का अनुपालन करना चाहिये। उन

जोखिमों के लिए बीमा पॉलिसियां खरीदना चाहिये जिसे किसी बीमाधारक को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया हो, उन सभी जोखिमों से बचना चाहिये जिससे कंपनी के लक्ष्यों का त्याग किए बिना दूसरों को कम कर एवं शेष को रख कर बचा जा सकता है।

योजना की समीक्षा और मूल्यांकन- प्रारंभिक जोखिम प्रबंधन योजना कभी परिपूर्ण नहीं होगी। अभ्यास, अनुभव और वास्तविक हानि के परिणाम योजना में परिवर्तनों को अनिवार्य बना देंगे और सामना किए जा रहे जोखिमों से निपटने के लिए किए जाने वाले विभिन्न फैसलों के लिए हर संभव अनुमति प्रदान करेंगे।

जोखिम विश्लेषण के परिणाम और प्रबंधन की योजनाओं को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए इसके दो कारण हैं:

1. यह मूल्यांकन करना कि पहले से ही चयनित सुरक्षा नियंत्रण प्रयोज्य और प्रभावी हैं या नहीं
2. व्यवसाय के परिवेश में जोखिम के स्तरों में संभावित परिवर्तनों का मूल्यांकन करना। सूचना संबंधी जोखिम तेजी से बदलते हुए वाणिज्यिक परिवेश के आदर्श उदाहरण हैं।

सीमाएं- यदि जोखिमों का अनुचित मूल्यांकन किया गया है और अनुचित प्राथमिकता प्रदान की गई है, तो असंभावित हानियों के जोखिम से निपटने में समय खराब हो सकता है। असंभावित जोखिमों का आकलन और प्रबंधन में बहुत अधिक समय व्ययतीत करने से अधिक लाभप्रद ढंग से प्रयोग किये जा सकने वाले संसाधनों का दूसरे कामों में उपयोग हो सकता है। असम्भाव्य घटनाएं घटती ही हैं परंतु यदि जोखिम के होने की सम्भावना भी असंभावित हो तो यही बेहतर होगा कि जोखिम को अपने साथ ही बरकरार रहने दिया जाए और वास्तव में हानि होने पर परिणाम के साथ निपटा जाए। गुणात्मक जोखिम का मूल्यांकन व्यक्तिपरक होता है और इसमें सामंजस्य का अभाव होता है। जोखिम और अनिश्चितता के बीच अंतर को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र- कंपनी वित्त के साथ लागू होने वाला, जोखिम प्रबंधन किसी बैंक के तुलन पत्र में वित्तीय अथवा परिचालन सम्बन्धी जोखिम को मापने, देख-रेख करने और नियंत्रित करने की तकनीक है।

बॉसेल II की बनाई रूपरेखा जोखिमों को बाजार जोखिम (मूल्य जोखिम), ऋण संबंधी जोखिम और परिचालन संबंधी जोखिम में विभाजित करती है और इनमें से प्रत्येक घटक के लिए पूँजीगत आवश्यकताओं की गणना करने की पद्धति का भी विस्तृत विवरण देती है।

जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय की निरंतरता- जोखिम प्रबंधन किसी संस्था के प्रति होने वाली खतरे की आशंका को कम करने के लिए लागत प्रभावी प्रस्तावों को सुव्यवस्थित ढंग से चुनने की मात्र एक कार्यप्रणाली है। सभी जोखिमों की पूरी तरह उपेक्षा अथवा न्यूनीकरण मात्र आर्थिक और व्यावहारिक सीमाओं के कारण नहीं की जा सकती है, इसलिए सभी संस्थाओं को कुछ स्तर तक अवशिष्ट जोखिमों को स्वीकार करना पड़ता है। जोखिम प्रबंधन पूर्वक्रय अभिमुखी होता है। व्यापार निरंतरता योजना का आविष्कार अनुभूत अवशिष्ट जोखिमों के परिणामों से निपटने के लिए किया गया था। इस को सही स्थान में रखने की आवश्यकता उत्पन्न होती है क्योंकि पर्याप्त समय देने पर असंभावित घटनाएं भी हो सकती हैं।

जोखिम प्रबंधन के प्रयोग के आधारभूत नियम

- जनता को वैध साझेदार के रूप में स्वीकार करना और शामिल करना
- सावधानीपूर्वक योजना बनाना और अपने प्रयासों की सतर्कता से योजना बनाकर मूल्यांकन करना
- जनता की ख़ास चिंताओं को सुनना
- ईमानदार, निष्कपट और स्पष्ट होना
- अन्य विश्वसनीय सूत्रों के साथ समन्वय और सहयोग स्थापित करना
- मीडिया की जरूरतों को पूरा करना
- करुणा के साथ स्पष्टवादिता

बैंक शाखाओं का महत्व निकट भविष्य तक ही सीमित रहकर कम हो जाएगा। भविष्य में बैंक शाखाएं बहुत अलग प्रकार की भूमिका अदा करेंगी,जैसे किसी पेचीदा मामले में सलाह देना या किसी कठिन समस्या का हल निकालने में मदद करना। वे एक अलग तरह के सलाह केंद्र की तरह काम करेंगी। बैंकों को अपनी रणनीतियां बदलनी होंगी और 2020 के बाद होने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए निम्न बातें करना आवश्यक हैः-

- ग्राहक केंद्रित मॉडल को अपना कर अपने शाखा विस्तार का अनुकूलन करना
- ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव देने के लिए, अपनी उद्योग पद्धतियों को आसान बनाना
- जानकारी का पूरा लाभ उठाना और आंकड़ों को आय में बदलना
- नई तकनीक को अपनाना और उसके अनुसार अपनी क्षमताएं बढ़ाना
- सक्रियता से जोखिम और पूंजी का प्रबंधन करना
- सही टेक्नोलॉजी को अविलम्ब अपनाना
- अपनी फीस को अलग - अलग भागों में विभाजित कर, ग्राहक की सुविधानुसार उसे सेवा देना। ऋण को बेहतर तरीके से वापस लेना ताकि बैंक न केवल जीवित रह सके बल्कि ऊपर भी जा सके।

ग्राहकों के लिए विशिष्ट बैंकिंग अनुभव, जोखिमों और नियमों दोनों का बेहतर प्रबंधन, अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गैर-बैंकिंग असंगठित संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करना, यही बैंकों का भविष्य है और तभी बैंक जीवित रह सकेंगे।

वित्त मंत्री के अनुसार सरकार बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन को सख्त बनाने पर कार्य कर रही है। सरकार ने कार्यभार संभालने के तत्काल बाद से ही सरकारी बैंकों को सशक्त बनाने का काम शुरु कर दिया एवं बैंकों के निगरानी तंत्र तथा पुनपूँजीकरण पर विशेष जोर दिया है। एक आरटीआई पूछताछ के अनुसार जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक की अवधि में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के 35551 तथा डेबिट कार्ड के 21860 मामले दर्ज किये गये।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार सन 2009 में बैंकिंग संबंधित धोखाधड़ी की कुल संख्या 23,914, हानि रु.18.83 बिलियन की राशि दर्ज की गई। उभरते धोखाधड़ी के परिदृश्य में सुदृढ़ पहचान एवं रक्षा प्रणाली अनिवार्य है, जिससे निगरानी हेतु एकीकृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित कर बैंकों को लेस कर ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से जोखिम प्रबंधन की दिशा में कदम उठाये गये। इसके लिये दिनांक 02 जून, 2016 के

परिपत्र के अनुसार बैंकों को दिशानिर्देश दिया गया कि वे साइबर सुरक्षा संबंधित सभी घटनाएं पता लगने के 2 से 6 घंटे के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक को अनिवार्य रुप से सूचित करें एवं ग्राहक को राशि की क्षतिपूर्ति करें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं भा.रि.बैं./2016-17/294 एवं बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.103/2016-17 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये।

मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिका -

प्रभावी जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, बैंकों से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षित है कि वे ऋण मंजूरी प्रक्रिया से ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को अलग रखने की प्रणाली बनाएं। बैंक इस संबंध में विभिन्न प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। बैंकों द्वारा अपनाई गई कार्यविधि में एकरूपता लाने के लिए, और साथ ही, जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम प्रथाओं से जोड़ने के लिए, बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

अ) वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेंगे जिसमें सीआरओ की भूमिका और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

ब) सीआरओ की नियुक्ति बैंकों के निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से नियत कार्यकाल के लिए की जाएगी। सीआरओ को सिर्फ बोर्ड के अनुमोदन से ही कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है और इस प्रकार के अवधिपूर्व स्थानांतरण की सूचना बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई को दी जाएगी।

स) सीआरओ को एमडी एवं सीईओ/ बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को सीधे रिपोर्ट करने के संपर्कसूत्र उपलब्ध होंगे।

द) सीआरओ बैंक के कारोबारी कार्यक्षेत्र के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं रखेगा और उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिये जाएंगे। यदि सीआरओ ऋण मंजूरी प्रक्रिया से जुड़ा हो तो यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा कि सीआरओ की भूमिका सलाहकार की होगी या निर्णायक की।

उच्च मूल्य के प्रस्तावों के लिए ऋण मंजूरी प्रक्रिया में समिति की कार्यपद्धति को अपनाने वाले बैंकों में, यदि सीआरओ ऋण मंजूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने वालों में से एक है, तो उसे मताधिकार की शक्ति प्राप्त होगी और ऐसे सभी सदस्य जो ऋण मंजूरी प्रक्रिया के भाग हैं वे ऋण प्रस्ताव से संबंधित जोखिम परिप्रेक्ष्य सहित सभी पहलुओं के लिए वैयक्तिक रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

जोखिम प्रबंधन की व्याप्ति का विस्तार कर बैंकिंग के लिए विवेकपूर्ण नियमों में दीर्घकालीन स्थिरता और जोखिम को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि जोखिम प्रबंधन उपायों को सुदृढ़तापूर्वक लागू कर बैंकों को संभावित खतरों से मुक्त किया जा सके।

'सशक्त भारत तथा समृद्ध किसान हेतु समुन्नत योजना – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि और कृषक एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश की 54.6% **(स्रोत- कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17)** आबादी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से कृषि तथा कृषिजन्य कार्यों पर आश्रित है तथा लगभग 71% आबादी को इससे आजीविका प्राप्त होती है। इतना ही नहीं आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण देखें तो हम पाते हैं कि भारत की जीडीपी में भी कृषिगत आय का 17% - 18% योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की इतनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के कारण आजादी के बाद से अभी तक किसान तथा कृषि के उन्नति के लिए कई स्तरों पर सरकारी प्रयास हुये हैं और इन हलधरों की समस्या हल करना प्रधान विषय रहा हैं। इस संबंध में हरित क्रान्ति जैसे क्रांतिकारी कदम भारत सरकार की सकारात्मक इच्छा शक्ति का परिचायक हैं। खाद-बीज की खरीद पर अनुदान, बुवाई से कटाई तक के लिए वित्तीय संस्थाओं से रियायती ब्याज पर ऋण, भंडारण; विपणन तथा विक्रय तक हर स्तर पर सरकार द्वारा भूमि-पुत्रों के हितों का ध्यान रखा जाता हैं। किन्तु इसके दूसरे पक्ष का मूल्यांकन किया जाये तो हम देखते हैं कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि तथा कृषि संबद्ध सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वर्ष 2012-13 में 18.2% से निरंतर घटते हुये वर्ष 2015-16 तक 17% तक आ गया **(स्रोत- कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के पृष्ट 1 के पैरा 1.4 से)**। इतना सब होते हुये भी इसे भारतीय किसानों का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि भारत की कुल कृषि का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर आश्रित है। भारत के सकल फ़सल क्षेत्र 19.89 करोड़ हेक्टेयर में से मात्र 8.93 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र ही सकल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता हैं **(स्रोत – संदर्भ बिन्दु 3 तथा 4 से)**। शेष क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर आधारित है जिसमें से भी 75% के लगभग वर्षा केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून पर आश्रित होती हैं। भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विश्लेषण के अनुसार देश में कुल बोये जाने वाले क्षेत्र में से 68% सूखा प्रवण क्षेत्र हैं तथा इसमें से भी 33% क्षेत्र में 750 एमएम से भी कम वर्षा प्राप्त होती हैं **((स्रोत – संदर्भ बिन्दु 3 तथा 4 से)**। शायद इसी कारण कृषि को "मानसून का जुआ" कहा जाता है। अत: भारतीय कृषि के विकास तथा किसानों को भयमुक्त आर्थिक वातावरण प्रदान करने के लिए आर्थिक संबल आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये

कुलदीप सिंह भाटी
ग्राहक सहायक
भारतीय स्टेट बैंक, जोधपुर

'कृषि तथा फसल बीमा' की अवधारणा ने जन्म लिया। भारत में इस संबंध में प्रयास काफी पहले से ही शुरू हो गए थे जिनको समय के अनुसार संशोधित किया जाता रहा। क्रमश: इसी अनुरूप भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि-उत्सव, लोहड़ी, पोंगल, बीहू के अवसर पर दिनांक **13 जनवरी 2016** को **'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'** की घोषणा कर किसानों के जश्न को दुगुना कर दिया।

भारत में फसल बीमा का इतिहास काफी सम्पन्न रहा है। न केवल आजादी के बाद वरन् आजादी के पूर्व सन् 1920 में मैसूर राज्य के श्री जे. एस. चक्रवर्ती ने किसानों को सूखे से होने वाली आर्थिक हानि की सुरक्षा हेतु 'वर्षा बीमा योजना' का प्रस्ताव रखा था। मैसूर इकनॉमिक जर्नल में इस संबंध में श्री चक्रवर्ती ने कई आलेख प्रकाशित किए। सन् 1920 में श्री चक्रवर्ती की एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई –"कृषि ऋण – भारतीय दशाओं हेतु प्रभावी व्यावहारिक योजना"। आजादी के बाद इस संबंध में प्रथम सार्थक प्रयास सन् 1972 में व्यक्तिगत रुचि के आधार पर कपास (एच-4) के लिए लायी गई बीमा योजना थी। उसके बाद सन् 1979 में 'पायलट फसल बीमा योजना' (1979-1984) आई। तत्पश्चात विस्तृत गहन शोध उपरांत सन् 1985 में 'व्यापक फसल बीमा योजना' (CCIS 1985-1999) लागू की गई। सन् 1999 में और अधिक किसानों को जोड़ने तथा बीमा योजना के व्यापक विस्तार हेतु 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' का आरंभ हुआ। बाद के वर्षों में ढांचागत सुधार करते हेतु रबी 2013-14 से 'राष्ट्रीय फसल बीमा योजना' शुरू की गई जो 'संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)','मौसम आधारित कृषि बीमा योजना (WBCIS)' तथा 'नारियल पाम बीमा योजना (CPIS)' को समेकित कर लागू की गई। हालांकि राज्यों के विकल्प के आधार पर सन् 2015-16 तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को भी लागू रखने की अनुमति दी गई। इसी बीच राज्य सरकारों, केंद्र सरकार तथा इसके विभिन्न भागीदारों से प्राप्त सुझावों तथा पुनरीक्षण के आधार पर 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)' तथा 'संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)' को प्रतिस्थापित कर खरीफ-2016 से नई योजना प्रारम्भ की गई, जिसे **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (पीएमएफ़बीवाई)** से जाना जाने लगा।

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" की आवश्यकता क्यों ? – यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब सरकार द्वारा फसल बीमा हेतु योजनायें चल रही थीं तो उनके स्थान पर पीएमएफ़बीवाई को लाने का क्या प्रयोजन रहा? प्राप्त सुझावों तथा प्रभावी पुनरीक्षण से पाया गया कि पूर्व की योजनाओं में कई ऐसे कारक थे जिनके कारण किसानों को उन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा था। मूल अंतर बीमा हेतु देय प्रीमियम राशि सामान्य से अधिक थी जो आर्थिक दृष्टि से जूझते किसानों को एक अतिरिक्त वित्तीय भार लगता था। इतना ही नहीं अधिक प्रीमियम चुकाने के बाद भी बीमा राशि का पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता था। प्रीमियम राशि में जोखिम के आधार पर भिन्नता के कारण कई बार नजदीकी जिलों में भी प्रीमियम दर अलग-अलग होने से किसान हतोत्साहित हो जाते थे। इसके अलावा प्रीमियम पर कैपिंग, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी का अभाव, कटाई बाद जोखिम को लागू न करना तथा स्थानीय जोखिमों का अपवर्जन आदि कई कारण थे जो किसानों के लिए अरुचि के आधार थे। अत: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में – **"किसानों के लिये बीमा योजनाएँ पहले भी थीं लेकिन ..... मुश्किल से 20% किसान ही उनसे जुड़ते थे और अपना हक पाने के लिए उनको अनेक प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ती थीं। अत: बीमा योजनाओं के प्रति किसानों का भरोसा कम हो गया था।"** इन तमाम कारणों से

सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का कार्यान्वयन किया गया।

योजना के उद्देश्य – पीएमएफ़बीवाई का उद्देश्य किसानों को कृषिगत उत्पादन में संभावित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना हैं ताकि वे संधारणीय उत्पादन कर सके। इस हेतु निम्नांकित उपाय किए जा रहे हैं –

- अनपेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- किसानों की आय को सुदृढ़ करना ताकि वे अपने कृषि कार्यों को जारी रख सकें। इसी कारण सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- नवीन तथा आधुनिक कृषि अभ्यास अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।
- कृषिगत ऋण हेतु ऐसा प्रवाह सुनिश्चित करना जिससे उत्पादन जोखिम के अलावा प्रगति तथा प्रतिस्पर्धा का संतुलित मार्ग प्रशस्त हो।

किसानों तथा फसलों का बीमा आच्छादन – पीएमएफ़बीवाई में अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा आच्छादन हेतु पात्र हैं। यह योजना दो घटकों पर आधारित है – (1) अनिवार्य (2) स्वैच्छिक। अर्थात् वित्तीय संस्थाओं से फसल ऋण, केसीसी आदि लेने वाले सभी ऋणी किसानों के लिए बीमा अनिवार्य, वहीं गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा स्वैच्छिक रखा गया हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को अधिकतम सुरक्षा तथा कवरेज हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है।

इस योजना में मोटे अनाज, दलहन जैसी खाद्यान्न फसलों से लेकर तिलहन, आम, आलू, अमरूद, केला जैसी वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें भी शामिल की गई हैं।

योजना में समाहित आपदाएँ – इस योजना में बुवाई या रोपण में रोक से लेकर कटाई के उपरांत तक के वृहत जोखिमों को समाहित किया गया है।

- बीमित क्षेत्र में कम बारिश अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई तथा रोपण में उत्पन्न रोक से संबन्धित जोखिम।
- प्राकृतिक आपदा जैसे- सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट व रोग, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग व बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आँधी, बवंडर आदि के कारण उपज को बीमा आवरण (cover) में समाहित करते हुए व्यापक जोखिम सुरक्षा प्रदान करना।
- कटाई के उपरांत चक्रवात या चक्रवाती बारिश या बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालात के लिए कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों के लिए बीमा आवरण प्रदान करना।
- अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भूस्खलन व जलभराव के चिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना।

इस योजना में युद्ध व आत्मीय खतरा, परमाणु जोखिम, दंगा, दुर्भावनापूर्ण क्षति, चोरी या शत्रुतापूर्ण कार्य, घरेलू या जंगली जानवरों द्वारा चरे जाने व अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों तथा मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं को जोखिम सुरक्षा में समाहित नहीं किया गया है।

योजना के अंतर्गत देय प्रीमियम दर – सरकार द्वारा पीएमएफ़बीवाई योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य ही यह

था कि किसानों को कम से कम प्रीमियम में अधिकतम लाभ से लाभान्वित कर समुचित जोखिम सुरक्षा प्रदान की जाये। इसलिए इस योजना में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को कम रखा गया हैं। सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित किया गया प्रीमियम निम्न सारणी के द्वारा समझा जा सकता है -

क्र. सं.	मौसम	फसल	किसानों द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रीमियम (बीमित राशि का प्रतिशत)
1	खरीफ	सभी खाद्यान्न, तिलहन फसलें (सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें)	बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर में से जो भी कम हो
2	रबी	सभी खाद्यान्न, तिलहन फसलें (सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें)	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर में से जो भी कम हो
3	खरीफ और रबी	वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें	बीमित राशि का 5.0 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर में से जो भी कम हो

(स्रोत- पीएमएफ़बीवाई हेतु जारी प्रचालन मार्गदर्शिका तथा http://www.agri-insurance.gov.in से)

इस योजना में किसानों द्वारा देय प्रीमियम के बाद शेष प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस संदर्भ में सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चाहे शेष प्रीमियम 90% ही हो, यह सरकार द्वारा ही भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर वहन किया जाएगा। इस प्रकार पहले की योजनाओं में जिलेवार तथा फसलवार अलग अलग प्रीमियम दर निर्धारित थी किन्तु इस योजना में सभी फसलों के लिए **एक मौसम - एक दर** के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। अत: यह योजना किसानों के लिए अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर वाली योजना है जिसमें बीमा पर कोई कैपिंग नहीं होगा और इसके कारण दावा राशि में कोई कमी या कटौती नहीं की जा सकती है।

बजट तथा वित्तीय प्रावधान – कोई भी सरकारी योजना अपने उद्देश्यों में तभी सफल होती है जब प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समुचित बजट का प्रावधान हो तथा निर्णयन आर्थिक कारणों से प्रभावित न हो। सरकार ने इस योजना में इस संबंध में पूरा ख्याल रखा है। सरकार ने प्रारम्भ में इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु रुपये 5500 करोड़ (संशोधित बजट लगभग 13240 करोड़ रुपये) के बजट का प्रावधान किया जिसमें 30% किसानों को इस योजना में लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है (**स्रोत** - https://timesofindia.indiatimes.com)। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 2018-19 तक 50% किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 तक 10% की वृद्धि के साथ वर्ष 2017-18 हेतु 40% किसानों को जोड़ा जाएगा। योजना के विस्तार के साथ ही सरकार द्वारा इस योजना हेतु वर्ष 2017-18 के लिए रुपये 9000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है (**स्रोत** - http://www.financialexpress.com/budget/union-budget-2017)। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक तीन वर्षों में कुल 17600 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इस योजना के कारण अमेरिका तथा चीन के बाद भारत तीसरा बड़ा कृषि बीमा बाजार बनकर उभर रहा है। किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी करने के साथ सरकार द्वारा इस योजना में खरीफ

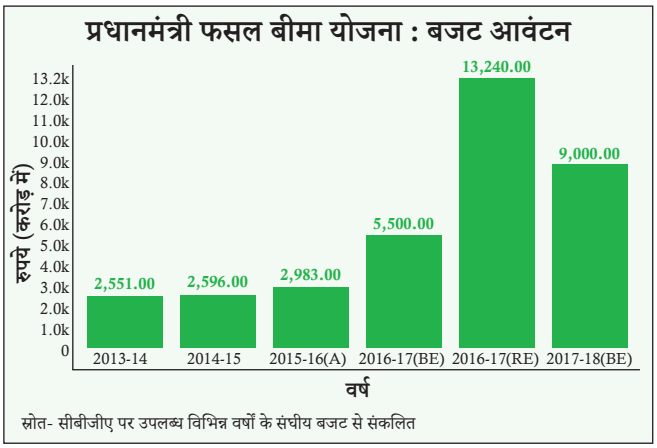

फसल 2016-17 के लिए 50 मिलियन किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के आकर्षण के कारण यह योजना अभी तक काफी सफल रही है। आकड़ों के विश्लेषण हेतु लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 6175 दिनांक 11/04/2017 के लिए 'कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार' के द्वारा प्रस्तुत जवाब का संदर्भ लिया जा सकता है। संबन्धित मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री श्री पुरुषोतम रूपाला द्वारा बताया गया कि राज्यों के लिए योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक होने के बावजूद रबी 2016-17 के दौरान 24 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएफ़बीवाई तथा आरडबल्यूबीसीआईएस कार्यान्वित हैं। कुल मिलाकर दोनों योजनाओं का कुल कवरेज खरीफ 2016 में 401 लाख किसान और 392 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हैं और रबी 2016-17 मौसम के दौरान 163.49 लाख किसान और 119.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किए गए हैं। **(स्रोत- वेबसाइट** - http://164.100.47.194/loksabhahindi/Questions/qsearch15.aspx)

आगे राज्य सभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 220 के संदर्भ में कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 04/08/2017 को प्रस्तुत जवाब में 28/07/2017 तक सरकार की इस मुख्य योजना में कुल 5.75 करोड़ किसानों को कवर किया गया है **(स्रोत- वेबसाइट http://rajyasabhahindi.nic.in के अनुसार)**। प्रभावी क्रियान्वयन तथा तत्पश्चात किसानों के लाभान्वित होने के आकड़े निम्न सारणी से समझे जा सकते हैं –

28/07/2017 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

स्रोत - http://rajyasabhahindi.nic.in

संदर्भ - राज्य सभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 220 दिनांक 04/08/2017

योजना में शामिल फसल	कवर किया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	कुल प्रीमियम रुपये (लाख में)	(रुपये लाख में)		कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसान
			स्वीकृत दावा राशि	दावा भुगतान राशि		
खरीफ - 2016	385.35	1667503.46	661,587.87	502,423.97	40166687	7664975
रबी – 2016-17	195.89	566989.91	152,768.15	125,247.75	17298926	510995
सकल योग	581.24	2234493.37	814,356.03	627,671.72	57465613	8175970

नोट: खरीफ 2016 मौसम के लिए कुछ जिलों/फसलों और रबी 2016-17 के लिए अधिकतर क्षेत्रों/फसलों के संबंध में अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

21/08/2017 को हुई मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा पीएमएफ़बीवाई की समीक्षा बैठक में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा खरीफ - 2016 तथा रबी 2017-18 तक रुपये 7700 करोड़ से अधिक के दावा भुगतान द्वारा लगभग 90 लाख किसानों को लाभान्वित किए जाने की पुष्टि की **है (स्रोत - http://www.pmindia.gov.in)।**

इस प्रकार उपर्युक्त आंकड़े सरकार द्वारा इस योजना के सफल क्रियान्वयन के सूचक हैं जो निश्चित ही पीएमएफ़बीवाई को सशक्त भारत तथा समृद्ध किसान हेतु सुनियोजित तथा समुन्नत योजना सिद्ध करता है।

योजना कार्यान्वयन - एक राष्ट्र, एक मौसम तथा एक दर पर आधारित इस योजना के उद्देश्य तभी सफलतापूर्वक प्राप्त होंगे जब हर स्तर पर इसका प्रभावी तथा पारदर्शी क्रियान्वयन तथा निगरानी हो। यह योजना एक बहु अभिमुखी संस्थाओं द्वारा परिचालित योजना है जिसमें केंद्र सरकार के अधीन 'कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग' इस योजना के परिचालनात्मक दिशा-निर्देश तथा निगरानी हेतु मुख्य नियामक तथा कार्यकारी संस्था है। इसके पश्चात विभिन्न राज्यों में अनेक संस्थाओं और विभाग जैसे वित्तीय संस्थाएं (व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि), बीमा संस्थाएं, इनकी नियामक संस्थाएं (भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, इरडा आदि) तथा अन्य सरकारी विभाग (कृषि, वानिकी, सहकारिता, सांख्यिकी, राजस्व, सूचना तथा तकनीकी, पंचायती राज आदि) के सहयोग से यह परिचालित हो रही हैं। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (National Level Monitoring Committee – NLMC) तथा राज्य स्तर पर फसल बीमा के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति (State Level Co-ordination Committee on Crop Insurance SLCCCI) का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अधीन एक उप-समिति के गठन के साथ जिला स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी समिति (District Level Monitoring Committee – DLMC) का भी गठन किया गया है। 'कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग' द्वारा इस योजना के अंतर्गत भारत की 'कृषि बीमा कंपनी' (AIC) के साथ पाँच सार्वजनिक बीमा कंपनियाँ तथा 13 निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को अधिकृत किया गया है।

देश में फसल बीमा के कार्यान्वयन हेतु अधिकृत बीमा कंपनियाँ	
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ	
1	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
2	न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी लिमिटेड
3	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ	
1	बजाज एलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2	भारती एक्ज़ा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3	चोलोमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4	फ्युचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5	एचडीएफ़सी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7	इफ़्फ़को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12	यूनिवर्सल सोमपों जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

डिजिटल भारत के लिए डिजिटल योजना – भारत सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन पर ज़ोर देती है ताकि लाभान्वित के लिए बनी योजना का पूरा लाभ लाभान्वित तक पहुँच सके। इस हेतु सरकार का प्रयास रहा है कि किसी प्रकार से सरकार तथा लाभान्वित व्यक्तियों के बीच दलालों और बिचौलियों से मुक्त वातावरण में सीधा संवाद तथा योजना से संबन्धित प्रत्यक्ष तथा सीधा क्रियान्वयन हो। इसीलिए सरकार द्वारा हर कार्य तथा योजना की सघन निगरानी तथा त्वरित निपटान हेतु सूचना-प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान और तकनीक पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने इन्हीं इरादों के अनुरूप सरकार ने इस योजना को भी डिजिटलाइज करने का प्रयास किया है। यह भारत की पहली ऐसी कृषि फसल बीमा योजना है जिसमें विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग स्वैच्छिक न रखकर अनिवार्य किया गया है। इस योजना के अंतर्गत –

- ऋणी व गैर-ऋणी दोनों बीमित किसानों की सूची, अपेक्षित विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, गाँव, श्रेणी, बीमित होल्डिंग, बीमित फसल, एकत्र प्रीमियम, सरकारी सब्सिडी आदि सॉफ्ट कॉपी में संबन्धित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा ई-मंच तैयार किया गया है।
- संबन्धित बीमा कंपनियों से दावा राशि प्राप्त होने के बाद वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक सप्ताह के भीतर दावा राशि किसानों के खातों में सीधे ऑनलाइन हस्तांतरित की जा रही है।
- बैंकवार तथा बीमित क्षेत्रवार लाभार्थियों की सूची फसल बीमा पोर्टल तथा संबन्धित बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर अपलोड हो रही है।
- समुचित प्रचार प्रसार तथा पारदर्शिता के लिए एक समर्पित बीमा वेब-पोर्टल www.agri-insurance.gov.in बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बीमा प्रीमियम की गणना, बीमा योजना के दिशा-निर्देश, प्रीमियम व बीमित राशि के आंकड़े, किसानों हेतु आवेदन सहित सभी आवश्यक जानकारी दी गई है।
- बीमा पोर्टल के अलावा सहज तथा सुगम संचालन हेतु एक एन्ड्रॉयड आधारित "फसल बीमा एप्प" भी शुरू किया गया है जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय (DAC&FW) अथवा गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही योजना के संबंध में अधिक तथा सुगम जानकारी के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री (हेल्पलाइन) नंबर सेवा 1800-180-1551 भी शुरू की गई है।
- दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े एकत्र करने तथा अपलोड करने हेतु स्मार्टफोन, रिमोट सेसिंग ड्रोन तथा जीपीएस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक सरकार द्वारा कटाई तथा नुकसान संबन्धित आंकड़े भी स्मार्टफोन के माध्यम से अपलोड करने के निर्देश दिये गए हैं।

अत: सरकार द्वारा इस योजना को सूचना-प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान और तकनीक के अनुकूल बनाने की सार्थक अभिनव पहल की गई है। प्रधानमंत्री **श्री नरेंद्र मोदी** के शब्दों में इस योजना में **"पहली बार सही आकलन तथा शीघ्र भुगतान के लिए मोबाइल और सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रयोग पर ज़ोर दिया गया है।"** यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने स्वयं को केवल दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं रखा है वरन् समुचित प्रौद्योगिकी समुन्नयन हेतु आने वाली लागत में भी राज्य को बराबर 50:50 की हिस्सेदारी का प्रावधान रखा हैं ताकि बजट संबन्धित किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। निस्संदेह यह डिजिटल भारत की एक डिजिटल फसल योजना है।

उपसंहार – प्रधानमंत्री फसल योजना का उद्देश्य तथा मन्तव्य प्रगतिशील भारत के समुचित विकास के लिए प्रगतिशील सोच का परिचायक हैं। यह केवल एक योजना ही नहीं हैं वरन् धरती–पुत्रों को होने वाली संभावित हानियों तथा आर्थिक नुकसान की रक्षार्थ एक मूर्त आयोजन हैं। कृषि की इस काँवड़ यात्रा को विकास की मंजिल तभी मुमकिन होगी जब दृढ़-इच्छा शक्ति से मुकम्मल कोशिश की जायेँ और मार्गस्थ खतरों की खरपतवार को खत्म कर विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जायें। सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि इस योजना को फ़ाइलों से फसलों तक और कार्यालयों से किसानों तक ले जाया जायें। सतही स्तर पर इस योजना के संबंध में कार्य हो ताकि आने वाले वर्षों में कृषि फसल तथा कृषक नस्ल दोनों नए जोश के साथ आर्थिक उन्नति में साथ खड़े हो सके। सन् 2022 तक यदि किसानों की आय को दुगुना करना हैं तो किसानों को बिना आर्थिक डर के आगे बढ़ने और निर्भीक निर्णय लेने का मौका देना होगा और इसमें यह योजना बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। निस्संदेह बुवाई के पूर्व से कटाई के बाद तक हर स्तर पर यह योजना सार्थक हैं इसलिए कहा जा सकता हैं कि व्यापक प्रचार-प्रसार, सतर्कता, निगरानी तथा प्रभावी क्रियान्वयन से यह योजना भारतीय कृषि विकास के लिए हरित क्रान्ति के बाद विकास में अगला मील का पत्थर सिद्ध होगा।

संदर्भ –

1. Annual Report 2016-17 on agriculture published by Ministry of Agriculture and Farmers welfare. GOI, New Delhi.
2. Operational Guideline booklet on PMFBY published by Ministry of Agriculture and Farmers welfare. GOI, New Delhi.
3. Evolution and Current Scenario of Crop Insurance in India (dated - 19.09.2014) Mr. D. D. Dange, Regional Manager Agriculture Insurance Company of India Ltd.
4. Website - https://www.actuariesindia.org/micb/wci2014/DD-Dange.pdf
5. Website – www.agricoop.nic.in
6. Website – http://www.aicofindia.com
7. Website – http://www.agri-insurance.gov.in
8. Website – http://www.pmindia.gov.in
9. Website – https://www.india.gov.in
10. Website - http://unionbudget2017.cbgaindia.org
11. Website - https://economictimes.indiatimes.com
12. Website - https://timesofindia.indiatimes.com
13. Website - http://164.100.47.194/loksabhahindi/Questions/qsearch15.aspx

रेग्युलेटर की नज़र से

[रेग्युलेटरी एजेंसी विधायिका द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था होती है, जिसका निर्माण विशिष्ट क़ानूनों को कार्यान्वित करने और प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की एजेंसी के पास अर्ध-विधायी (Quasi-legislative), कार्यकारी (Executive) और न्यायिक (Judicial) कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय क्षेत्र की रेग्युलेटरी एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए संपादकीय समिति ने इनकी भूमिका के बारे में एक नया स्तम्भ शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें *वित्तीय क्षेत्र के* विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहलों को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत जून 2015 के अंक से की गई। प्रस्तुत है इस कॉलम का लेख।]

दबावग्रस्त आस्तियों का निवारण - संशोधित ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) को दबावग्रस्त आस्तियों के निवारण-संशोधित फ्रेमवर्क के संबंध में सूचित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में शामिल दबावग्रस्त आस्तियों के निवारण के उद्देश्य से विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें विभिन्न समयों पर कुछ विशिष्ट योजनाओं की शुरुआत भी शामिल है। दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016 (आईबीसी) के अधिनियमन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विद्यमान दिशानिर्देशों को सुसंगत एवं सरलीकृत जेनरिक ढांचे में बदला जाए। संशोधित ढांचा दबावग्रस्तता की शीघ्र पहचान और शीघ्र रिपोर्टिंग, निवारण की योजना का कार्यान्वयन आदि पर केंद्रित है।

ब्रिज राज
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 - नोडल अधिकारी / प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी, 2018 को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके ग्राहकों से शिकायतों की प्राप्ति और ऐसी शिकायतों की त्वरित और उचित तरीके से समाधान पर विशेष बल देते हुए समुचित व्यवस्था की गई है। इस संबंध में इस योजना के पैरा 15.3 में यह प्रावधान है कि -

i. इस योजना से जुड़ी सभी एनबीएफसी अपने प्रधान/पंजीकृत/क्षेत्रीय/जोनल कार्यालय में नोडल अधिकारियों

(एनओ) की नियुक्ति करेंगे और इसकी सूचना सभी लोकपाल कार्यालयों को देंगे।

ii. इस प्रकार नियुक्त एनओ कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और एनबीएफसी के विरुद्ध की गई शिकायतों के संबंध में लोकपाल को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

iii. जहां कहीं भी एक लोकपाल के क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी के एक से अधिक ज़ोन/क्षेत्र आते हैं, वहां ऐसे सभी ज़ोन अथवा क्षेत्रों के लिए एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को नामित किया जाएगा

पीएनओ/एनओ अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अंतर्गत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष संबंधित एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 मार्च, 2018 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को सूचित किया कि 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी प्रोफाइल की समीक्षा के उपरांत तथा बैंकों के मध्य व्यवसाय हेतु समान अवसर सृजन करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 से लघु और सीमांत किसानों को उधार देने हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र राशि के सममूल्य ऋण (सीईओबीई), इनमें से जो भी अधिक हो, के 8 प्रतिशत का उप लक्ष्य 20 या उससे अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए लागू होगा। साथ ही, बैंकों द्वारा माइक्रो उद्यम को उधार देने हेतु एएनबीसी अथवा सीईओबीई, इनमें से जो भी अधिक हो, के 7.50 प्रतिशत का उप लक्ष्य, वित्त वर्ष 2018-19 से 20 या उससे अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए भी लागू होगा।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आलोक में तथा हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकरण के लिए वर्तमान में लागू माइक्रो/ लघु और मध्यम उद्यम (सेवा) के प्रत्येक उधारकर्ता को क्रमशः 5 करोड़ रुपये तथा 10 करोड़ रुपये की ऋण सीमा को हटा दिया जाए। तदनुसार, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपकरणों में निवेश के अनुसार परिभाषित एवं सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण बिना किसी क्रेडिट सीमा के प्राथमिकता-प्राप्त के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र होंगे।

व्यापार ऋणों हेतु वचन-पत्रों (एल.ओ.यू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्रों (एल.ओ.सी) को समाप्त करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च, 2018 को सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को सूचित किया कि मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि भारत में आयात पर दिये जाने वाले व्यपार ऋणों हेतु प्राधिकृत व्यापारी (ए.डी.) श्रेणी-I बैंकों द्वारा वचन-पत्र (एल.ओ.यू) / चुकौती आश्वासन-पत्र (एल.ओ.सी) जारी करने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। तथापि भारत में आयात पर दिये जाने वाले व्यपार ऋणों हेतु साख-पत्र तथा बैंक गारंटियाँ जारी करना जारी रहेगा, बशर्ते कि इस संबंध में बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा "गारंटियाँ और सह-स्वीकृतियाँ" विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2015 को जारी मास्टर परिपत्र सं.बैंविवि. सं.डीआईआर.बीसी. 11/13.03.00/2015-16 में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के मूल्यांकन का अधिग्रहण - पोर्टफोलियो का मूल्यांकन

31 मार्च, 2018 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागियों को सलाह दी कि एफबीआईएल को 31 मार्च, 2018 से प्रभावी रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदारी संभालने की सलाह दी गई है। उस तारीख से, एफआईएमएमडीए सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतों / प्रतिफल को प्रकाशित करना बंद कर देगा और यह भूमिका एफबीआईएल द्वारा ली जाएगी। एफबीआईएल मौजूदा पद्धति के आधार पर जी-सेक और एसडीएल वैल्यूएशन बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू करेगा। इससे आगे, एफबीआईएल मूल्यांकन पद्धति की व्यापक समीक्षा करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाएं, सहित बैंकों, गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों, प्राथमिक व्यापारियों, सहकारी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों सहित, जिन्हें मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित कीमतों का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता है वे 31 मार्च, 2018 से प्रभावी रूप से एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों का उपयोग कर सकते हैं। अन्य बाजार प्रतिभागियों जो एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति मूल्य / प्रतिफल का उपयोग कर रहे हैं अपने निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों / प्रतिफल का उपयोग कर सकते हैं।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फॉर्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	:	तिमाही
3.	संपादक, प्रकाशक का नाम	:	काज़ी मु. ईसा
	राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	पता	:	भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी 9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो इस पत्रिका के मालिक हैं	:	भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051

मैं, काज़ी मु. ईसा, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक : 31 मार्च 2018.

ह./-

काज़ी मु. ईसा

प्रकाशक

इतिहास के पन्नों से

ग्रामीण भारत को विकास की राह पर आगे ले जाता नाबार्ड

पृष्ठभूमि

वर्ष 1982 में मात्र पुनर्वित्त उपलब्ध कराने की भूमिका से शुरू कर भारत की शीर्ष-स्तरीय विकास वित्तीय संस्था बनने तक हमने ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के जीवन को स्पर्श किया है। हमने एक लंबी यात्रा तय की है और आज हम राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं से गहराई से जुड़े हुए हैं।

जब हम आजाद हुए उस समय खेती सबसे महत्वपूर्ण आजीविका थी और देश की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर थी। खेती को संधारणीय बनाने के रास्ते में जो अनेक चुनौतियां थीं, उनमें से एक थी ऋण की व्यवस्था। अधिकांश किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के थे, आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, ऋण के लिए सूदखोर महाजनों के चंगुल में फंसना उनकी मजबूरी थी, खेती मौसम निर्भर थी। इन सारी समस्याओं के कारण खेती का काम धीरे-धीरे आजीविका देने वाला काम न रहकर किसी तरह दाल-रोटी का जुगाड़ करने भर के लिए रह जाता था। गरीब किसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्ज के जाल में फंसे रहते थे।

कार्पोरेट संचार विभाग,
नाबार्ड

आजादी के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने खेती के कर्ज़ के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने की पहल की और पचास के दशक में कृषि ऋण विभाग की स्थापना की गई। विभाग द्वारा किए गए अध्ययनों और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 1964 में कृषिक पुनर्वित्त विकास निगम (एआरडीसी) की स्थापना की गई ताकि सिंचाई और भूमि विकास और अन्य क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष बैंक की स्थापना की संकल्पना सामने रखी। बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा श्री बी.शिवरामन की अध्यक्षता में गठित क्राफिकार्ड ने 1981 की अपनी रिपोर्ट में नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की। इस तरह नाबार्ड अस्तित्व में आया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1982 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह नयी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाले बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्त देने के लिए बनी थी। नाबार्ड का स्वामित्व भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास था। लंबे समय तक भारतीय रिज़र्व बैंक के एक उप-गवर्नर नाबार्ड के बोर्ड के अध्यक्ष रहे।

ऐसे में नाबार्ड के प्रयासों का उद्देश्य सशक्त एवं वित्तीय सुविधाओं से संपन्न ग्रामीण भारत का निर्माण रहा है। पुनर्वित्त सहायता देने से लेकर ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण तक, जिला स्तरीय ऋण योजनाएं तैयार करने से लेकर बैंकिंग उद्योग को इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन तक, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करने से लेकर उन्हें सुदृढ़ बनाने एवं सीबीएस प्लेटफार्म तक लाने

नाबार्ड की स्थापना के अवसर पर वर्तमान राष्ट्रपति एवं तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के अभिभाषण के प्रमुख अंश

हमारा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। नाबार्ड नितियां बनाने और पर्यवेक्षण के कार्य के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में सावधि ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्था होगी। हम आशा करते हैं कि नाबार्ड पूर्णता स्वायत्त सांविधिक संस्था के रूप में विकसित होगा तथा समन्वित ग्रामीण विकास के कार्य में बैंकों को अपनी उपयुक्त भूमिका निभाने में आवश्यक नेतृत्व प्रदान करेगा। सिर्फ संस्था की स्थापना कर देने से हमारा काम पूरा नहीं होगा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को पर्याप्त ऋण की सुविधा जुटाना एक अत्यंत कठिन कार्य है। संस्था की सफलता इसी बात के वैशिष्ट्य से जानी जा सकती है कि यह संस्था इन क्षेत्रों को कितना अधिक ऋण उपलब्ध करा पाती है। बैंकों की गतिविधियों के समन्वय और पुनर्वित्त सुविधाओं के प्रावधान के अलावा नाबार्ड को अपने लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना लेना चाहिए कि ग्रामीणों विशेषकर लघु और सीमांत किसानों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग पद्धति के परिचालन में परिवर्तन लाएं। राज्य सरकारों तथा जिला स्तरीय संस्थाओं को विशेषकर इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और नाबार्ड को उनके साथ-साथ काम करना है। ग्रामीण क्षेत्रों की खुशहाली को सुरक्षित रखने, एकीकृत ग्रामीण विकास को मजबूत करने तथा ग्रामीण ऋण संरचना को सुदृढ़ बनाने में नाबार्ड की स्थापना एक दक्ष कदम है। कार्य कठिन है पर सफलता मिलेगी। अन्य एजेंसियों के सहयोग से नाबार्ड सफलतापूर्वक ग्रामीण विकास के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी ऋण संस्थाओं को नई शक्ति प्रदान करेगा।

नाबार्ड की स्थापना के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अभिभाषण के प्रमुख अंश

आजादी की लड़ाई के समय हमारा विचार था कि भारत के ग्रामीण लोगों और विशेषकर किसानों का बोझ हल्का करें और अपने देश की हालत ऐसी मजबूत कर सकें जिससे देहात की सहायता करने की हमारी क्षमता और शक्ति बढ़े। पंडित नेहरू ने कहा था कि हम विज्ञान को किसानों के पास ले जाएं जिससे उत्पादन बढ़े और उत्पादन का वितरण ठीक से हो क्योंकि यही एक तरीका है जिससे गरीबी आहिस्ता-आहिस्ता कम होगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया ताकि बैंक अपनी नीतियां बदलें और छोटे किसानों, देहातों और छोटे उद्योगों को सहायता मिले, परंतु असल तरक्की तभी होगी जब बिल्कुल छोटे किसानों का उत्पाद बढ़ेगा तभी जाकर हमारे राष्ट्रीय जीवन की नींव मजबूत होगी। नाबार्ड का उद्देश्य भी यही है। विकास शहर के पास के गांव तक ही सीमित न रहे बल्कि आदिवासियों तक भी पहुंचे। ऋण देने के तरीके या सहायता देने के तरीकों को सरल बनाया जाए जिससे लोग उसका लाभ उठा सकें। दूसरी बात यह है कि जिनको देहात में काम करना है उनको देहात के रहन-सहन के तरीके, देहात की भाषा से परिचित होना चाहिए। हमारा देश एक विशाल देश है जिसमें बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से रहन सहन के तरीके हैं, उन तरीकों में अंतर है और उसके अनुरूप ही हमें ढलना है। जब तक हम इस भावना से देहात में नहीं जाएंगे तब तक जितनी मदद होनी चाहिए उतनी हम नहीं कर पाएंगे। मेरा अपना अनुभव है कि एक नियम हम बना देते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको किसी तरह से उसी रास्ते पर चलाएं। यह हमारे देश में न संभव है और न मैं समझती हूं कि उचित है। इसलिए हमें अपने नियमों में ढील नहीं देनी है लेकिन स्थिति देखकर नियम बनाने हैं। उनमें कुछ अंतर हो सकता है। हमें उत्तर-पूर्व में क्या करना है दक्षिण भारत और राजस्थान में क्या करना है, इन सब में शायद थोड़े-थोड़े अंतर की आवश्यकता है। पहले ही उस पर विचार करके उस पर ध्यान देना है। मेरी आशा है कि नाबार्ड से आपको सेवा मिलेगी। हम और आप जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह तेजी से आगे बढ़ेगा।

नाबार्ड की स्थापना के अवसर पर नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष श्री एम रामकृष्णय्या के अभिभाषण के प्रमुख अंश

हमें कृषि ऋण में केंद्रीय भूमिका अदा करनी है। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शीर्ष विकास बैंक होने के नाते हमें ऋण के माध्यम से विकास के आवश्यक सिद्धांतों को विनिर्दिष्ट करना है और उन्हें यथासंभव व्यापक रूप प्रदान करना है। चूंकि, विकास विज्ञान प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है अतः हमें इन्हें ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्रों में तेजी से लागू करना है। हम यह सब ऋण पर आधारित समग्र ग्रामीण विकास की योजनाओं के तकनीकी आर्थिक मापदंड के निर्धारण के जरिए करना चाहते हैं। इसके लिए हम संबंधित सरकारी विभागों, वाणिज्य बैंकों, सरकारी संस्थाओं के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करेंगे।

में सहयोग तक, नई विकास योजनाएं बनाने से लेकर भारत सरकार की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में माध्यम की भूमिका तक, और हस्तशिल्प कारीगरों के प्रशिक्षण से लेकर उनके उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध करवाने तक – नाबार्ड ने देशभर में लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन को स्पर्श करने का प्रयास किया है। हमारे उद्भव, विकास और कार्यों की एक संक्षिप्त रूपरेखा यहां दी जा रही है।

अपने सभी विकासात्मक कार्यों को अच्छी तरह करते हुए नाबार्ड ने अपने परिचालन में लगातार लाभप्रदता बनाए रखी है। नाबार्ड के कार्यों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है - वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षकीय।

वित्तीय कार्य

अल्पावधि पुनर्वित्त - अपने गठन से ही नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से विविध प्रकार की उत्पादन, विपणन और अधिप्राप्ति गतिविधियों के लिए कृषि के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प क्षेत्रों को भी अल्पावधि पुनर्वित्त देता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए भी सहायता दी जाती है। बैंकों को ब्याज सहायता और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता देने के लिए भी नाबार्ड नोडल एजेंसी है। हथकरघा क्षेत्र और सहकारी चीनी क्षेत्र के लिए भारत सरकार के पैकेज हेतु भी नाबार्ड कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी हैं। इस क्षेत्र में नाबार्ड की किसान क्रेडिट कार्ड योजना बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसने लेनदेन को बहुत सहज बना दिया है। नाबार्ड की स्थापना के समय में सामान्य ऋण सीमा के अंतर्गत कुल संवितरण रु.896 करोड़ था जो 2017-18 में बढ़कर रु.79704 करोड़ हो चुका है।

दीर्घावधि पुनर्वित्त - नाबार्ड के दीर्घावधि पुनर्वित्त से कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में बहुत सहायता मिली है। नाबार्ड ने नयी और नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए मॉडल बैंक-योग्य योजनाएं तैयार कीं और उन्हें बैंकों और सरकारी विभागों को उपलब्ध कराया। 1982-83 में दीर्घावधि ऋण के अंतर्गत रु.2321 करोड़ के संवितरण की तुलना में 2017-18 में रु.65240 करोड़ संवितरित किया गया।

प्रत्यक्ष वित्त - नाबार्ड ने कृषि और अनुषंगी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं और ग्रामीण सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को निधीयन के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए आरआईडीएफ का गठन किया गया जिससे 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकारों को रु.2,40,596 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई गई। नाबार्ड भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी सहयोग देता है। खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण की बढती जरूरतों की पूर्ति के लिए नाबार्ड ने भंडारागार पुनर्वित्त योजना के माध्यम से भंडारण संरचनाएं निर्मित करने में सहयोग दिया है। नाबार्ड ने फेडरेशनों को ऋण सुविधा देना शुरू किया है ताकि सहकारी संस्थाओं और फेडरेशनों के कृषि विपणन परिचालनों का वित्तपोषण किया जा सके। इस सिलसिले में नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास निधि (नीडा) की स्थापना उल्लेखनीय है जिससे आरआईडीएफ उधार के दायरे से बाहर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। 31 मार्च 2018 तक नीडा से 72 परियोजनाओं के लिए रु.23212 करोड़ की मंजूरी दी गयी है। नाबार्ड ने पैक्स को बहु-सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए भी एक योजना तैयार की जिससे किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ पैक्स को आय अर्जन भी होता है।

नाबार्ड ने वैद्यनाथन पैकेज के कार्यान्वयन के बाद सुदृढ वित्तीय स्थिति हासिल कर चुके जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष ऋण की सुविधा देना शुरू किया है। उनके लिए अल्पावधि बहु-उद्देशीय ऋण उत्पाद भी तैयार किया गया है। 2017-18 में 61 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और 05 राज्य सहकारी बैंकों को रु.6447 करोड़ की राशि मंजूर की गई।

विकासात्मक कार्य

अपनी पुनर्वित्त उपलब्ध कराने की केन्द्रीय भूमिका के सुस्थिर हो जाने के बाद नाबार्ड ने अनेक ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जो हाशिए पर रह रहे करोड़ों लोगों के विकास के लिए थे। वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर 2005 में सहकारी क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, उसमें सहकारी बैंकों का संस्थागत विकास प्रमुख था। इसी तरह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड ने कई कदम उठाए जो उनके समामेलन के बाद प्रत्येक राज्य में एक या दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन के माध्यम से उन्हें वित्तीय मजबूती देने में सफल हुए।

संस्थागत विकास - नाबार्ड ने भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए संस्थागत विकास के कई कदम उठाए जिनमें सहकारिता विकास निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता, संगठनात्मक विकास सहयोग (ओडीआई), विकास कार्ययोजना तैयार करना, प्रगति का अनुप्रवर्तन करना और एमआईएस जेनरेट करना शामिल हैं।

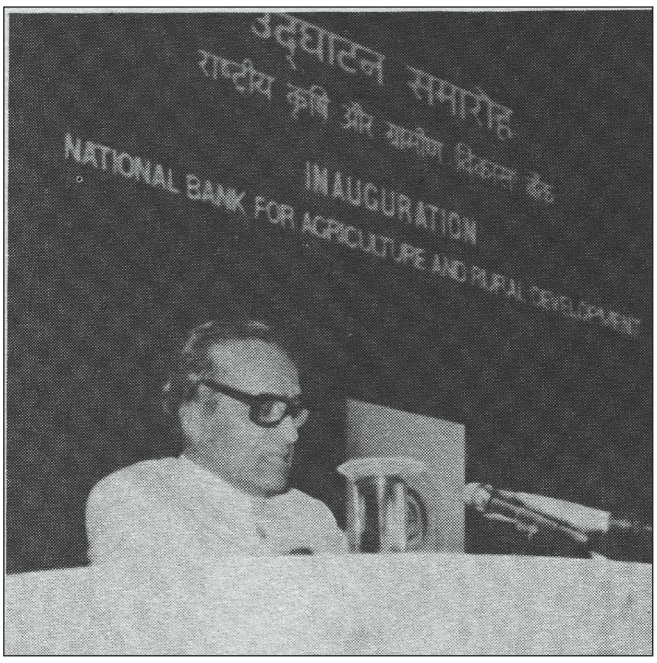

नाबार्ड की एक अन्य उल्लेखनीय सफलता सहकारी क्षेत्र के बैंकों को सीबीएस प्लेटफार्म पर लाना है। अब सहकारी बैंक सीबीएस वातावरण में उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह अन्य वाणिज्य बैंक करते हैं और वे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में समान प्रकार की समान स्तर की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

ऋण आयोजना - नाबार्ड के विकासात्मक कार्यों में नाबार्ड द्वारा प्रत्येक जिले के लिए संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएलपी जिले में उपलब्ध संसाधनों और अन्य जानकारी का प्रामाणिक स्रोत है जो ऋण आयोजना और नीति निर्माण में सभी हितधारकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पीएलपी में जिले में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के साथ-साथ विकास के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे का भी ब्यौरा दिया जाता है। इस तरह यह एक ऐसा दस्तावेज बन गया है जो जिले के विकास के लिए योजनाएं बनाने, ऋण उपलब्ध कराने और नाबार्ड से पुनर्वित्त की व्यवस्था की दृष्टि से संदर्भ सामग्री का काम करता है। नाबार्ड ने ऋण आयोजना प्रक्रिया और विकास कार्यों में अपनी सक्रिय सहभागिता के लिए पूरे देश के जिलों में जिला विकास प्रबंधकों की पदस्थापना की है।

कृषि क्षेत्र विकास के लिए नाबार्ड के अभिनव प्रयास

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन - नाबार्ड ने यूपीएनआरएम के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर आधारित आजीविका के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, कृषि प्रसंस्करण, चावल सघनीकरण, कृषि वानिकी, पेयजल सुविधा और पर्यावरण पर्यटन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

नाबार्ड के वाटरशेड विकास कार्यक्रम ने बंजर जमीनों को हरी-भरी धरती में बदल दिया है जिससे आदिवासी आबादी के जीवन में खुशियां आई हैं। बाहरी निधीयन एजेंसियों जीआईजेड और केएफडब्ल्यू के सहयोग से नाबार्ड ने जनजातीय आबादी के लिए सहभागितामूलक वाटरशेड विकास और संधारणीय

आजीविका के मॉडल विकसित किए हैं। नाबार्ड आदिवासी विकास निधि से वाड़ी की स्थापना के लिए सहयोग देता है। भूमिहीनों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भी सहायता दी जाती है। 18 राज्यों में रु.1641 करोड़ की सहायता से लगभग 19.59 लाख हेक्टेयर भूमि में 1275 से अधिक वाटरशेड परियोजनाएं चलाई गई हैं। आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत 28 राज्यों की 712 परियोजनाओं के अंतर्गत 5.21 लाख परिवारों को रु.2120.71 करोड़ की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है।

कृषि प्रौद्योगिकी का अंतरण - नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र की वास्तविक संभाव्यता को मूर्त रूप देने के लिए नवोन्मेष के माध्यम से दक्षता लाने की दृष्टि से 'कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि' की स्थापना की जिसके अंतर्गत आधुनिकीकरण, पुरानी प्रौद्योगिकी की जगह नयी प्रौद्योगिकी लाने, कृषि की नयी अवधारणाओं को किसानों तक पहुंचाने और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए अनुदान सहायता दी गई। नाबार्ड ने 'कृषक प्रौद्योगिकी और अंतरण निधि' नाम से एक और अनुदान-आधारित निधि स्थापित की जिससे संसाधन केन्द्र, एसआरआई, पोषक तत्व प्रबंधन, बीज उत्पादन और प्रमाणन, अग्रणी फसल योजना, मास्टर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के लिए सहायता दी गई।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन – नाबार्ड को जुलाई 2012 में अडाप्टेशन फ़ंड के लिए भारत की एकमात्र राष्ट्रीय

कार्यान्वयनकर्ता एंटिटी के रूप में मान्यता दी गई। इस भूमिका में नाबार्ड अडाप्टेशन फ़ंड द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के समग्र प्रबंधन, वित्तीय अनुप्रवर्तन आदि के लिए जिम्मेदार है। 31 मार्च 2017 तक 3 निधीयन तंत्रों - ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड, अडाप्टेशन फ़ंड और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि के माध्यम से रु.1593 करोड़ की वित्तीय सहायता की 35 अनुकूलन और शमन परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

किसान क्लब – ऋण के माध्यम से विकास की अवधारणा को गांव-गांव तक पहुंचाने और ऋण की चुकौती की आवश्यकता समझाने के लिए नाबार्ड की स्थापना के समय ही अनुदान-आधारित विकास वालन्टियर वाहिनी योजना शुरू की गई। बाद में इस योजना का नाम बादल कर किसान क्लब कर दिया गया। नाबार्ड की वित्तीय सहायता से 1.56 लाख से अधिक किसान क्लब गठित किए गए हैं।

किसानों के समूह – यदि किसान विधिमान्य समूहों में संगठित हों तो उन्हें निविष्टियों के क्रय और उत्पादों के विक्रय में काफी आसानी और वित्तीय लाभ हो सकता है। किसानों और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए नाबार्ड कृषक उत्पादक संगठनों को उत्पादक संगठन विकास निधि से सहायता देता है। अब तक नाबार्ड ने 4004 ऐसे संगठनों को सहायता दी है।

कृषीतर क्षेत्र विकास के लिए नाबार्ड के अभिनव प्रयास

नाबार्ड विविध ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास से लेकर विपणन तक की सहायता देता है। इससे आय सृजन और आजीविका को बल मिलता है। नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और कौशल विकास कार्यक्रमों को सहायता देकर ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजगार के अन्य अवसरों के लिए सक्षम बनाया। वाणिज्य बैंकों के ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थानों रुडसेटी और आरसेटी को उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता दी गई। जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना के तहत रोजगार सृजन के सघन प्रयास किए गए। ग्रामीण कृषीतर

क्षेत्र उत्पादों के विपणन के लिए ग्रामीण हाथों की स्थापना की योजना चलाई गई। हथकरघा उत्पादों में नए डिज़ाइन और परंपरागत बुनकरों के कौशल उन्नयन के लिए भी अनुदान आधारित कार्यक्रम चलाया गया ताकि उनके उत्पादों की बिक्री बढ़े। नाबार्ड ने हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्लस्टर आधार पर लघु और छोटे उद्यमों के विकास के प्रयास किए। एमईडीपी और एलईडीपी जैसे अनुदान आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के कौशल उन्नयन और उनके लिए आजीविका संवर्धन कार्यक्रम चलाए गए।

नाबार्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के साथ मिलकर कृषीतर उद्यमियों के लिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त के महत्व को देखते हुए नाबार्ड ग्रामीण अवसान के वित्तपोषण के लिए पात्र बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देता रहा है।

सूक्ष्म वित्त

देश में परंपरागत बैंकिंग की अपनी भौतिक सीमाओं और ऊंची परिचालन लागत के कारण उनके द्वारा दी जाने वित्तीय सुविधाओं और सेवाओं के दायरे से अब तक बाहर रहे अतिनिर्धन वर्ग और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम लागत पर बैंकिंग के दायरे में लाना नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य रहा है। नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम नाबार्ड की निधि सहायता से 1992 में एक कार्य अनुसंधान परियोजना से शुरू हुआ था लेकिन आज यह संभवत: विश्व का सबसे व्यापक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है जिसके तहत गठित 79 लाख समूहों में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी है। यह कार्यक्रम आज देश के 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचा रहा है। नाबार्ड हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा समूहों के संवर्धन, जागरूकता कार्यक्रमों, प्रचार-प्रसार सामग्री और प्रशिक्षण सामग्री के लिए अनुदान सहायता देता है। सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि से आजीविका, कौशल उन्नयन और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता दी जाती है। देश के पिछड़े और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में महिला समूहों के संवर्धन के लिए महिला एसएचजी विकास निधि स्थापित की गई है।

स्वयं सहायता समूह के अतिरिक्त नाबार्ड ने कदरन बड़े ऋण प्राप्त करने में साधनहीन ग्रामीणों के सामने आने वाली प्रतिभूति की विकट समस्या से निपटने के लिए संयुक्त देयता समूह कार्यक्रम का सूत्रपात किया। नाबार्ड संयुक्त देयता समूहों के गठन और संपोषण के लिए संवर्धन एजेंसियों को अनुदान सहायता देता है। 9.49 लाख समूहों के संवर्धन के लिए रु.170.05 करोड़ की संचयी सहायता मंजूर की गई है।

वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को 2005-06 में एक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। रंगराजन समिति की सिफ़ारिश के आधार पर 2007-08 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार, रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के अंशदान से नाबार्ड में वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि का गठन किया गया। इन निधियों से वित्तीय साक्षरता, अनुसंधान और आईटी के उपयोग के लिए सहायता दी गई। यूआईडीएआई के सहयोग से आधार-समर्थित भुगतान प्रणाली के विकास के लिए सीईआरएफ़आई स्थापित की गई। नाबार्ड स्वाभिमान और प्रधान मंत्री जन धन योजना जैसे सरकार के कार्यक्रमों में सहयोग देता है। 31 मार्च तक वित्तीय

समावेशन निधि से रु.1568.74 करोड़ की संचयी अनुदान सहायता संवितरित की गई।

नाबार्ड के पर्यवेक्षकीय कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करता है जिसका उद्देश्य इन बैंकों में अपना पैसा रखने वालों के हितों की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि इनके व्यवसाय परिचालन में सभी संगत अधिनियमों, विनियमों, नियमों आदि का पालन किया जाए। नाबार्ड प्रतिवर्ष औसतन 340 से 350 निरीक्षण करता है और अपेक्षित विनियामक कार्रवाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करता है।

अन्य कार्य

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम – नाबार्ड भारत सरकार के कई मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित सब्सिडी योजनाओं के लिए नडाल एजंसी के रूप में भी काम करता है, उदाहरण के लिए – शीत भंडारण, ग्रामीण गोदाम, कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र, डेयरी उद्यमिता विकास आदि।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में विविध क्षेत्रों में विकास के लिए कई निधियों का गठन किया गया है/ गठन का अनुमोदन किया गया है। ये निधियां हैं: अपूर्ण बृहत् और मध्यम सिचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रु.20,000

करोड़ की दीर्घावधि सिंचाई निधि; सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के जरिये राज्यों को निधि उपलब्ध कराने के लिए रु.5,000 करोड़ की एक सूक्ष्म सिंचाई निधि; कृषि पण्यों के भंडारण की बुनियादी संरचनाओं के लिए रु.5,000 करोड़ की भंडरागार आधारभूत संरचना निधि; नामित फूड पार्कों के लिए और नामित फूड पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए रु.2,000 करोड़ की विशेष निधि और एनडीडीबी और एनसीडीसी के माध्यम से डेयरी सहकारिताओं और महासंघों को वित्तीय सहायता के लिए डेयरी प्रसंस्करण आधारभूत संरचना विकास निधि।

सहायक संस्थाएं

नाबार्ड ने अपने कार्मिकों के गहन अनुभव और दक्षता के व्यापकतर उपयोग के लिए कृषि और कृषि से जुड़े अन्य विषयों में परामर्श सेवाएं देने के लिए अपने स्वामित्व में **नैबकॉन्स** की स्थापना की। नैबकॉन्स घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को शुल्क लेकर व्यावसायिक परामर्श सेवा देता है। नैबकिसान फ़िनान्स लिमिटेड कृषि, अनुषंगी और ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र गतिविधियों में लगे कृषक समूहों के संवर्धन, विस्तार और वाणिज्यीकरण के लिए ऋण देता है। नैबसमृद्धि फ़िनान्स लिमिटेड कृषीतर उद्यमों पर ध्यान केन्द्रित करता है। नैबफिन्स बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को सूक्ष्म वित्त शयता देता है।

और अंत में

पिछले लगभग साढ़े तीन दशकों में नाबार्ड ग्रामीण भारत के सभी लोगों से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। लगभग 36 वर्ष पहले भारतीय रिज़र्व बैंक से जन्मे नाबार्ड का बैलेंस शीट आज रु। चार हजार करोड़ से ऊपर जा चुका है। नाबार्ड ने ग्रामीण भारत के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन अभी भी देश के सामने जो गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं उन्हें देखते हुए जितना किया गया है उससे ज्यादा करना अभी बाकी है। आगाज अच्छा हुआ है और उम्मीद है अंजाम और अच्छा होगा।

घूमता आईना

भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी, फ्रांस को छोड़ा पीछे

भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस मामले में भारत ने फ्रांस को पीछे कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2.6 खरब डॉलर (करीब 170 लाख करोड़ रुपये) की हो गई है।

आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पहले छठे स्थान पर फ्रांस था, लेकिन अब भारत ने इस पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था भारत की इकोनॉमी से आगे है। प्रथम पाँच स्थानों पर यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है।

आईएमएफ के अप्रैल, 2018 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक 2017 में भारत की जीडीपी तकरीबन 170 लाख करोड़ रुपये की हो गई है। यह करीब 162 लाख करोड़ के उस आंकड़े से काफी ज्यादा है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अन्य से अलग करता है।

के. सी. मालपानी
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी

भानु प्रताप शर्मा बने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के चेयरमैन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे विनोद राय की जगह लेंगे। विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति दो साल के लिए हुई थी। बैंक बोर्ड ब्यूरो में विविध विशेषज्ञता वाले पेशेवर भी शामिल किए जाते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अन्य सदस्यों में वेदिका भंडारकर, पी प्रदीप कुमार और प्रदीप पी शाह को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2016 में मुख्यतया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्तर पर नियुक्तियां करने के लिए की थी।

ट्रांसजेंडरों के लिए पैन कार्ड में जोड़ी गई अलग कैटेगरी

पैन कार्ड को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इससे पहले पैन कार्ड फॉर्म में जेंडर की सिर्फ दो ही कैटेगरी होती थी। एक महिला और दूसरी पुरुष, लेकिन अब ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग से कैटेगरी होगी। इसके लिए सरकार ने आयकर नियमों में बदलाव किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस बदलाव के बाद पैन कार्ड के एप्लिकेशन फॉर्म में एक नया

बॉक्स मिलेगा, जिस पर उन्हें टिक करना होगा।

यह अधिसूचना आयकर कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी हुई है। सरकार के इस कदम से ट्रांसजेंडरों को निश्चित रूप से काफी सहूलियत होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर फर्जी वेबसाइट के प्रति आगाह किया

भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि उसकी जानकारी में यह आया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा www.indiareserveban.org पर भारतीय रिज़र्व बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। फर्जी वेबसाइट का ले-आउट बैंक की मूल वेबसाइट के समान ही है। फर्जी वेबसाइट के होम पेज पर "ऑनलाइन खाताधारकों के साथ बैंक सत्यापन" का प्रावधान भी है, जो ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं / सामान्य जनता के व्यक्तिगत और गोपनीय बैंकिंग विवरण प्राप्त करने के एक धोखेबाज और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाया गया लगता है। रिज़र्व बैंक की ओर से स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक कोई भी व्यक्तिगत खाता धारित नहीं करता है और कभी भी किसी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना, बैंक खाता विवरण, पासवर्ड आदि की मांग नहीं करता है। रिज़र्व बैंक ने आम जनता को सावधान करते हुए कहा है कि ऐसी वेबसाइटों पर ऑन लाइन प्रत्युत्तर देने के परिणामस्वरूप उनकी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचना गलत हाथों में जा सकती है और जिसका दुरुपयोग वित्तीय और अन्य हानि के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आम जनता को www.rbi.org, www.rbi.in आदि जैसी वेबसाइटों के अस्तित्व के बारे में भी सावधान किया गया है। ये यूआरएल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट जैसे ही प्रतीत होते हैं। तथापि, इन वेबसाइटों का भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कोई संबंध नहीं है। आम जनता से कहा गया है कि वे ऐसी साइटों को एक्सेस करने या इन पर किसी प्रकार की जानकारी देते समय सावधान रहें।

रिज़र्व बैंक ने दिया पेमेंट ऑपरेटर्स को सारा डेटा भारत में स्टोर करने का निर्देश

रिज़र्व बैंक ने डेटा सिक्यूरिटी को देखते हुए सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स से अपना डेटा भारत में ही रखने को कहा है। रिज़र्व बैंक की ओर से कहा गया है कि सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा परिचालित पेमेंट सिस्टम्स का सारा डेटा भारत में ही रहे। रिज़र्व बैंक ने इसके लिए पेमेंट ऑपरेटर्स को छह महीने का समय दिया है। रिज़र्व बैंक ने पाया है कि कुछ पेमेंट सिस्टम प्लेयर्स भारत में अपना डेटा स्टोर करते हैं और कुछ भारत के बाहर। इस फैसले का असर, पेटीएम समेत कई अन्य पेमेंट ऑपरेटर्स पर पड़ेगा।

अब बैंक एलओयू तथा एलओसी जारी नहीं कर सकेंगे

हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने भारत में आयात पर दिये जाने वाले व्यापार ऋणों के लिए प्राधिकृत व्यापारी (ए.डी.) श्रेणी-I बैंकों द्वारा वचन-पत्र (एलओयू) /चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी किए जाने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। यद्यपि, भारत में आयात पर दिये जाने वाले व्यापार ऋणों हेतु साख-पत्र (एल.सी.) तथा बैंक गारंटियों (बी.जी.) का जारी किया जाना जारी रहेगा, बशर्ते इस संबंध में लागू अन्य प्रावधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया गया हो। उक्त निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

अब रेलयात्रा के दौरान कर सकेंगे कार्ड से भी भुगतान

अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके पास कैश नही है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। रेलवे ने एक बड़ा

कदम उठाते हुए ट्रेनों में यात्रियों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा देने की शुरुआत की है। रेलवे के मुताबिक अभी यह सर्विस 26 ट्रेन में शुरू पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे अधिक से अधिक ट्रेनों में शुरू किया जाएगा। अब रेल कर्मचारियों के पास पीओएस मशीनें होगी, जिसमें कार्ड स्वैप कर आप खाद्य वस्तुओं (लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट) के तय मूल्य का भुगतान कर सकते हैं। इसका एक लाभ यह भी होगा की अब वेंडर्स वस्तुओं के तय मूल्य से अधिक पैसे नही ले सकेंगे और यात्रियों को इसका बिल भी मिल सकेगा।

दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए करें डिजिलॉकर का उपयोग

डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई पहलों में से एक है -डिजिलॉकर। डिजिलॉकर मुख्य रूप से एक डिजिटल स्टोर रूम है जो एक क्लाउड आधारित एप्लिकेशन में अलग-अलग जारीकर्ताओं द्वारा जारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों (जैसे आधार, मार्कशीट्स - सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गैस कनेक्शन की कॉपी इत्यादि) को सुरक्षित और आसानी से ऐक्सेस और शेयर करने की क्षमता प्रदान करने के लिए स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। यह दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल तरीके से जारी करने और सत्यापित करने में भी मदद करता है।

कैसे बनाएँ डिजिलॉकर एकाउंट

DigiLocker.gov.in वेबसाइट या ऐंड्रॉइड ऐप स्टोर में जाकर यह एकाउंट खोला जा सकता है। इसके लिए रजिस्टर करते समय आपके पास एक मोबाइल फोन होना जरूरी है क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित ओटीपी आपके मोबाइल

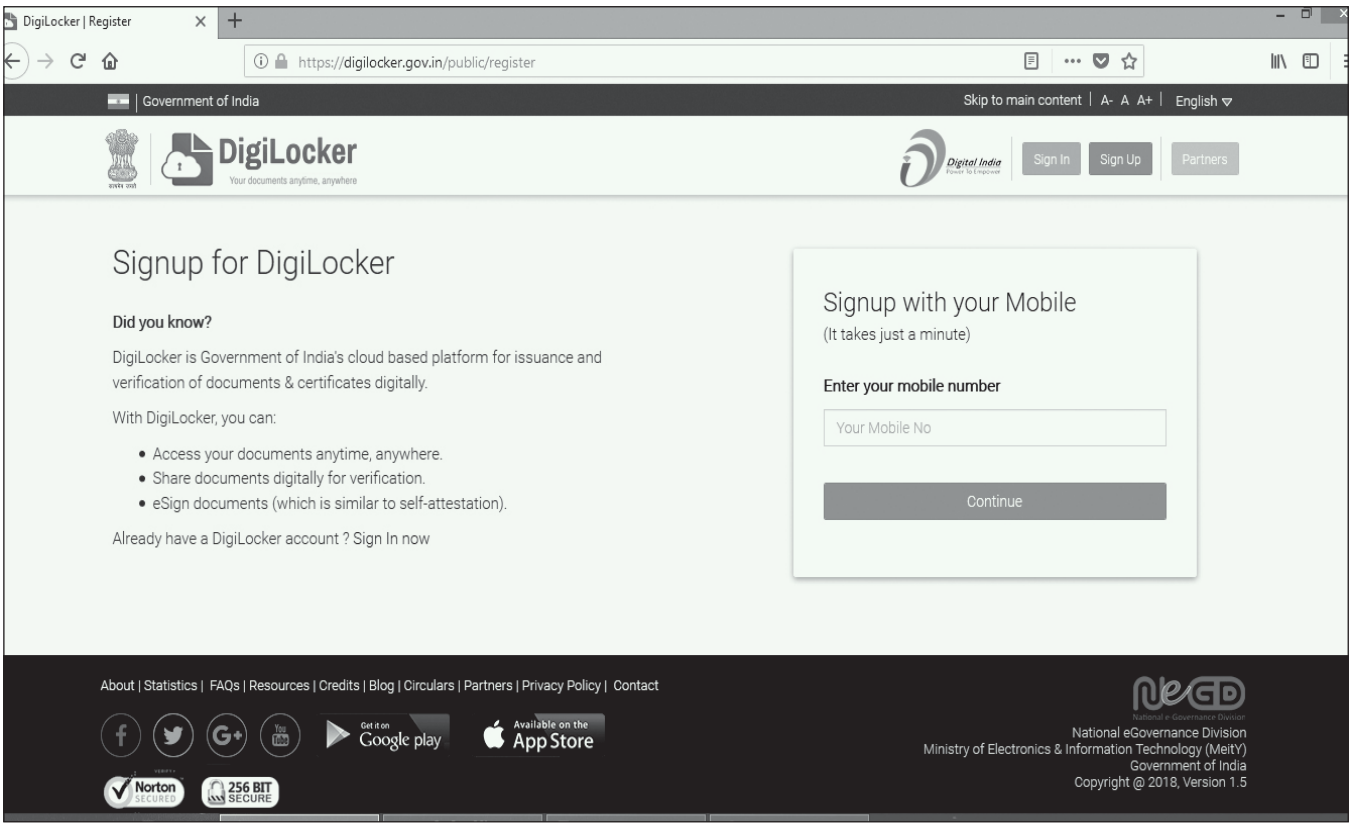

नंबर पर ही भेजे जाएंगे। खाता बनाए जाने के लिए सबसे पहले यह उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर को प्रमाणीकरण के लिए पूछता है और फिर उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (एक बार पासवर्ड) भेजता है। एक बार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डिजीलाकर खाता बनाए जाने के लिए उपयोगकर्ता को यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है जिसके बाद डिजीलाकर खाता तैयार है।

कैसे काम करता है

तकनीकी रूप से यह किसी अन्य क्लाउड स्टोरेज सेवा की तरह ही काम करता है। जो बात इसे दूसरों से अलग करती है वह है, इसका सरकारी एजेंसियों के साथ सीधा लिंक और दस्तावेज़ को सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रयुक्त कई सुरक्षा प्रोटोकॉल। इसे एक साधारण क्लाउड स्टोरेज के रूप में उपयोग में लाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें 10 एमबी से बड़ी साईज़ की फाइलों को स्वीकार नहीं किया जाता। डिजिलॉकर में सुरक्षा हेतु एक अतिरिक्त कवच प्रदान करने और लॉगिन विवरण और पासवर्ड,आदि को चोरी से बचाने के लिए इसमें 256-बिट SSL एन्क्रिप्शन का उपयोग किया गया है जिसका व्यापक रूप से भुगतान और बैंकिंग ऐप्स में उपयोग किया जाता है।

डिजिलॉकर दो तरीकों से काम करता है। पहला, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी उपयोगकर्ता ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, तो उसे जारी किए गए कागजात डाउनलोड करने के लिए डिजीलॉकर ऐप पर एक अधिसूचना मिलेगी। हालांकि, यह अधिसूचना केवल उन उपयोगकर्ताओं को भेजी जाती है जिन्होंने अपना डिजिलॉकर खाता बनाते समय अपने आधार विवरण को भी इसके साथ लिंक किया है।

दूसरा तरीका है, सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविग लाइसेंस की हार्ड कापी स्कैन करके डिजीलॉकर ऐप पर अपलोड/सेव करके रखना जिन्हें दुनिया में कहीं से भी किसी भी समय ऐक्सेस किया जा सकता है। हर बार ऐप बंद होते समय, उपयोगकर्ता को स्वत: लॉग आउट कर देता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि यदि उपयोगकर्ता का फोन कभी खो भी गया तो भी दस्तावेज़ सुरक्षित रह सकें।

डिजिलॉकर के फायदे

डिजिलॉकर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे दुनिया में कहीं से भी किसी भी समय ऐक्सेस किया जा सकता है और वह भी दस्तावेजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए। असली दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की कॉपियों को अब डिजिटल तरीके से रखा जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स जैसे कुछ प्रमाणपत्रों को अब कॉपी करके रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हस्ताक्षरित कॉपियों को सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है जिससे वे प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ बन जाते हैं। इससे सत्यापन की प्रक्रिया अधिक आसान और सरल बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई की है तो आपके सीबीएसई माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स को सीधे आपके डिजिलॉकर में जारी किया जा सकता है। जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा सीधे प्रदान किए गए इन दस्तावेजों को शेयर करते समय फिर से सत्यापित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा डिजीलॉकर दस्तावेज़ों को व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पीएनजी, जेपीईजी और पीडीएफ फ़ाइल प्रारूपों में स्टोर करता है जिससे इनको शेयर करना आसान हो जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा स्टोर किए गए तथा सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को अलग-अलग दिखाया जाता है। इससे उपयोगकर्ताओं के लिए उनके दस्तावेजों को देखना आसान हो जाता है।

डिजीलॉकर का उपयोग करने का एक लाभ यह है कि अब उपयोगकर्ता को मूल ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ में लेकर नहीं चलना पड़ता। इसके बजाय वे ट्रैफिक कर्मियों द्वारा चेकपॉइंट पर रोकने पर अपने स्मार्टफ़ोन पर इसकी प्रति दिखा सकते हैं।

आधार आधारित ई-सिग्नेचर

डिजिलॉकर की एक और उल्लेखनीय विशेषता है - आधार आधारित ई-सिग्नेचर। सिग्नेचर को कानूनी दर्जा मिलने के कारण सेल्फ-अटेस्टेशन की प्रक्रिया ने डिजिटल रूप धारण कर लिया है। डिजिलॉकर के माध्यम से आधार आधारित ई- सिग्नेचर उपलब्ध है और आप उन्हें शेयर करते समय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन्हें सेल्फ-अटेस्ट कर सकते हैं।

क्या है आयुष्मान भारत योजना ?

सरकार ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो महत्त्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटना हैं। ये पहल निम्न हैं-

1. **स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र लोगों के घर के नजदीक ही स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली मुहैया कराएंगे। इनमें असंक्रामक रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं मौजूद होंगी। ये केंद्र आवश्यक दवाईयाँ और नैदानिक सेवा भी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों को अपनाने के लिए सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है।
2. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना-** आयुष्मान भारत के तहत इन दूरगामी पहलों के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक फ्लेगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत अस्पताल में रहकर इलाज करवाने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र की ये दो पहलें नए भारत 2022 का निर्माण करेंगी और उनसे उत्पादकता, स्वास्थ्य रक्षा में सुधार होगा और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकगा। इन योजनाओं से विशेष कर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।

गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाए जाने के उद्देश्य से देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। इस कदम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हो।

यह भी बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण की शुरुआत को स्वस्थ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इसका लाभ देश के गरीब, आदिवासी, महिला और पिछड़े तबकों को मिलेगा जो अपने चिकित्सा का भार उठा पाने में सक्षम नहीं हैं।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता / चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री / श्रीमती / कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

_____

_____

केंद्र _____ पिनकोड _____

मो. नं. _____ टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ _____ निवास _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई मेल पता _____

दिनांक _____/_____/_____

भवदीय / या

(हस्ताक्षर)

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें उसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। **लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :**

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
   ख. लेख में किसी सम-सामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
   ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
   घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
   ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
2. लेख में दिए गए **तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।**
3. क. लेख न्यूनतम 5 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में टंकित हों।
   ख. वह कागज के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
   ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
   घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फांट में rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. **लेखक अपने पत्राचार का पता, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।**
6. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि **जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।**

आईएसएसएन – 2457-015X

पंजीकरण संख्या - 47043 / 88